

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. VIII, Third Session, 2020/1941 (Saka)
No. 15, Wednesday, March 11, 2020/ Phalguna 21, 1941 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 241 and 242	9-23
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 243 to 260	24-73
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	74-561

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	563-565
STANDING COMMITTEE ON COMMERCE	
152 nd and 153 rd Reports	565
MATTERS UNDER RULE 377	566-585
(i) Regarding regularization of bad debt by public sector banks	
Shri Gopal Shetty	566
(ii) Need to restore operation of rail services on Lakhimpur-Mailani-Bahraich railway line in Uttar Pradesh	
Shri Ajay Misra Teni	567
(iii) Need to construct a ring road in Kurukshetra, Haryana	
Shri Nayab Singh Saini	567
(iv) Need to categorise lac cultivation as an agricultural activity in Jharkhand	
Shri Sunil Kumar Singh	568
(v) Need to include Padalse Irrigation Project in Maharashtra under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana	
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	569
(vi) Need to provide compensation to farmers in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan	
Shri Rahul Kaswan	569

- (vii) Need to provide adequate medical facilities in Government Medical College, Orai in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Bhanu Pratap Singh Verma 570
- (viii) Need to include Hatya Haran, a mythological place in Misrikh Parliamentary Constituency in Ramayana Circuit
Shri Ashok Kumar Rawat 571
- (ix) Need to provide adequate compensation to people who suffered loss of crops, livestock, life and property due to heavy rains, hailstorms and lightning in Jharkhand
Shri Vishnu Dayal Ram 572
- (x) Need to expedite the construction of an over bridge on level crossing at Hulas Nagla in Sahajahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Arun Kumar Sagar 572
- (xi) Regarding payment of Kisan Samman Nidhi to farmers in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shri Subhash Chandra Baheria 573
- (xii) Need to run Mail express trains between Giridih and Ranchi
Shrimati Annpurna Devi 574
- (xiii) Need to provide stoppage of Gandhidham Express (train No. 19336) Veraval Express (train no. 19320) at Dakor railway station in Gujarat
Shri Devusinh Chauhan 575

(xiv)	Need to construct Bypass on NH 113 at Ghatol in Banswara Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Shri Kanakmal Katara	576
(xv)	Need to address the problems being faced by Ambulance workers in the country	
	Shri M.K. Raghavan	577
(xvi)	Regarding restoration of train service between Mayiladuthurai and Tharangambady in Tamil Nadu	
	Shri S. Ramalingam	578
(xvii)	Regarding decline in export of human hair and articles of human hair	
	Shri Sridhar Kotagiri	579
(xviii)	Need to take immediate precautionary steps to check Covid-19	
	Prof. Sougata Ray	579
(xix)	Regarding extension of benefits under the Pradhan Mantri Awaas Yojana	
	Shri Vinayak Bhaurao Raut	580
(xx)	Need to set up a modern Library in Nalanda University, Bihar	
	Shri Kaushlendra Kumar	581
(xxi)	Need to enhance the sugarcane price	
	Shri Ram Shiromani	582
(xxii)	Need to enhance the pension under EPS – 95	
	Shri B.B. Patil	583
(xxiii)	Need to bring a legislation to ban superstitions	
	Shri K. Subbarayan	584

(xxiv) Regarding development of Kollam Port in Kerala

Shri N.K. Premachandran 585

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Termination of Suspension of Members
from the service of the House under Rule 374 586-604

DISCUSSION UNDER RULE 193

Recent law and order situation in some parts of Delhi 605-694

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 605-614

Shrimati Meenakashi Lekhi 615-624

Shri T.R. Baalu 625-628

Prof. Sougata Ray 629-631

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 632-633

Shri Vinayak Bhaurao Raut 634-635

Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan' 636-639

Shri Pinaki Misra 640-642

Shri Ritesh Pandey 643-644

Dr. Shafiqur Rahman Barq 645-646

Dr. Amol Ramsing Kolhe 647-648

Dr. Sanjay Jaiswal 649-652

Shri P.K. Kunhalikkutty 653-654

Adv. A.M. Ariff 655-656

Shri Jayadev Galla	657-658
Shri Hasnain Masoodi	659-660
Shri Raghu Rama Krishna Raju	661
Shri K. Subbarayan	662
Shri Thomas Chazhikadan	663
Shri Bhagwant Mann	664-665
Shri Asaduddin Owaisi	666-669
Shri Nalin Kumar Kateel	670-672
Shri Vijay Kumar Hansdak	673
Shri N.K. Premachandran	674-676
Shri Tejasvi Surya	677-680
Shri Amit Shah	681-694

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	695
Member-wise Index to Unstarred Questions	696-701

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	702
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	703

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 11, 2020/Phalguna 21, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Now Q. No. 241, Prof. Sougata Ray.

...(व्यवधान),

(Q. 241)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, the Minister's reply is very sketchy. Even after the Supreme Court's Judgement, the Minister has not given a detailed reply. I would like to know from the hon. Minister whether he agrees with the view of his party's MP about Army's argument that women are inefficient at command levels, which is the highest form of hypocrisy. I also want to know whether the battle was against the misogynistic mindset of the bureaucracy and whether it has been tackled. I am asking the hon. Minister whether he is taking any steps regarding the attitude of the military and the misogynist attitude of the bureaucracy, as alleged by Smt. Meenakashi Lekhi, the Ruling Party MP.

...(Interruptions)

11.02 hrs

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

...(Interruptions)

श्री श्रीपाद येसो नाईक: सभापति महोदय, हमें यह कहने में खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने विकल्प दिया हुआ है, उसके ऊपर तैयारियां चल रही हैं। ...(व्यवधान) हम किसी के साथ, चाहे वह महिला ही क्यों न हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, पहले आर्मी में लेडीज के लिए परमिशन नहीं थी। कई सालों से यह चल रहा है और आज हमारे पास हजारों

लेडीज ऑफिसर हैं। आगे जो इनके लिए परमानेंट कमीशन के लिए बात हो रही है, हम परमानेंट कमीशन के लिए पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार पालन करेंगे। ...*(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: Please ask the second supplementary.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, the House is not in order over the suspension of seven Members of the Congress Party. I hope that you will sort out this problem. ...*(Interruptions)*

माननीय सभापति: आप क्वेश्चन पूछिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : सर, प्रश्न यह है कि अभी भी महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन बहुत कम है। आर्मी में केवल 65 हैं, नेवी में 9 हैं और एयर फोर्स में 382 हैं। कितने दिनों में यह संख्या बढ़ाई जाएगी और कब तक? ...*(व्यवधान)* हमारा देश जेंडर पैरिटी में दूसरे देशों से बहुत पीछे है। हम कब तक जेंडर पैरिटी को दूर करेंगे? अगर मंत्री जी इस बारे में बोलें और यह सस्पेंशन उठा लें तो अच्छा रहेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने महिलाओं के स्थायी कमीशन के बारे में जो कुछ बताया है, हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जानते ही होंगे कि जिन महिला ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन नहीं मिला है, उनके लिए तीन महीने के अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें तीन महीने का समय मिला है। उसमें जिन महिला ऑफिसर्स को कमीशन मिलना चाहिए, उनको कमीशन दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : श्री प्रसून बनर्जी - उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

(Q. 242)

श्री संतोष पाण्डेय: सभापति महोदय जी, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। हमारे यहां बस्तर, जिसको दंडकारण्य क्षेत्र भी कहते हैं और दंडकारण्य क्षेत्र में बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल हैं। माओवादियों द्वारा बीएसएनएल सहित अनेक कंपनियों के टावर गिराए गए हैं, जिनमें से अधिकांशतः आज तक खड़े नहीं हो पाए हैं। ऐसी स्थिति में टावर्स को खड़े करने के लिए शासन क्या कर रहा है? हालत यह है कि जंगल क्षेत्र में संचार तंत्र के अभाव में पुलिस मुझे दिन के उजाले में अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहती है। पिछले दस सालों में कितने टावर गिराए गए हैं, कितने बने हैं और उनमें से कितने टावर कार्य कर रहे हैं? कृपया आप यह बताने का कष्ट करें।

श्री संजय शामराव धोत्रे : माननीय सभापति महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा हैं, हमारे देश में करीब-करीब 5 लाख 69 हजार गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है। माननीय सदस्य ने खासकर ट्राइबल एरिया और लैफ्ट विंग एक्सट्रैमिज्म अफैक्टेड एरिया के बारे में सवाल पूछा है, उसका भी काम चल रहा है, लेकिन इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। टावर टूटने की भी समस्या आती है। अभी फेज़ 1 में 2,343 लोकेशन पर मोबाइल कनेक्टिविटी दी जा चुकी है और फेज़ 2 के अन्तर्गत 2217 जगहों पर टेन्डर प्रोसेस में है। उनका भी काम हो जाएगा और जिस तरह वहां पर टावर टूटने की समस्या आ रही है तो उनका भी काम चल रहा है।

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने लोक सभा क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र के साथ-साथ पूरे देश में नेपाल सीमा से लगे जनजातीय क्षेत्रों में पूर्व स्वीकृत व प्रस्तावित दूरसंचार सेवाओं के संबंध में पूछना चाहता हूँ, उदाहरण स्वरूप मेरे लोक सभा क्षेत्र के चंदनचौकी और गौरीफंटा गांवों में स्वीकृत परियोजनाएं पूर्ण न होने के कारण उक्त क्षेत्र में लोगों द्वारा नेपाल का प्रचलित नेटवर्क उपयोग में लाया जा रहा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक विचारणीय प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उक्त लंबित

योजनाओं के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों की सभी लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री संजय शामराव धोत्रे: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस तरह एलडब्ल्यूई फेज 1 व एलडब्ल्यूई फेज 2 है, उसी तरह से 354 अनकवर विलेजेज स्कीम हैं और सीटीडीपी फॉर एनईआर जो नार्थ ईस्ट के लिए कॉम्प्रेहेंसिव टेलीकॉम डेवलेपमेंट प्लान है और इसी तरह वर्ष 2022 तक पूरे देश में सभी गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सरकार का ऐम्बिशन प्लान है।

श्री अच्युतानंद सामंत: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की बात है, मेरा संसदीय क्षेत्र कंधामल जिला है। उसमें 2587 गांवों में से सिर्फ 768 गांवों में टेलीकॉम सर्विस उपलब्ध है। 1819 गांवों में यह सर्विस उपलब्ध नहीं है। Considering that 70 per cent villages in Kandhamal district do not have access to telecom services, I want to know from the hon. Minister whether the Government has formulated any scheme for expansion of telecom services in Kandhamal, Odisha.

श्री संजय शामराव धोत्रे: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एलडब्ल्यूई अफेक्टेड एरियाज में जो मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाती है, उसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से गांव चयनित किए जाते हैं। सम्मानीय सदस्य ने जो जानकारी पूछी है, मैं उसके बारे में उनको बता दूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.10 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the
Clock.*

12.31 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty One Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

12.31 hrs

(At this stage, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना स्थान लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही एक बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.32 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Thirteen of the Clock.

13.31 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty One Minutes past Thirteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । श्री जी किशन रेड्डी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O.4477(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th December, 2019, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.3245(E) dated 19th December, 2014 under sub-section (3) of Section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2184/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2018-2019.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2185/17/20]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2186/17/20]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tobacco 2 Board, Guntur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2018-2019.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2187/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

- (1) The Plugs and Socket-Outlets and Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Quality Control) Order, 2019 published in Notification No. S.O.4353(E) in Gazette of India dated 5th December, 2019.
- (2) The Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019 published in Notification No. S.O.4354(E) in Gazette of India dated 5th December, 2019.

- (3) The Aluminium Foil (Quality Control) Order, 2020 published in Notification No. S.O.687(E) in Gazette of India dated 13th February, 2020.
- (4) The Cables (Quality Control) Order, 2020 published in Notification No. S.O.280(E) in Gazette of India dated 21st January, 2020.
- (5) The Steel Tubes (Quality Control) Order, 2020 published in Notification No. S.O.281(E) in Gazette of India dated 21st January, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 2188/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):

Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Parliamentary Affairs for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 2189/17/20]

13.31 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

152nd and 153rd Reports

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

- (1) 152nd Report on the Demands for Grants 2020-21 (Demand No.10) of the Department of Commerce.
 - (2) 153rd Report on the Demands for Grants 2020-21 (Demand No.11) of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade.
-

13.32 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जा सकते हैं।

(i) Regarding regularization of bad debt by public sector banks

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा फ़र्मों को बंद करने और नौकरी के नुकसान को रोकने के लिए खराब ऋणों को नियमित करने के लिए बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुझाव दिया गया है कि जहां ऋण राशि 200 करोड़ रु. से कम है, बैंक मौजूदा प्रमोटरों के साथ काम करें, ताकि कंपनियों को बंद करने और नौकरी के नुकसान को रोकने के लिए दीर्घकालिक समाधान, जिसमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी शामिल है, निकालकर फ़र्मों को बंद होने से बचाया जा सके।

लेकिन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इन बैंकों को अनावश्यक रूप से लघु एवं मध्यम व्यवसायियों के अकाउंट को एन. पी. ए. घोषित करके एन. सी. एल. टी. (नेशनल कंपनी लॉ ट्रीबुनल) में भेजा जा रहा है। जिसकी वजह से ये फ़र्में न केवल बंद हो रही हैं बल्कि इनमें कार्यरत कर्मचारी भी बेरोजगार हो रहे हैं।

अतः इस संबंध में, मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने और देश के ऐसे लघु एवं मध्यम व्यवसायी, जिनके 200 करोड़ रु. से कम के ऋण हैं तथा जिनके अकाउंट्स को बैंकों द्वारा अनावश्यक रूप से

* Treated as laid on the Table.

एन. पी. ए. घोषित करके उन्हें एन. सी. एल. टी. (नेशनल कंपनी लॉ ट्रीबुनल) में भेजा जा रहा है
उन बैंकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

(ii) Need to restore operation of rail services on Lakhimpur-Mailani-Bahraich railway line in Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। रेल परिवहन की मात्र एक रेल लाईन लखीमपुर मैलानी होते हुए बहराईच तक जाती है जिसका मात्र आधा हिस्सा ब्रॉडगेज परिवहन से (लखनऊ-मैलानी) जुड़ सका है तथा शेष रेल लाईन (मैलानी-बहराईच) को दुधवा नेशनल पार्क (वन क्षेत्र) होने के कारण ब्रॉडगेज हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिल सका था, परन्तु अब उक्त रेल लाइन को पूर्णतया बन्द करने का फैसला रेल मंत्रालय ने लिया है, जिससे ससंदीय क्षेत्र के लोगों में भारी आकोश है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि प्रस्तावित वैकल्पिक रेल मार्ग (पलिया-निघासन-बेलरॉया) बन जाने तक उक्त रेल मार्ग को यथावत चलाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(iii) Need to construct a ring road in Kurukshetra, Haryana

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं सरकार का ध्यान कुरुक्षेत्र की एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र महाभारतकालीन विश्वप्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। वहाँ पर 134 धार्मिक स्थल हैं। प्राचीन व विश्व प्रसिद्ध स्थल होने की वजह से वहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक और धार्मिक श्रद्धालु आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कुरुक्षेत्र जाने के लिए एक ही सड़क है जो शहर के बीच से निकलकर कैथल-पेहवा-पुनरी की तरफ निकलती है और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है। उसके उपर बहुत भीड़ रहती है और पूरा शहर ट्रैफिक समस्या से परेशान रहता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक रिंग रोड बनाई जाए ताकि कुरुक्षेत्र के लोगों को तथा देश-विदेश से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को ट्रैफिक समस्या से निजात मिल सके।

(iv) Need to categorise lac cultivation as an agricultural activity in Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों में एक पलाश सभी जिलों और प्रखंडों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पलाश पर लाख (लाह) की खेती अन्नदाता की कृषि प्रणाली के समानांतर है लेकिन झारखंड में लाख की खेती को इसके बावजूद वन उत्पादन की श्रेणी में रखा गया है।

भारत देश का सबसे बड़ा लाख (लाह) उत्पादन राज्य झारखंड है और इसके बढ़ने की भी पूरी संभावना है। भारत द्वारा उत्पादित लाख विश्व के 50 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है और वहाँ सामग्रियों का निर्माण कर महंगे दामों में भारत को बेचा जाता है। लाख का उपयोग कौसमेटिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, मशीनरी, डिफेंस, फूड इंडस्ट्री इत्यादि सभी जगहों पर उपयोग किया जाता है। पलाश और अन्य लाख पोषक वृक्षों के संरक्षण - संवर्धन और प्रबंधन की व्यवस्था किसानों को देने की जरूरत है। जिसके माध्यम से लाखों ग्रामीण स्वरोजगार प्राप्त कर बेरोजगारी, पलायन और भुखमरी से निजात पा सकते हैं और राज्य के ग्रामों में लघु एव कुटीर उद्योग की स्थापना सरलता से की जा सकती है। इस कार्य में 90 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता होती है।

वन विभाग, झारखंड के अधीन कुल 12 लाह फार्म हैं जो विभाग की निष्क्रियता के कारण राज्य को अरबों का आर्थिक नुकसान उठाना पर रहा है। उन 12 लाह फार्म में से एकमात्र पलामू के कुंदरी लाह बागान को ग्रामीणों की जागरूकता और निस्वार्थ भावना के कारण उत्पादन शुरू कराया जा सका है। जो पुनः बर्बादी के कगार पर खड़ा है। वन विभाग के खर्च और उत्पादन की तुलना करने से ही स्पष्ट हो जाएगा।

मेरी सरकार से मांग है कि लाह के विकास और झारखंड के स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के लिए लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए। साथ ही लाह पोषक वृक्षों के संरक्षण -संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार स्थानीय ग्रामीणों को दिया जाए।

(v) Need to include Padalse Irrigation Project in Maharashtra under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): The Padalse Project on the Lower Tapi River is an important irrigation project in Amalner taluka in my Jalgaon constituency. The project will provide irrigation and drinking water supply to nearly 60 villages in Amalner, and Talukas in Jalgaon and Dhule districts. I regret to inform that even after 70 years of Independence, there are few projects on the Tapi and Girna rivers for the benefit of farmers of North Maharashtra, despite being one of the leading cotton and banana producers in the country. This has also led to many farmer suicides. Now, to make use of advanced technologies and know-how for the Padalse Project, I appeal to the Government to include it in the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. This will improve the efficiency and reach of the project through components like More Crop Per Drop and Accelerated Irrigation Benefit Programme.

**(vi) Need to provide compensation to farmers in Churu Parliamentary
Constituency, Rajasthan**

श्री राहुल कस्वां (चुरु): मेरे संसदीय क्षेत्र चुरु (राजस्थान) में पिछले दो दिन से भारी वर्षा व ओलावृष्टि हो रही है जिससे नोहर के कर्मसाना, गोरखाना, असरजाना, बिरकाली, भादरा के राखी बोझला, भाडी, रतनगढ़ के गोरीसर, सातड़ा, मोतीसर छोटा, चुरु तहसील के जसरासर, पोटी, बीनासर, रामपुरा, खारिया एवं राजगढ़ तहसील के सुरतपुरा, सदाउ, लूटाना, बीसलान, श्योपुरा, लूदी, इंदासर, गोठयां, जसवंतपुरा और सरदारशहर के सारसर, उदासर, भेरूसर, दान्दूसर, भदासर, बंधनाउ, गांवों में किसानों की रबी फसल में चना, गेहूं, सरसों, जो, तारामीरा आदि फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा सुजानगढ़ व रतनगढ़ तहसील के किसानों की पकी हुई कटाई की गई फसल वर्षा से भीगने के कारण नष्ट हो चुकी है।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अधिकांश गांवों में तूफान, ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा से किसानों के खेतों में खड़ी फसल एवं कटाई की गई फसल को हुए नुकसान का आंकलन करवाकर किसानों को मुआवजा प्रदान करवाने की कृपा करें।

(vii) Need to provide adequate medical facilities in Government Medical College, Orai in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र के जालौन गरौठा भोगनीपुर के अंतर्गत जिला जालौन के मुख्यालय उरई में राजकीय मंडिकल कॉलेज स्थित है इसमें रोगियों के उपचार हेतु जरूरत के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध नहीं है यह मात्र एक इमारत बनकर रह गया है। इस मेडीकल कॉलेज में जैसे कि न्यूरोलॉजी, नेफोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डायलेसिस, मॉडर्न आईसीयू एवं अन्य मेडिकल साइंस से संबंधित सुविधाएं यहां पर नहीं है खासकर यहां पर कैंसर रोगियों के समुचित इलाज के लिए कोई भी उत्तम सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में रोगियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आधुनिक उपकरण एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से वंचित इस मेडिकल को सभी यथासंभव सुविधाएं दिलाने का कष्ट करें जिससे जिला जालौन के अति आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो झांसी या कानपुर जाने में सक्षम नहीं है वो भी आधुनिक चिकित्सा का लाभ हो सके।

(viii) Need to include Hatya Haran, a mythological place in Misrikh

Parliamentary Constituency in Ramayana Circuit

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): यह प्रसन्नता की बात है कि केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत देशभर में टूरिस्म को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर ध्यान देते हुए "रामायण सर्किट" के विकास के लिए तेजी से कार्य प्रारम्भ किया है और "रामायण सर्किट" यानि भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थलों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें देश के कई राज्यों के उन 15 स्थानों को चुना गया है, जहां से श्री राम गुजरे थे।

उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में बालाभाऊ विधान सभा क्षेत्र में स्थित हत्याहरण एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ स्थित हत्याहरण कुंड श्री भगवान राम से गहरा ताल्लुक रखता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहाँ आए तो स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। यहाँ पर देश के दूरदराज क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी एक बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आनाजाना लगा रहता है। हत्याहरण धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। भादों के महीने में प्रत्येक रविवार को यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से राज्य के अयोध्या, अंगवेरकर, चित्रकूट, नंदीग्राम एवं देश के दूसरे राज्यों के अन्य स्थल, जो भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, का रामायण सर्किट योजना में चयन किया गया है, उसी प्रकार से हत्याहरण धार्मिक स्थल को भी इस योजना में शामिल किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

(ix) Need to provide adequate compensation to people who suffered loss of crops, livestock, life and property due to heavy rains, hailstorms and lightning in Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): पलामू प्रमंडल यथा पलामू, गढ़वा, लातेहार सहित झारखंड के अन्य जिलों में भारी बारिश एवं ओलावृष्टि से रबी फसलों के साथ-साथ कच्चे मकानों का भारी नुकसान हुआ है। विदित है कि दिनांक 24, 25 फ़रवरी को पलामू प्रमंडल में 36 मिमी रिकॉर्ड भारी बारिश हुई है। मेदिनीनगर में 36.2 मिमी, चैनपुर में 16 मिमी, विश्रामपुर में 10.4 मिमी, पांडु व पड़वा में 15.2 मिमी, ऊंटारी रोड में 16.6 मिमी, मोहम्मदगंज 14.2 मिमी वर्षा के कारण किसानों की रबी फसलों एवं कच्चे मकानों को काफी नुकसान हुआ है तथा आसमानी बिजली गिरने से पलामू प्रमंडल एवं चतरा में 5 लोगों की मृत्यु हुई है साथ ही पशुओं की भी भारी क्षति हुई है। उक्त परिस्थिति में केंद्र सरकार से मेरी मांग है की राज्य सरकार से परामर्श कर पीड़ित परिवारों को अविलंब मुआवजा देने संबंधी आवश्यक कार्यवाई करने की कृपा की जाय।

(x) Need to expedite the construction of an over bridge on level crossing at Hulas Nagla in Sahajahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मैं लोकसभा क्षेत्र शाहजहाँपुर से सदस्य चुनकर आया हूँ । राष्ट्रीय राजमार्ग-24 बरेली-सीतापुर के बीच में हलासनगला रेलवे क्रॉसिंग पर हर समय जाम लगा रहता है, जाम की वजह से एम्ब्युलेन्स के फँसने से कई मरीजों की मृत्यु हो चुकी है तथा कई बड़ी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं । आम जनमानस घंटों जाम में फँसे रहते हैं । जाम के कारण विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यालय समय से नहीं पहुँच पाते हैं तथा कई विद्यार्थियों की परीक्षा भी छूट जाती है । ओवरब्रिज निर्माण का कार्य कई वर्षों से लंबित है ।

मेरा अनुरोध है कि लंबित ओवरब्रिज निर्माण को जल्द से जल्द प्रारम्भ करवाया जाए ।

(xi) Regarding payment of Kisan Samman Nidhi to farmers in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोक सभा क्षेत्र भीलवाड़ा राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं इसमें सर्वाधिक लघु सीमान्त किसान हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 6 हजार रुपये की कुल सहायता प्रतिवर्ष दी जा रही है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के भीलवाड़ा जिले में 1800 राजस्व गांवों में से लगभग 100 से अधिक गांवों के किसानों को इस योजना लाभ नहीं मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर जांच करने पर अवगत कराया गया कि गांव का कोड योजना की वेबसाइट पर अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा की तरफ से समुचित कार्यवाही कर राज्य स्तर पर अवगत कराया गया परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है।

मैं विषय की गंभीरता को समझते हुए माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसका तत्काल समाधान कर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने के निर्देश प्रदान करावें।

(xii) Need to run Mail express trains between Giridih and Ranchi

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): गिरिडीह से वाया जमुआ, राजधनवार, कोबाड, नवाडीह, महेशपुर, कोडरमा टाउन, कोडरमा जंक्शन, बरही, पदमा, कटकमसांडी, हजारीबाग टाउन, चरही, बरकाकाना, रामगढ़ होते हुए राँची तक नई रेल लाईन का निर्माण हुआ है, वर्तमान में नाममात्र की एक पैसेंजर गाड़ी ही चलायी जा रही है अभी तक इस रेल खंड पर कोई भी मेल एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलाई जा रही है, इस क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि नई रेल लाइन पर गिरिडीह से राँची के बीच प्रतिदिन कम से कम दो जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ी का परिचालन प्रारम्भ कराया जाए, जिससे इस रेल खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुगम रेल यात्रा संभव हो सके। नई रेल खंड के निर्माण से आम लोगों को काफी उम्मीद जगी थी, लेकिन मेल एक्सप्रेस गाड़ी के परिचालन नहीं होने से स्थानीय नागरिक काफी निराश हैं। अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि जनहित में गिरिडीह से वाया कोडरमा हजारीबाग रामगढ़ होते हुए राँची तक दो जोड़ी नई मेल एक्सप्रेस गाड़ी का परिचालन प्रारम्भ कराया जाए।

(xiii) Need to provide stoppage of Gandhidham Express (train No. 19336)**Veraval Express (train no. 19320) at Dakor railway station in Gujarat**

श्री देवसिंह चौहान (खेड़ा): मेरे लोक सभा क्षेत्र खेड़ा (गुजरात) से लंबे समय से डकोर रेलवे स्टेशन में स्थानीय और तीर्थयात्रियों की गाड़ियों का ठहराव की मांग है। डकोर भगवान श्री कृष्ण का स्थान है। द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण पहले द्वारका से इस स्थान पर आए थे। इस पवित्र स्थान के कारण हर दिन बहुत सारे तीर्थ यात्रियों का दौरा किया जाता है। मैं यह भी ध्यान दिलाता हूँ कि अगर आप अहमदाबाद और वडोदरा रेलवे स्टेशन के साथ तुलना करते हैं तो डकोर रेलवे स्टेशन में एक लम्बा प्लेट फार्म स्थापित है। इस स्टेशन में एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है। दो ट्रेनें भी हैं जो डकोर रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं यानी गांधीधाम एक्सप्रेस (19336) सोमवार को चलती है और दूसरी ट्रेन वेरावल एक्सप्रेस (19320) बुधवार को चलती है लेकिन दोनों ट्रेनें डकोर रेलवे स्टेशन में नहीं रूकती हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया उक्त ट्रेनों का ठहराव डकोर रेलवे स्टेशन पर प्रदान करें, ताकि स्थानीय और तीर्थयात्री लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें।

(xiv) Need to construct Bypass on NH 113 at Ghatol in Banswara**Parliamentary Constituency, Rajasthan**

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर राजस्थान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 पर निम्बाड़ा से दाहोद तक चल रहे कार्य की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस राजमार्ग के बीच में प्रतापगढ़, पीपलखुंट घाटोल व बांसवाड़ा, राजस्थान तक कार्य पूर्ण होने जा रहा है परन्तु घाटोल के पास इस राजमार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। अगर इस राजमार्ग पर घाटोल में बाईपास निकाल दिया जाये तो उससे न केवल दुर्घटनाएं कम हो जायेगी बल्कि यातायात भी सुचारू रूप से चलाने में सुविधा होगी। क्षेत्रवासियों द्वारा इस बाईपास को बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 पर घाटोल बाईपास की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिससे बाईपास का कार्य अविलम्ब शुरू कराया जा सके। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी।

(xv) Need to address the problems being faced by Ambulance workers in the country

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Ambulance workers across the country have immense problems than we understand. A concerted view to address their genuine problems have never been attempted by any authority. The prevalence of post-traumatic stress, symptom and mental health problems, largest mortality rate among ambulance workers, lack of financial reward are some of the major areas which needs to be studied for their welfare. Ambulance workers face different challenges in urban and rural areas. No comparative study has been done between ambulance workers and the normative working population.

It is requested that the Govt should consider to undertake a study on their work culture and welfare measures including ESI, Insurance, and Pension could be extended to them.

(xvi) Regarding restoration of train service between Mayiladuthurai and Tharangambady in Tamil Nadu

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): I would like to bring to your kind notice that in 1926, a metre-gauge train service was commissioned between Mayiladuthurai to Tharangambady under Trichirappally Railway Division for a distance of 30 km by connecting Mayiladuthurai, Mannanmpandal, Sambabankovil, Akkur, Thiirukkadadiyur (famous Sadabishagam temple), Thillayadi, Povayan and Tharangambady . These places are of historical, religious, cultural , commercial and educational importance. But the railway line was closed/abandoned in 1987 against the interest of the people.

The first Lutharan Christian missionary to India namely Ziegenbaalg landed here. This is an ancient coastal town and educationally developed place. The first wooden printing press in India was established here. There was a Danish settlement and its fort dansborg is now maintained by the Archaeological department. There is a Transquebas society still in Denmark. During the British period Thanrangambady was occasionally used as their Headquarters. This place is full of ancient monuments.

There is one Hindu Temple Shri Masilamaninathar in the seashore. Thillaiyadi is the birth place of freedom fighter Valliyammai who was a close associate of Mahatma Gandhiji in South Africa. Gandhiji came to this village in 1915.

Like bicycle, train continues to be poor man's transport. When the whole nation marches on Railway wheels elsewhere, this region is underdeveloped. As a responsible senior citizen, I feel this to be my god-boundan duty to bring it to your consideration to restore the train service from Mayiladuthurai to Tharangambady to redress the long pending grievance of the general public.

**(xvii) Regarding decline in export of human hair and articles
of human hair**

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): The export of human hair and articles of human hair from India has been on decline from USD 341.53 million to USD 245.10 million during the years 2014 to 2018 whereas increased by quantity from 3,746 tonnes to 4679 tonnes in the same period.

This variation is because of the raw material Goli/Chutti is being exported in tonnes under invoicing to China, Myanmar by unscrupulous traders. Under invoice of worked/unworked human hair is now being exported at a very cheaper rate from Tirchy, Hyderabad, Kolkata, Chennai via Sea or Air through unscrupulous traders. As a result around 6 lakh people have lost their jobs due to non-availability of raw hair.

Hence, I request the Government to kindly add the export of Raw Hair/Goli/Chutti or Tutti under the HS Code 0501 as restricted item and issue a notification to export of processed or semi processed hair that is being illegally smuggled under the HS Code 6703 at a minimum export pricing.

(xviii) Need to take immediate precautionary steps to check Covid-19

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): COVID-19 infection broke out in China's Wuhan City in December and has spread to over 60 countries, killing more than 3300 and infecting over 90,000. The costs of medical expenses during the course of treatment, including the treatment during quarantine are very high and the common man is unable to afford it. Scarcity of standard N-95 masks are also posing problems. Citizens of the country are in panic due to the epidemic virus. The survival of various companies which are exporting materials to the various countries is at stake because of ban as a part of precautionary measure. The airlines are on the verge of closure due to cancellation of large number of flights. The entire world will face the serious impacts of the epidemic disease. After China, Italy, Iran and Korea are worst reported countries of the virus. The entire Gulf sector stopped all flights to such places. This will seriously affect lakhs of Indians working abroad. I urge upon the Government to take immediate precautionary steps to deal with the situation at the earliest.

**(xix) Regarding extension of benefits under the Pradhan
Mantri Awaas Yojana**

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए केंद्र शासन की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई थी उसे 'अ' लिस्ट नाम दिया गया था, उसमें से छननी करके जिनके घर लिस्ट में से निकाल के अलग से ब लिस्ट बनाई गई जिसको शासन की तरफ से मान्यता मिल गयी। उसमे से बहुत सारे आवास अब तक बन चुके हैं। लेकिन जिनके पास खुदका घर नहीं है, या फिर जिनके पास घर है लेकिन वो कच्चा (मिट्टी का) बना हुआ है लेकिन बाद में केंद्र शासन की तरफ से सुझाव आया कि जो लोग ब लिस्ट में समाविष्ट नहीं हैं लेकिन बेघर हैं या फिर उनके घर पुराने (कच्चे) हो चुके हैं उनके लिए ग्रामसभा का आयोजन करके और एक लिस्ट बनाई जाए जिसको ड लिस्ट कहा जाता है लेकिन अब तक इस ड लिस्ट को केंद्र शासन की तरफ से मान्यता न मिलने की वजह से बहुत सारे लोग जो गरीब हैं और वो खुद का घर नहीं बना सकते वह लोग इस लाभ से वंचित हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इस ड लिस्ट को तुरंत मान्यता देकर इस ड लिस्ट में समाविष्ट लोगों को खुद से घर मिले और उनका अपने घर का सपना साकार हो जाए।

(xx) Need to set up a modern Library in Nalanda University, Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): नालंदा अन्तर्गत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुनर्निर्माण की अति आवश्यकता है। आप जानते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का केन्द्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450-470 ई० के बीच किया था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। यहां पर करीब 10 हजार से अधिक छात्रों के पठन-पाठन की व्यवस्था थी और करीब 2 हजार से अधिक अध्यापकों की संख्या थी। ये सभी विद्यार्थी अधिकतर विदेशी थे, जो मुख्यतः कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इण्डोनेशिया, फ्रांस, तुर्की आदि देशों के होते थे। उनके लिए यहां विशालकाय पुस्तकालय भवन थी था। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में करीब 3 लाख से अधिक ज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। नालंदा उस समय भारतवर्ष में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केन्द्र था। महायान बौद्धधर्म के इस शिक्षा केन्द्र में हीनयान बौद्धधर्म के साथ ही अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत था। विद्वानों का मत है कि यहां धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहां खगोल-शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। इस विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में स्थित पुस्तकालय नौ-तेल का था, जो हजारों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन का केन्द्र था। इस बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष के खोज का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है।

सन् 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी, जो बिहार का मुगल शासक भी था, ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे तीन महीने तक यहां पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने प्राचीन भारत की उपलब्धि को नष्ट करने के लिए यह सब कर कार्य किया।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन पुस्तकालय की तरह ही एक आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार पूरा सहयोग प्रदान करे, जिससे कि भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी हासिल हो सके।

(xxi) Need to enhance the sugarcane price

श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज किसान बहुत परेशान है। किसानों की सबसे प्रमुख समस्या कृषि लागत में कई गुना बढ़ोतरी है। उदाहरण स्वरूप डी.ए.पी., यूरिया, पोटाश, बीज, कीटनाशक आदि के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साथ डीजल और बिजली की मंहगाई की वजह से लागत भी बढ़ी है। पिछले तीन सालों में गन्ने के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और न ही गन्ना खरीद का बकाया भुगतान हुआ है। लागत और फसलों के दाम में भारी अन्तर के चलते किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। ऐसे में किसान मौसम की मार तो झेलता ही है साथ ही साथ सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी की वजह से आत्महत्या कर लेता है।

आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसान बहुत ही लाचार और परेशान है। ऐसे में सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को कहती है। हम भी चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो लेकिन यही हाल रहा तो यह कैसे सम्भव होगा। महोदय, किसान देश के इकोनमी की रीढ़ की हड्डी होता है इसके बावजूद सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की गम्भीर समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र गन्ने का दाम बढ़ाया जाए व गन्ने खरीद का बकाया भुगतान जल्द से जल्द से दिलाया जाये व फसलों को भी मूल्य लागत के अनुपात में बढ़ाया जाये। साथ ही साथ किसानों के के.सी.सी. लोन पर ब्याज 0 प्रतिशत किया जाए।

(xxii) Need to enhance the pension under EPS - 95

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): मैं बताना चाहूँगा कि 30-35 वर्षों तक 417-1250 रुपये की मासिक राशि जमा करने के बाद ईपीस - 95 योजना के तहत पेंशनरों को केवल 2002500 रुपये की पेंशन मिलती है। जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, जमा राशि को भी 2008 से वापस नहीं किया जा रहा है। बार - बार अलग-अलग नियमों के कारण 1000 न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी 28 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन राशि से वंचित है।

मैं निवेदन करता हूँ की ईपीस - 95 पेंशनरों को दी जाने वाली 7500 रु. मूल पेंशन दी जाये, इसके अलावा पेंशनर और परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए और बचे हुये ईपीस - 95 कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए और 5000 रु. की पेंशन दी जाए।

(xxiii) Need to bring a legislation to ban superstitions

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): India needs a legislation against superstitions. What should be incorporated the law should be debated. Imperative need of the hour is a strong law that will ban common occult culture and superstitions. Since a law alone cannot bring about a change, scientific temper should be encouraged by including it at the level of school curriculum. Political parties and public should be encouraged to promote it through state sponsored campaigns. This Government should initiate the process right now.

(xxiv) **Regarding development of Kollam Port in Kerala**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The potential of the Kollam Port is not considered by the Union Government. This is a customs notified port. But it is not declared as an authorised port of entry and exit. Permission from Ministry of Home Affairs, is required for sign of embarkation or sign of disembarkation. The foreign vessels are reluctant to call at Kollam Port in the absence of immigration facilities. The Government of Kerala have launched coastal shipping operation. The container transportation between Vallarpadam and Kollam Port is highly inevitable. The establishment of Immigration Office at Kollam Port is highly essential for the clearance of EXIM containers. The absence of immigration office and permission from Ministry of Home Affairs is delaying the development of the port.

Hence, I urge upon the Government to give special permission for sign of embarkation and sign of disembarkation and establish an Immigration Office at Kollam Port.

13.34 hrs**SUBMISSION BY MEMBERS**

**Re: Termination of Suspension of Members
from the service of the House under Rule 374**

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कुछ दिनों की अफरा-तफरी, गतिरोध के बाद फिर आप चेयर पर विराजमान हो चुके हैं। यह हम सभी के लिए बड़ी संतुष्टि की बात है, क्योंकि हम सभी आपका बहुत सम्मान करते हैं।

Sir, you are holding the exalted Chair and you trust that we never entertain and, even remotely in wild imagination, it has been never been nurtured by us to dishonour the Chair and disturb the decorum and etiquette of this House.

सर, यह कभी-कभी हो जाता है, सभी समझते हैं, यह आज की बात नहीं है, यह पहले भी हुआ है। इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के बराबर आपके पद की मर्यादा है। आपको स्वयं कास्टिंग वोट डालने का अधिकार है। आप सदन में जो करें, इसके बारे में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपके कहने पर मनी बिल सर्टिफाइड होता है। आप बहुत बड़े पद का कार्य भार गरिमा के साथ पालन करते हैं।

लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जिसे हम नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी भी नहीं चाहती है। अगर देखा जाए, तो 14वीं लोक सभा में 421 घंटे बर्बाद हुए थे, 15वीं लोक सभा में आठ सौ घंटे बर्बाद हुए थे। केवल 15वीं लोक सभा के छठे सत्र में 124 घंटे बर्बाद हुए थे। पहले से यह है। लेकिन आप तय करें कि इसे किसी भी हालत में निपटाना चाहिए, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सदन की मर्यादा को पूर्णता देकर हम सब सदन की गरिमा को बरकरार रखें। हम यहाँ चर्चा करने के लिए आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ चर्चा

करना होता है। यहाँ हम कोई तकलीफ देने या सदन में गतिरोध पैदा करने का मकसद लेकर नहीं आते हैं। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं, जिसको हम भी काबू में नहीं रख पाते और सत्तापक्ष के लोग भी काबू में नहीं रख पाते हैं। इसलिए किसी-किसी समय ऐसा हो जाता है। इसके कारण हमारी पार्टी के सात मेम्बर्स को निलम्बित किया गया।

मेरी आपसे दरखास्त है, हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ गलतियाँ की होंगी, मैं यह नहीं कहता हूँ कि किसी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन इसके पीछे तफ़्तीश होनी चाहिए। तफ़्तीश करने के बाद आप निर्णय कीजिए। अगर एक घटना कारण पूरे सत्र के लिए निलम्बित किया जाए, तो यह ज्यादा हो जाता है। एक कबूतर मारने के लिए उम्रकैद की सज़ा न हो, मैं यह जरूर कहूँगा।

हमारे जो सात मेम्बर्स निलम्बित हो चुके हैं, उनको वापस लाया जाए और सदन का परिचालन सुचारू रूप से किया जाए, यह मेरी आपसे दरखास्त है।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, we feel glad that you are adorning the Chair of the Speaker today. It seems that you were very upset for the past one week, but today we are all happy and it is better. You should not have any concern over these very small issues as compared to the things that are happening in the Lower Houses of various States.

At the same time, the hon. Speaker has taken a decision to name the Members of Parliament who have gone wrong or who have committed misconduct. According to Rule 373, the intention of the Speaker was to suspend them only for one day whereas my friend in the Ruling Party has taken advantage and brought that Resolution under Rule 374. Hence, their suspension got extended for one full Session.

Anyhow, things are coming to an end. I think that the hon. Speaker with a great heart will kindly condone all those types of misconduct and see that all the seven Members of the Congress Party are brought to the House without any further delay. Thank you very much, Sir.

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले पूरे सदन को इस बात की खुशी है कि आज आप पीठासीन हुए हैं। यह आपका स्थान है और आपने अपना स्थान ग्रहण किया है। आपके बिना इस सदन की मर्यादा कम हुई। हम सबके मन में बहुत पीड़ा थी कि आपके मन में इतनी पीड़ा हुई है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तफ़्तीश की जाए, लेकिन अब तो तफ़्तीश की कोई बात ही नहीं है। आपने ऑल पार्टी मीटिंग में जो बड़प्पन दिखाया है, उसका सबके सामने इज़हार हुआ है। बड़प्पन दिखाते हुए आपने खुद अपनी तरफ से कहा कि होली के सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सब

भूल-चूक माफ करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं सदन की बड़ी पार्टियों से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हम छोटी पार्टियों से कुछ सीख लें। बीजू जनता दल या और भी कई पार्टियाँ हैं, जो कभी वेल में नहीं आती हैं, कभी कार्यवाही को डिसरप्ट नहीं करती हैं, आज तक कार्यवाही को डिसरप्ट नहीं किया है। इसलिए अगर कुछ छोटी सीख हम दे सकते हैं, तो हम से लीजिए।

आदरणीय स्पीकर महोदय, आज आप वापस पीठासीन हुए, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। हम आशा करते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट के पहले दो सत्र चले थे, जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और पूरे देश ने इसकी चर्चा की थी और माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इसकी चर्चा की थी तथा इसकी वाहवाही हुई थी। आपकी लीडरशिप में यह वाहवाही आगे चलती रहे, हम यही आशा और कामना करते हैं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, may I join rest of my colleagues in thanking you for coming back to the Chair of high honour? The House was feeling like an orphan without your presence. There was nobody to protect our rights and interests. We are happy that the father of the House, the Speaker of the House has come back. Please do not do nit-picking. What you are doing is called 'nit-picking'. Appreciate the sentiment.

We had a very fruitful meeting in your Chamber. Fortunately, we came to the conclusion that all's well that ends well. We discussed the incidents in the House over the last week and we also came to the conclusion that what had happened was not desirable. It is the duty of all of us to uphold the dignity and majesty of the House, which is representative of the people of this country. I am sure that after today that atmosphere will remain; that we shall all strive to keep harmony in the House; and refrain from any action that impinges on the dignity of the House and the unity of the Members.

We, as Opposition, raise our small issues, our demands like we have been demanding for a discussion on the Delhi riots which will happen today but our party, our Chief Minister Mamata Banerjee, has instructed us not to go into the Well of the House. Even if we are leaving the seats, some times, it is actually in violation of what she said. So, we commit to you that we shall cooperate with you in keeping the dignity of the House.

In this context, I refer to my friends from the Congress benches, who have been suspended under a motion moved by the Minister of Parliamentary

Affairs, I do not defend whatever they said or whatever they did, but they are Members of the House, elected by more than 1.5 million people, and their absence in the House would deprive that large section of people from being represented in the House.

At the end of it all, with you back in the Chair, with your magnanimity, your generosity, please call our young friends back to this House. Let this House be a composite whole again with you in the Chair.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको अपने आसन पर देखकर हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। पिछले कई दिनों से आप सदन में नहीं आ रहे थे, उससे पूरा सदन काफी दुखी था और आज आप पुनः आसन पर विराजमान हुए हैं, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं।

महोदय, यह सदन देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है। यहां हमको हमारी जनता इस बात के लिए चुनकर भेजती है कि सांसद के रूप में, संसद सदस्य के रूप में जो हमारा दायित्व है, हम उसका निर्वहन करें, कानून बनाएं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करें, पक्ष और विपक्ष करें। कभी-कभी हमको यह गलतफहमी हो जाती है कि इस तरह के व्यवहार से जनता बड़ा खुश हो रही होगी, हमें पूरा देश देखता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता हमें ऐसे देखती है तो वह हमारा बहुत ही मजाक उड़ाती है कि इनको भेजा किसलिए और ये क्या काम कर रहे हैं, इसलिए, हमको यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के संरक्षक हैं, हम सभी के संरक्षक हैं। संरक्षक के रूप में आपने 17वीं लोक सभा के गठन के बाद से सदस्यों को संरक्षण देने का जो आपका दायित्व है, उसका आपने बखूबी निर्वहन किया है। आपने सभी माननीय सदस्यों को बराबर मौका दिया है।

लेकिन इसके साथ-साथ संरक्षक को भी हम सभी सदस्यों का, पूरे सदन का सहयोग चाहिए, तभी आप संरक्षक की भूमिका सही ढंग से निभा पाएंगे। इसलिए हमारा भी दायित्व है, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक संरक्षक को सही दिशा में चलने के लिए पूर्णतया अपने अधिकार की मांग आपसे करते हुए, हम आपको सहयोग करें। हमें आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम आगे से इसका पालन करेंगे और संरक्षक को पूर्ण सहयोग करेंगे।

मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको आश्चस्त करता हूँ और जो कुछ भी हुआ है, अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी सदस्य, जो हमारे साथी हैं, वे सदन से बाहर हैं। आप

स्वतंत्र हैं, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार हैं, हम सभी आपको अधिकृत करते हैं कि आप उन सदस्यों को वापस लाने के लिए जो भी उचित निर्णय हो, वह लें। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): At the outset, we are extremely happy to see our beloved hon. Speaker back in the Chair.

Sir, the incident which has compelled you to suspend the seven hon. Members should not have happened. I personally interacted with most of them, they all were feeling bad for that incident. That should not have happened. That feeling is there with everyone. Therefore, in view of this, I request the hon. Speaker to kindly pardon them considering this as their first mistake.

Hereafter, please bring about certain rules. If you recollect, in the very first Session of the 17th Lok Sabha, the House has not adjourned even for one minute. We all believe that we should bring about new rules that bringing placards in the House should not be allowed....(*Interruptions*). Every Opposition Member will have the right to protest, everyone will have the options to protest, but this is not the way to allow them to come to Well of the House and all that. It is not right....(*Interruptions*). Please bring about the rules whereby discipline and decorum will be maintained. Let the decorum of the House be maintained. Again, I request you on behalf of my Party to lift the suspension of the hon. Members. This is the request from my Party to allow all the suspended Members to come back.

श्री विनायक भाउराव राजत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदय, मैं तहेदिल से आपका स्वागत करता हूँ। आपके बारे में, हम सभी सदस्यों के बीच में एक आदर्श है कि आपने जिस तरीके से हम सभी सांसदों को अपने विचार रखने का मौका दिया है। सदन की गरिमा को आपने अपने कार्यकाल में ऊंचा करने का काम किया है। सहज ही है कि हम आपको हमेशा इस चेयर पर बैठे देखते हैं, लेकिन दुख की बात थी कि हम पिछले तीन-चार दिन से आपको नहीं देख रहे थे, लेकिन आज आप बड़े आनंद से यहां बैठे हैं। भविष्य में भी यही आनंद आपके दिल में, हमारे दिल में, सभी के दिल में बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे भारत की लोकशाही की कई स्थानीय संस्थाएं, विधान सभा, विधान परिषद और लोक सभा में अलग-अलग तरीके बनाकर रखे गए हैं, लेकिन संसद पूरे देश में एक आदर्श परम्परा का निर्माण करने वाली सभागृह है। इसीलिए हम इस देश की लोकशाही की जो परम्परा है, उसको अच्छा रखने के लिए, अच्छी चर्चा हर एक विषय पर होनी चाहिए और अच्छी चर्चा होकर अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने की हमेशा आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र विधान सभा के एक ज्येष्ठ सदस्य थे, जो 15 साल तक महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने लोक प्रतिनिधियों के लिए आदर्श आचार संहिता के बारे में एक अच्छी किताब लिखी है। उसमें मराठी में उन्होंने एक जगह लिखा है कि हर एक प्रतिनिध को ऐसा करना चाहिए, उन्होंने मराठी में लिखा है- तोल सम्भालुण, बोल लावावा।

इसका मतलब यह है कि आप जुबान से ऐसे शब्द निकालें, आप ऐसा प्रिकॉशन लें, ताकि आपका बैलेंस न गिर जाए। अगर एक बार ऐसी बात बोली दी और आपका बैलेंस गिर गया, तो आप इस लोकशाही में खड़े नहीं हो सकते हैं। मेरी यह विनती है कि यहां पर बालासाहेब भरडे जी की किताब को मंगाकर सभी सदस्यों के लिए उसका हिन्दी और इंग्लिश में अनुवाद किया जाए और उसको सभी सदस्यों को देने की आवश्यकता है। हम विरोधी पार्टि के लोग हैं, हमारी यह

जिम्मेदारी है। सत्ता पार्टी के जो शासनकर्ता हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी है। इस लोकशाही की परंपरा को दोनों के सहयोग से कायम रखा जाए, मैं यही विनती करता हूँ।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : महोदय, मेरी एक विनती है। मेरा राज्य सभा में एक बिल है। इसलिए, मैं दो मिनट में अपना और सरकार का पक्ष रखना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज आप फिर से विराजमान हुए हैं। इससे सभी दलों और सभी सदस्यों को बहुत खुशी मिली है। We are very happy about it, and I am thankful to you that you have come back here and you are in the seat today. जब यहां पर चर्चा हुई थी, तब मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी सहित हमारी पूरी सरकार किसी भी मेंबर को बाहर करके कार्यवाही नहीं चलाना चाहती है। लेकिन यहां पर दुर्भाग्यवश जो घटनाएं हुई थीं, आपने नेम किया था। उसके बाद रिजोलूशन मूव हुआ और फिर निर्णय हुआ है। आज आपने ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग को अपने चेंबर में बुलाया था, जिसमें आपने आचार-संहिता के बारे में विस्तार से अपना पक्ष रखा है, अपोजीशन ने भी रखा है और हमने भी अपना पक्ष रखा है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपने सर्वदलीय बैठक में जिन चीजों का जिक्र किया है, आप यहां पर भी उन सभी चीजों का जिक्र करेंगे। आपके जिक्र करने के बाद, whatever is the decision and whatever is the expectation, वहां पर आपने जो आशा व्यक्त की है, जब आप अभी यहां पर उन सभी चीजों का जिक्र करेंगे, मैं सभी सदस्यों से यह आशा करता हूँ कि in letter and spirit हमें उसका ऑनर करना चाहिए। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहूंगा तो वह सरकार की तरफ से हो जाता है। इसीलिए, अभी आपने सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं के सामने हमसे जो कहा है, आप यहां पर उसका जिक्र करेंगे। मैं इतनी ही उम्मीद और आशा करता हूँ कि सभी in letter and spirit उसका पालन करेंगे। मैं फिर से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का इरादा किसी को भी बाहर रखकर कार्यवाही नहीं चलाना है। फिर भी बहुत अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, तब आपने नेम किया था, यह हुआ है। लेकिन अंत में आप जो आदेश देंगे, हम सभी उसका पालन करेंगे। मेरा अभी दूसरे हाउस में जाना बहुत

जरूरी है, क्योंकि वहां पर मेरा माइन एंड मिनरल का बिल लगा हुआ है। आपका जो कुछ भी निर्देश होगा, मेरे सहयोगी श्री अर्जुन राम मेघवाल उसका पालन करेंगे।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आज के दिन इस चेयर पर देखकर पूरा हाउस खुश है और हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 17वीं लोक सभा शुरू हुई थी, आपके माध्यम से जिस तरह से दो सेशन चले हैं, उससे पूरे देश में मीडिया और हाउस द्वारा एक मैसेज गया है। सभी पार्टियों के जितने भी मॅबर्स इस हाउस में आए हैं, सभी लोग मिलकर और आपके माध्यम से जिस तरह से इस हाउस को चलाया गया है, हम लोगों ने यहां पर बहुत से ईश्यूज डिसकस किए हैं। स्वतंत्र रूप से हाउस चलने के कारण 130 करोड़ लोगों के दिलों के अंदर संसद की वैल्यू बहुत बढ़ी है, वह आपकी ही वजह से हो पाया है। जिस तरह से हाउस में जो कुछ भी हुआ है, उधर से, या इधर से जो कुछ भी हुआ है, वह नहीं होना चाहिए था। मगर आपने जो भी निर्णय लिया है और अभी आप जो भी निर्णय लेंगे, आज नियम 193 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली में लॉ एंड आर्डर के संबंध में जो कुछ भी हुआ है, आज उसके ऊपर चर्चा करने के लिए लिस्टेड हुआ है।

ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के टाइम, हमारे जो कुलीग्स, ऊपर जो भी डिसीजन लिया है, उन लोगों को भी अंदर ले लें। आप बड़े दिल से सस्पेंशन को रिमूव करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस हाउस में 543 मॅबर्स में हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चंस, आदि सभी हैं, उसी तरह से हमारे देश में भी हैं। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम सब लोग इधर-उधर की बात न कर के देश को एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोगों का देश एक है, हम लोग सब एक हैं। उस तरह से हम लोग मिल कर रहें, ऐसा मैसेज आज की इस डिस्कशन के साथ जाना चाहिए। उस तरह से अनुमति देनी चाहिए। माननीय सदस्य, आज के डिस्कशन पर पूरा देश हम लोगों की तरफ देख रहा है। जैसा आज आपको चेयर में देख कर हमें खुशी हुई है, डिस्कशन के साथ भी वही मैसेज जाना है।

उसके साथ-साथ आप जो भी डिस्मिशन लेंगे, हम और हमारी पार्टी आपके डिस्मिशन को ऑनर करेंगे।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I echo the sentiment that has already been expressed in the House by all the Members who are very happy to see you back in the Chair. Your absence has certainly been felt and we look forward to you continuing in the Chair without any absence further.

The protests on the CAA and NRC have been happening across the country and the reason they have been happening I feel is because there is a lack of clarity. Many people are talking many different things but what is the Government's position. That clarity is missing. The riots have vitiated the atmosphere. An immediate discussion to provide that clarity is required, which is why the Members were agitating to provide that clarity because it is an urgent requirement. The sooner the clarity is brought to this issue, the sooner the tension relating to riots and other issues will come down.

Considering the gravity of the situation, I think the agitation of the Members also needs to be looked at through that lens. So, I believe that the suspension should be shortened to the time that has already been spent under suspension. An 'escalation process' can be brought out. The behaviour may not be desirable but I think you can take a lenient view considering the gravity

of the situation and provide a shorter sentence to them. Also, once a clarity is brought forward on this issue, the tension in the country will certainly come down.

Thank you.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले चार दिन से जो हो रहा था, मैंने सन् 1952 से ले कर 2020 तक का पूरा इतिहास खंगालने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा हुआ कि स्पीकर साहब चार दिन से कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। यह किसी के लिए शर्म की बात है या नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों के लिए बहुत ही शर्मनाक और लोकतंत्र के इतिहास की काली घटना थी कि हमारे व्यवहार के कारण, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो और खास कर कांग्रेस के सदस्यों के व्यवहार के कारण अध्यक्ष इतने आहत हैं कि वे चेयर पर नहीं आ रहे हैं। आज आप आए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यह जो सवाल है, जो बार-बार प्रश्न उठाया जा रहा है और आज भी अधीर साहब ने प्रश्न उठाते हुए, हमारी पार्टी के ऊपर और खास कर पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर के ऊपर कहा कि 374-ए में उन्होंने इस तरह का प्रपोजल दे दिया, जिसके कारण पूरे सेशन से सदस्य बाहर चले जाएं। मैंने उस दिन भी बताया कि यह कानून, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो कि बहुत बड़े डेमोक्रेट माने जाते थे, जब वे इस देश के प्रधान मंत्री थे तो सन् 1960 में एक दिन नहीं, तीन दिन - 01 दिसम्बर, 07 दिसम्बर और 08 दिसम्बर को इस नियम पर चर्चा हुई थी। स्पीकर महोदय, इसके बाद लगातार इतिहास है कि जैसे 14वीं लोक सभा में ही कई सांसदों को बिना उनके ऊपर आरोप सिद्ध किए हुए कि उन्होंने चोरी की या नहीं की और उनमें एक-दो सांसद तो ऐसे थे जो उसी कांग्रेस पार्टी से सांसद बन कर फिर 15वीं लोक सभा में आ गए।

14.00 hrs

आपने उनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया और पूरा का पूरा उनको बाहर कर दिया। यह कहते हुए कि वे चोर हैं, जबकि उनके ऊपर चोरी का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। इमरजेंसी के दरम्यान इसी कांग्रेस पार्टी ने कई एक सांसद सदस्यों को यहाँ पार्लियामेंट में नहीं आने दिया। सुब्रहमण्यम स्वामी जी इसके उदाहरण है कि वे लड़की का वेश धारण करके यहाँ आए।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह चर्चा का विषय है।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: स्पीकर महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूँ कि आज भी आपके चेयर पर नहीं बैठने के कारण, जिस तरह से आपके पद की गरिमा का हास हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस सदन में आचरण करती रही, आज भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सदस्य स्पीकर की टेबल को ठोक रहे थे, क्या इस तरह के संसदीय आचरण के साथ हम संविधान को चलाना चाहते हैं, लोक सभा को चलाना चाहते हैं? मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, पार्टी की तरफ से आग्रह है, आपका जो निर्णय होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा, हम सभी मानेंगे। लेकिन इसके लिए आचार संहिता आज तय हो जाए और जिस तरह से हम लोगों ने इस सदन को चलाने का प्रयास किया, कांग्रेस को साथ देने का प्रयास किया, जिस 14वीं और 15वीं लोक सभा की आपने बात की, हम इस तरफ कभी नहीं आए।... (व्यवधान) हमने स्पीकर की गरिमा का कभी हास नहीं किया। स्पीकर की गरिमा कैसे बनेगी, संसद की गरिमा कैसे बनेगी और प्रजातंत्र की कैसे रक्षा होगी, उसका भी फैसला हो जाए। तब आप जो फैसला करेंगे, हम लोगों को लगेगा कि आपने एक न्याय के आसन पर एक अच्छा फैसला किया और पार्टी आपके साथ है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महोदय, आप पुनः पीठ को महिमामंडित कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी को आज बहुत प्रसन्नता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन पीठ से ही संचालित होता है और पीठ की गरिमा को बनाए रखना, यह हर एक सदस्य का दायित्व है। मेरा यह मानना है कि पिछले कुछ दिनों में यह जो भी हरकत हुई है, यह अति निंदनीय है और इसकी पुनरावृत्ति फिर से नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा, मैं नया सदस्य हूँ, लोक सभा में पहली बार आया हूँ, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में था। अध्यक्ष महोदय, एक चीज का ध्यान हम लोगों को जरूर रखना पड़ेगा कि हम सब अपने नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं और जब उन नेताओं के ऊपर टिप्पणियाँ होने का काम होता है, चाहे वह विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के नेताओं के बारे में करें या सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के नेताओं के बारे में करें, तो यह स्वाभाविक है कि जिसके नेता के ऊपर टिप्पणियाँ होती हैं, उसके फॉलोअर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सदन अव्यवस्थित होता है और एक चीज से बढ़ कर चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं और यहाँ तक कि फिर वह पीठ की भी गरिमा के ऊपर पूरी तरह से एक काला धब्बा लगने लगता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी मीटिंग में कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। उसमें जो सदस्य सस्पेंड हुए हैं, उसके ऊपर भी आपने चर्चा की है। आपके पास वह पूरा अधिकार है, पूरे सदन ने आपको वह अधिकार दिया है, हमने भी आपको अधिकार दिया है। मैं यहाँ से आपको पूरी तरह से यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार, बहुजन समाज पार्टी कभी भी वेल में नहीं जाती है और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करेगी, जिससे सदन को और पीठ को या कहीं न कहीं उसकी गरिमा के ऊपर लांछन लगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा की तरह सारे अनुशासनों का पालन करेगी और बहुजन समाज पार्टी एक आदर्श के रूप में हमेशा आपके नेतृत्व के नीचे काम करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, all of us requested the hon. Speaker to come back and take his seat in the House which has happened. All of us are very happy about that.

When we talk about keeping the decorum of the House and maintaining the decorum of the House, we should also think about what led to all these issues. I totally agree with Shri Jayadev Galla who mentioned the recent events. There is turmoil in the country and a lot of people think that their citizenship is at risk. This is what the people of the country think at present. We have no clarity and we have no answer to the question whether their citizenship is at risk or not.

The Government is duty-bound to give a clear answer to that. Agitations are going on in the country. Any agitation, at any time, has its own risk of leading to a law and order problem. The Delhi incident has resulted in the death of a number of people. Parliament closing its eyes during such times will lead to the problem. Can we hope that nothing will happen and we can go peacefully without having a discussion? This is also a question. We should think about what made the Members to go to the Well. Nobody would like to go to the Well of the House. Going to the Well and shouting slogans or sitting in the Well is not easy. It is better to peacefully sit here and speak. It is quite comfortable here. Why should Members go to the Well and shout slogans? It is a difficult job.

So, the Government also has some role to play. The Government could have taken a lenient view and could have discussed what happened in Delhi in front of our nose. Few minutes could have been given to discuss that. That is also an issue.

As Shri Jayadev Galla has said, hon. Defence Minister is here, the Government should give some clarity on the NPR and NRC. Why is the Government silent on that? The Government should give answer to the nation as to whether some people in the country will lose their citizenship or not. Who has the right to take away the citizenship of the people? The Government should give answer to it.

All of us have committed to the hon. Speaker to keep decorum and maintain dignity. We have given a word and we will keep our word. There is no doubt about that. But I would say that to a certain extent, the Government also has some responsibility to clarify certain things.

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य संक्षिप्त में अपनी बात कहें ।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपनी पार्टी की ओर से हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप कई दिनों के बाद आज पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं । पिछले दिनों हमें आपकी कमी बहुत महसूस हुई । हम सभी जानते हैं कि सदन में गतिरोध ऐसे भयानक स्तर पर पहुँचा कि आपको उससे पीड़ा हुई और आपने सदन में उपस्थित न रहने का निर्णय किया, लेकिन आपके न रहने से हम सबने सदन में उस अधूरेपन को महसूस किया है और आज सभी पार्टियाँ, चाहे सत्ता पक्ष की हों या विपक्ष की हों, सभी प्रसन्नचित्त हैं कि आप पुनः अपने आसन पर विराजमान हुए हैं । हम

सभी यहाँ चुनकर आते हैं, क्योंकि हमारी लोकतंत्र में आस्था है, इस लोकतंत्र के मंदिर में आस्था है। हम जनहित के कार्य करने के लिए आते हैं, सार्थक चर्चाएं करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही इस लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को, इसकी मर्यादा को बनाए रखना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस सदन में नोक-झोंक हो, यह तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस नोक-झोंक का स्तर ऐसा हो जाए कि हम एक-दूसरे के साथ हाथापाई की नौबत पर पहुँच जाएं या स्पीकर की डेस्क पर जाकर हम कागज फेंकने लगें, मेज थपथपाने लगें और उससे भी बदतर हम एक-दूसरे के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करने लगें, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक सम्माननीय सदस्य हैं, एक दल के नेता भी हैं, उन्होंने हमारे अपोजिशन के एक नेता के खिलाफ, उनके परिवार के विरुद्ध एक बहुत ही आपत्तिजनक व्यक्तिगत टिप्पणी की। वहीं हमारी अपोजिशन पार्टी की ओर से जब प्लैकार्ड लेकर वेल में आया गया, तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ भी एक व्यक्तिगत रूप से गलत शब्द का उपयोग किया गया, जो सदन में शायद बहुत आपत्तिजनक है।

महोदय, मैं ऐसा मानती हूँ कि संयम की आवश्यकता दोनों पक्षों को है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। अगर हम संयम का दायरा बरकरार नहीं रखेंगे, तो गतिरोध का स्तर भयानक हो जाएगा और ऐसी परिस्थितियाँ बार-बार इस सदन में विकसित होंगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सारे अलग-अलग दलों के लोग जो यहाँ पर आते हैं, अपने आचरण को हम सकारात्मक रखें, सदन की मर्यादा को ठेस न पहुँचाएं, यह हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, हमारी पार्टी लाइन पर भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी एक-दूसरे के मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, कलीग भी हैं, किसी के भी खिलाफ अगर कोई कड़ी कार्रवाई होती है, तो सभी को दुख पहुँचता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का आचरण यदि सकारात्मक नहीं है और सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी न हो कि किसी का कोई अहित हो जाए। हम आपमें बहुत आस्था रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके स्तर से कभी किसी का

अहित नहीं होगा। मेरी पार्टी के सदस्यों की संख्या इतनी नहीं है, लेकिन हम वेल में आने में यकीन नहीं रखते हैं। हमने सदैव प्रयास किया है कि सार्थक रूप से हम अपना योगदान दें और यह सदन सुचारू रूप से चले। आगे भी मेरा यही प्रयास होगा। आपका पुनः बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मोहतरम स्पीकर साहब, आज आपको कुर्सी सदारत पर दोबारा देखकर बड़ा इतमिनान हुआ। इस ऐवान को कामयाबी से चलाना, उसूल और अदब के दायरे में रखकर इस ऐवान को चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टिज की भी है। यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर अखलाकी और आईनी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। खासतौर से हम तमाम सियासी पार्टी के अराकीन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए कि इक्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि Power is not eternal. आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी। खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात का नोटिस कर लें। यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही, उन्होंने सही कहा। मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी एवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था, वह अक्लमंद है, जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैंने वर्ष 2006 में यह भी देखा था कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे। वह भी हमने देखा था। उस वक्त कौन थे, हम जानते हैं। मगर यह जिम्मेदारी सब की है। यकीनन अपोजिशन की तरफ से जो एहतजाज हो रहा था, यह इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्लकशी हुई है, उसके बारे में इस ऐवान में बहस हो। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मकदम करते हैं।

स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मोअज्जिज अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोलूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापिस किया जाए। इनको दोबारा इस

ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हकुमूत के खिलाफ एहतिजाज करने का मौका मिले । शुक्रिया ।

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر صاحب، آج آپ کو کرسی صدارت پر دوبارہ دیکھ کر بڑا اطمینان ہوا۔ اس ایوان کو کامیابی سے چلانا، اصول اور ادب کے دائرہ میں رکھ کر اس ایوان کی چلانے کی ذمہ داری یقیناً اپوزیشن پارٹیوں کی بھی ہیں، یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر اخلاقی اور آئینی طور پر سب سے بڑی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے۔ خاص کر ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے اراکین کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اقتدار ہمیشہ کسی پارٹی کے پاس نہیں رہتا ہے، جیسا انگریزی میں کہتے ہیں کہ Power is not eternal. آج اگر ہم کوئی بد اخلاقی یا شرمندگی کا کام یہاں کرتے ہیں تو آنے والی نسل اس سے زیادہ بد تمیزی کرے گی۔ خاص طور سے میری ان دونوں قومی پارٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ خود اس بات کا نوٹس کر لیں۔ یقیناً نشی کانت دوبے جی نے جو بات کہی انہوں نے سہی کہا۔ میں نے بھی بیٹھ کر یہاں پر دیکھا تھا کہ اسی ایوان میں ٹیبل پر پیسے ڈالے گئے تھے۔ اب کو اُس وقت یہاں بیٹھا تھا، وہ عقلمند ہیں، جانتے ہیں، مگر میں دوہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے سال 2006 میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک ایم پی۔ نے یہاں اپنی فائلس ڈپٹی اسپیکر کی طرف پھیک دی تھی۔ وہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اس وقت کون تھے ہم جانتے ہیں، مگر یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ یقیناً اپوزیشن کی طرف سے جو احتجاج ہو رہا تھا، یہ اس لئے ہو رہا تھا کہ دہلی میں جو نسل کشی ہوئی اس کے بارے میں اس ایوان میں بحث ہو۔ آپ نے فیصلہ لیا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

اسپیکر صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن معزز اراکین کو گورنمنٹ کے ریزولوشن پر سسپینڈ کیا گیا ہے، ان کی معطلی کو واپس لیا جائے، ان کو دوبارہ اس ایوان میں آکر اپنی بات کو رکھنے کا اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا موقع ملے۔ شکریہ۔۔۔

श्री भगवंत मान (संगरूर): बहुत-बहुत धन्यवाद, स्पीकर महोदय। सबसे पहले आपका वेलकम बैक और इस कुर्सी पर वापस आना, हमारे लिए सुखद है। आपके बिना यह सदन सूना-सूना लगता था। हम आपकी स्माइल को मिस करते थे। जिस तरह मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन को अच्छी तरह से चलाने में आपका सहयोग करें। इस चेयर की जो गरिमा है, उसको कायम रखा जाए। पिछले दिनों जो हुआ, वह बहुत ही निंदनीय है। चूंकि हम नए-नए चुनकर आए हैं, मैं दूसरी बार आया हूँ। हमें यहां पर आकर बोलने का जुनून है। हमें लोगों को जवाब देना है। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि आज हमारा सवाल क्यों नहीं उठा, आज हमारा सवाल क्यों नहीं लगा। हम उनको क्या जवाब दें कि हाउस नहीं चल रहा है? हाउस क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ शोर-शराबा हो जाता है।

सर, एक एमपी 15 लाख लोगों को रिप्रजेन्ट करता है। अगर सात सदस्य बाहर हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि इस संसद से बाहर हैं। मैं खुद एक सेशन में बाहर था। जब पिछली लोक सभा में मैंने एक छोटी-सी वीडियो बना ली थी तो उसकी वजह से मुझे पूरा सेशन बाहर रहना पड़ा। उस समय मैडम स्पीकर ने मुझे सजेस्ट किया था। मैं बाहर रहने का ज्यादा दर्द जानता हूँ।

सर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्यों को वापस लिया जाए। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं और आप सभी को मौका देते हैं। आप डेढ़-डेढ़ घंटे तथा पौने दो-दो घंटे जीरो ऑवर भी चला लेते हैं। उस जीरो ऑवर की जगह अगर

उसका जीरो टू ऑवर बोल दिया जाए तो भी मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं होगा। सभी को मौका मिल रहा है। जो पहली मर्तबा जीतकर आए हैं, उनको भी मौका मिल रहा है। मैं आपकी इस दरियादिली का बहुत फैन हूँ और आपका बहुत आदर भी करता हूँ। आपने मुझे चेम्बर में बुलाकर समझाया था, जैसे एक टीचर विद्यार्थी को समझाते हैं। मैं उसका पालन भी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हाउस में 'All is well' रहना चाहिए, 'All in well' नहीं रहना चाहिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, first of all, we all express our pleasure in seeing you back in the Chair after 2-3 days. For maintaining the decorum and dignity of the House, I feel that the Government as well as the Opposition is having equal responsibility because it is the right of the Opposition to dissent. The dissent need not be agreed to by the Government. But if we examine the second Session of the Seventeenth Lok Sabha and first part of the third Session also, we would find that the entire Opposition had fully cooperated with the Government. It was the highest productive Session. No fault was found on the part of the Opposition. We fully cooperated and even the hon. Prime Minister had congratulated the entire Members of the House. He said that we had a very productive Session. We had differences on so many legislations but we had all cooperated even without having micro level scrutiny of the Bills by the Standing Committees. Many legislations were passed.

But it is quite unfortunate to see things which happened during the last four days. I am not going to repeat it but we all know it. I am not opening the issues but we demanded a discussion under Rule 193 regarding Delhi riots.

But unfortunately, the Government was not willing to concede to the demand of the Opposition because of the reasons best known to the Government. Anyway, finally it has been agreed to.

We do not feel happy in coming to the Well as has been said just now by Shri P.K. Kunhalikutty. It is not a good thing. We have to keep and maintain the decorum of the House. Definitely, we will do it and we would render full support.

Sir, on 4th March, 2020, I also went to the Well. I had gone to that side because Vivad Se Vishwas Bill was being passed in the din. My Statutory Resolution was there and I had very strong amendments also. Three very important Bills were passed. So, that was the provocation which made me go to the Well. I am really sorry for that. I want to say that it is not a very good thing as far as a Member of Parliament is concerned going there and making noise. I am really sorry for that but the Government has to take care of the Opposition. The Opposition should be taken into confidence by the Government. Even if the Government wants to pass some urgent legislations in the din, let the Opposition be taken into confidence by the Government. I think such a communication gap was there between the Government and the Opposition. Suppose it is decided to pass some legislation as it is important as far as the Government and the country are concerned, definitely the Opposition will agree to that. Such a consensus, mutual cooperation and

communication are highly essential to run the House in a smooth manner. This is a suggestion which I would like to make.

On behalf of all of us, I also appeal to the hon. Chair to please revoke the suspension of all the seven Members. Let the House function in a smooth way with the cooperation of the Opposition. The Government should always take the Opposition into confidence.

With these words, I conclude.

माननीय अध्यक्ष : मोहनभाई सांजीभाई देलकर जी सेवेंथ टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर दो शब्द बोलने का मौका दिया । मैं इंतजार कर रहा था कि आप मुझे दो शब्द बोलने का मौका दें, क्योंकि मैं दो शब्द बोलना चाहता था । आपके बिना यह हाउस सूना-सूना लग रहा था । हम इंतजार में थे कि आप कब आएँ, कब विराजमान हों और वापस हमारा हाउस सही ढंग से, सुचारु रूप से चले, यह हम इंतजार कर रहे थे । हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आसन पर विराजमान हुए ।

सर, हमने देखा कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका स्वभाव भी बहुत सकारात्मक है और इसलिए सारे सदस्यों ने एक बात कही कि आपने बहुत सुचारु ढंग से हाउस को चलाया । सबसे बड़ी बात जो रही कि यहां पर काफी नए सदस्य आए हैं और आपका यह विचार रहा, आपका यह निर्णय रहा कि सारे नए सदस्यों को आपने बोलने का मौका दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की बात यहां पर रखें और उनको मौका मिले । उनको ऐसा लगे कि मैं हाउस में चुनकर गया हूँ, तो मुझे बोलने का मौका मिला है । आपने यह निर्णय लिया, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

हमने पिछले दो सत्रों में देखा और इसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था कि पिछले दो सत्रों में ऐतिहासिक काम संसद में हुआ। कीर्तिमान बना, कई बिल संसद में पास हुए, कई काम हुए, ये सब आपके नेतृत्व में हुआ। आपने अच्छे ढंग से हाउस चलाया है।

मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि संसद की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है और उसी तरह सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि हम मर्यादा भंग न करें। अगर हम मर्यादा भंग करेंगे तो हाउस की गरिमा, संसद की गरिमा बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, डिसिप्लिन को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है और वह कार्य आपने किया है। हमें सम्पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप सुचारु और सही ढंग से संसद को चलाएंगे।

जहां तक निर्णय का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका स्वभाव भी बहुत सकारात्मक है, आप सही निर्णय लेंगे, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपको देखकर बड़ा सुकून और इत्मिनान हो रहा है। अध्यक्ष जी, यकीन जानिए जब आप इस सीट पर बैठे होते हैं तो हम लोगों को गार्जियनशिप का अहसास रहता है। आपका शुक्रिया कि आप यहां तशरीफ ले आए।

अध्यक्ष जी, जो कुछ हुआ, हम सबको उसका खेद है। सदन को सुचारु चलाना हमारी, आपकी और सत्ता पक्ष सबकी जिम्मेदारी है। हम सब सदन को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए आज अगर हम इस सदन में बैठे हैं तो इंसान और इंसानियत की बात करने के लिए बैठे हैं। हमारा सर्वोपरि आइडिया होना चाहिए कि इंसान की बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए, बाकी काम तो होते ही रहते हैं। इसीलिए हम आपसे जिद कर रहे थे कि आप दिल्ली रायट्स पर बोलने का मौका दीजिए,

क्योंकि देश में इस वक्त बहुत बड़ा अनरैस्ट है। आपने मौका दिया, टाइम जरूर लगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि अध्यक्ष के रूप में, आपके नेतृत्व में सारा साल हम लोग अच्छी तरह से, सुचारु रूप से सदन चलाएंगे।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Speaker, Sir, I would like to submit that as like Freedom of Expression exists both inside and outside the House, there is also Freedom of Protest. Here, in the House, the Members from the Opposition were demanding for a discussion on the recent Delhi riots. So, I would like to request you to kindly withdraw the suspension against the Members of the Opposition.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभी दलों के नेताओं ने, सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय मंत्री जी और सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सभी का विचार है कि दुनिया में भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस देश के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है। भारत के लोकतंत्र, विचार, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की चर्चा विश्व के सदनों में होती है। पिछले 17 लोक सभा सत्रों से हमने इस देश में कई उतार-चढ़ाव देखे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए सदन में चर्चा हुई, संवाद हुआ, वाद हुआ और जब भी सदन या संसद पर बात आई तो सभी दलों ने संसदीय मर्यादाओं के लिए चर्चा की, सबने प्रयास किया कि संसद की मर्यादा बढ़नी चाहिए।

क्योंकि यह देश की 130 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और अकांक्षाओं का मन्दिर है। यहां जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, वे जनता की बातों को अभिव्यक्त करते हैं। सब चाहते हैं कि सदन पवित्रतम रहे। इसमें वाद-विवाद, संवाद और चर्चा स्वस्थ रूप से हो। मुझे आप सबने यह दायित्व सौंपा। पिछले आठ महीने संसद में आप सबके सहयोग से एक कीर्तिमान हासिल हुआ।

संसद लंबे समय चली। उसमें महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए और सदन में कभी-भी व्यवधान पैदा नहीं हुआ। इससे जनता का विश्वास और भरोसा संसद के प्रति और बढ़ा। मैं कह सकता हूँ कि यह सब आप सबके सहयोग से ही संभव हुआ। मेरा विचार यह था कि जब सदन कभी व्यवधान के बाद भी स्थगित नहीं हुआ तो मैंने भी सोचा कि कोशिश यह हो कि कभी व्यवधान न हो, सदन कभी स्थगित न हो। सदन की अपेक्षाओं के अनुरूप यह मेरे मन की इच्छा थी। जब भी मैं जनता के बीच जाता था तो लगता था कि सदन के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा और बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है, वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जो सदन के नेता हैं, जब सदन में प्रवेश किया था तो उन्होंने एक मन्दिर की तरह मत्था टेककर सदन की गरिमा बढ़ाने का काम किया। एक संदेश पूरे विश्व में गया था कि इस लोकतंत्र के मन्दिर की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है, इस सदन की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। क्योंकि सदन की प्रतिष्ठा जितनी बड़ी होगी, माननीय सदस्य अपना विचार रखेंगे, अभिव्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से उस माननीय सदस्य की गरिमा भी बढ़ेगी और वे जनता की अपेक्षाओं और अकांक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे।

पिछले दिनों जो भी घटना घटी, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से पीड़ा हुई, मैं व्यक्तिगत रूप से दुःखी हुआ। शायद कोई दुःखी नहीं हुआ होगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंची होगी। सदन के अंदर पर्चे फेंकना, सदन के मार्शल से आकर कागज छीनना, सदन में प्लैकार्ड लाना, फिर मुझे कई उदाहरण दिए गए कि सदन में इससे भी ज्यादा घटनाक्रम हुए हैं। क्या हम पिछले घटनाक्रमों को उचित मानते हैं? जो भी घटनाएं घटीं, क्या हम उनकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि आप जिस विषय पर चर्चा, संवाद या बातचीत करना चाहेंगे, मैं सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों से बातचीत करके हर चर्चा और संवाद को कराने का प्रयास करूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता कि सदन में व्यवधान पैदा हो। यदि कोई परिस्थिति बनती है तो चैम्बर में बैठकर विचार-विमर्श हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। आज सर्वदलीय बैठक में मैंने दो बातें कहीं। मुझे अच्छा लगा कि कई दलों ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की कि हमारे दल के नेता कभी भी वेल में नहीं आएंगे।

मैं इस आसन पर बैठा हूँ। इस आसन की एक मर्यादा है। व्यक्ति आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमेशा इस आसन की मर्यादा बनी रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास में कभी कमी नहीं आने दूंगा। दलों की गिनती या संख्या के आधार पर सदन नहीं चलेगा और सदन के नेता और उपनेता ने भी यह अभिव्यक्ति की थी कि हम संख्या के बल पर नहीं, बल्कि सदन में अच्छी चर्चा के आधार पर सदन चलाएंगे। जब हम अपना मत रखते हैं तो मतों में भिन्नता हो सकती है। सभी अपने-अपने दलों से चुनकर आते हैं तो विचारों में भिन्नता हो सकती है। उनकी विचारधारा और उनकी मान्यताओं को सदन में रखा जाता है। सहमति और असहमति भारत के लोकतंत्र का मर्म है। इसमें कटाक्ष भी होना चाहिए, व्यंग्य भी होना चाहिए, लेकिन मर्यादा के रूप में होना चाहिए। इसलिए आज सदन के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से यह मत रखा है कि हम सदन की कुछ मर्यादाओं को रखेंगे। हमारी माता और बहनों के बीच जो भी घटनाक्रम हुआ है, इस वेल से उस वेल में न जाना और आरोप-प्रत्यारोप न लगाना, आरोप-प्रत्यारोप लगाने की अभिव्यक्ति है, लेकिन आपने जिस विषय पर चर्चा की है, उस पर किसी को चिह्नित करके आरोप-प्रत्यारोप न लगाना। यहां पर प्लैकार्ड्स की आवश्यकता नहीं है। यह मंदिर है, गर्भगृह है तो कोशिश करें कि आप वेल में न आएँ। मैं कोशिश करूंगा कि सदन की व्यवस्थाओं को देखकर आप लोगों से चर्चा करूँ और बातचीत करूँ ताकि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं हों। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस आसन से कभी कोई सदस्य निलंबित या निष्कासित ना हो। आप मुझ पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। आप केवल सदन की मर्यादा को बनाकर रखें, इसकी मर्यादा को कभी कम ना करें, क्योंकि अगर सदन की मर्यादा कम हो जाएगी तो देश के अन्दर लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। हमें भारत की संसद से लेकर पंचायत तक के लोकतंत्र को संदेश देना है। देश में एक अच्छा और स्वस्थ संदेश जाना चाहिए। देश की ग्राम पंचायत में भी संसद की तरह चर्चा हो, यह हम देश के लोकतंत्र के अन्दर चाहते हैं। देश के सभी पीठासीन अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है। सभी अलग-अलग दल की विचाराधारा से आए हुए

पीठासीन अधिकारी हैं और सभी पीठासीन अधिकारियों का एक ही मत है कि हम सभी को लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाना है। माननीय मंत्री जी क्या आप कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जो अभी विचार प्रकट किया है कि हमें पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक यह संदेश इस लोकतंत्र के मंदिर से देना है, अभी सर्वदलीय बैठक में विषय आया था तब भी आपने कहा था, आपने तीन आचार संहिता बनाने की बात की थी। मैं टेक्निकल मुद्दे के तौर पर यह प्रस्ताव रखूंगा, क्योंकि इसी आसन से घोषणा हुई थी कि 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सदन में जो घटना घटी, उसके लिए एक कमेटी बनेगी। इसमें एक विषय टेक्निकल रहेगा। आपको वह देखना होगा। दूसरा विषय यह है कि 'रूल्स ऑफ प्रॉसिजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोक सभा' के नियमों के तहत सरस्पेंशन के लिए तीन रूल बने हुए हैं। कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह सरकार का फैसला था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यह रूल 374 (1) और (2) के तहत है। स्पीकर ने रूल 374 (1) के तहत सात लोग नामित किए थे और 374 (2) के तहत पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से मोशन आया था और यह फैसला सदन ने लिया था। यह फैसला सरकार ने लिया था, ऐसा कहना ठीक नहीं है।

Hon. Speaker Sir, I give a notice of my intention to move the following motion under Proviso to Rule 374 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha:

“That this House resolves to terminate the suspension under the Proviso to Rule 374 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha of Shri Gaurav Gogoi, Shri T.N. Prathapan, Adv. Dean Kuriakose, Shri Benny Behanan, Shri B. Manickam Tagore, Shri Rajmohan Unnithan, and Shri Gurjeet Singh Aujla with immediate effect who were suspended from the

service of the House for the remainder of the Session on the 5th March, 2020.”

माननीय अध्यक्ष: श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सात सदस्यों के निलंबन को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया है। अब मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 374(2) के परन्तुक के अंतर्गत, यह सभा संकल्प करती है कि 5 मार्च, 2020 को सभा द्वारा श्री गौरव गोगोई, श्री टी.एन. प्रथापन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री बैन्नी बेहनन, श्री बी. मणिकम टैगोर तथा श्री गुरजीत सिंह औजला के सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबन के आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और सदस्यों का निलंबन समाप्त हुआ।

अब सभा की कार्यवाही 14.45 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.37 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past
Fourteen of the Clock.*

14.46 hrs

*The Lok Sabha reassembled at Forty Six Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Speaker in the Chair)

DISCUSSION UNDER RULE 193**Recent law and order situation in some parts of Delhi**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 193 के अधीन चर्चा से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। जिन मुद्दों पर यह चर्चा है, उसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से हम देश में सद्भावना का अच्छा वातावरण और भाईचारे को ज्यादा मजबूत करने का काम करें। हमारे देश की जैसी संस्कृति है, यदि वैसे विचार संसद से जाएंगे, तो मुझे लगता है कि चर्चा बहुत सार्थक होगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, आज की इस चर्चा के लिए सदन में काफी दिनों से विपक्ष की ओर से मांग होती आ रही है। सरकार देर से ही सही, लेकिन इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार होने के चलते आज दिल्ली में हुए दंगों पर चर्चा करने का मौका हम सभी को मिला है। होली का त्योहार खत्म हुआ है, लेकिन दिल्ली की खून की होली हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। The horrible spectre of communal conflagration that had occurred in Delhi has been haunting our memory. इसलिए सारा हिंदुस्तान बेचैन है और जानना

चाहता है कि इस तरह की घटना क्यों घटी और दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार की तैयारियां और तेवर क्या-क्या हैं? कोई कहता है कि हिंदू की जीत हुई और कोई कहता है कि मुसलमान की जीत हुई।

दंगों में न हिन्दू की जय होती है और न मुसलमान की विजय होती है, लेकिन इंसानियत की जरूर पराजय होती है। अगर किसी की पराजय होती है तो वह इंसानियत की पराजय होती है। दिल्ली के दंगों में अगर किसी की पराजय हुई है तो वह हमारी इंसानियत की पराजय हुई है।

“कोई कहता है कि मैं हिन्दू,
कोई कहता है कि मैं मुसलमान,
कहीं हिन्दू मरे तो कहीं मरे मुसलमान,
लेकिन फिर भी हम दोनों हैं इंसान।
तू पढ़ ले मेरी गीता, मैं पढ़ लूं तेरा कुरान,
जो है अल्लाह, वही है भगवान।”

महात्मा गांधी जी ने यह कहने की कोशिश की थी, इसलिए “रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान।”...(व्यवधान) यह अच्छा लगा।

“रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीता राम
सीता राम, सीता राम
...(व्यवधान)
भज प्यारे तू सीता राम
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सन्मति दे भगवान।”

अगर हम हिन्दुस्तान के लोग यह छोटा मंत्र सीख लेंगे, तो हिन्दुस्तान में कभी दंगा नहीं होगा। हमारे बंगाल के कवि नजरूल इस्लाम कहते हैं :

*“Hindu na ora Muslim oi jiggashe kon jan,
Kandari dekho dubichhe manush, santan mor maar.”*

‘Who is Hindu? Who is *Musalman*? Who is asking for Hindu or *Musalman*?
What is happening is that humanity is being drowned.’ ...(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): वह बांग्लादेश के हो गए।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपकी यह सोच है, तो आपको कैसे मनाऊंगा।.. (व्यवधान) आपकी सोच यह है, यह बड़े दुःख की बात है। सर, मैं यहां मार्टिन लूथर किंग की एक बात रखना चाहता हूं।

Martin Luther King Jr. Said:

**“People fail to get along because they fear each other;
they fear each other because they do not know each
other; they do not know each other because they have
not communicated with each other.
We must learn to live together like friends; not perish
together like fools”**

हम सबको एक साथ जीना है, हम सबको एक साथ चलना है, अगर इससे अलग हुए तो हम सबको मरना है। मैं यह सरकार को ध्यान में रखने के लिए कहता हूं। जिस दिन हम लोगों ने इस विषय को सदन में रखने की कोशिश की थी, तो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कहने लगे कि दिल्ली में सिख दंगा हुआ था और उसमें 3000 सिखों की हत्या हुई थी। हम सभी यह जानते हैं कि 3000 सिखों की हत्या दिल्ली में हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज

दिल्ली में जो हो रहा है, उसको हमें समर्थन करना पड़ेगा। You should not substantiate the carnage of Delhi by simply resorting to the Sikh *Danga* Episode in Delhi. The truth is that this Government has presided over the carnage. You cannot deny it. मनमोहन सिंह जी ने सिख दंगों के लिए माफी मांगी थी। जिस दिन मनमोहन सिंह जी ने सिख दंगों के लिए माफी मांगी थी, उस दिन अमेरिकन डिप्लोमैटिक टेबल पर एक बात आई थी।

“It is a singular act of political courage and an almost Gandhian moment of moral clarity in India’s long march to religious harmony.”

नानावती कमीशन बना, हाई प्रोफाइल नेताओं को हिरासत में लिया गया, जो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। 12 अगस्त, 2005 को श्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अन्दर जो स्टेटमेंट दिया था, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ।

“I have no hesitation in apologizing to the Sikh community. I apologize not only to the Sikh community, but to the whole Indian nation because what took place in 1984 is the negation of the concept of nationhood enshrined in our Constitution. On behalf of our Government, on behalf of the people of this entire country, I bow my head in shame that such a thing took place.”

Even Manmohan Singh ji’s house was under attack. श्री मनमोहन सिंह जी के बाद हमारी नेत्री, मैडम सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी की फीलिंग्स को शेयर किया था।

इसलिए हमारा यह कहना है कि अगर हम कोशिश करते तो क्या दिल्ली के दंगों को रोक नहीं पाते? दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल कहलाता है, जहाँ हिन्दुस्तान के कोने-कोने से रोजी-रोटी

के लिए लोग आते हैं। अगर कोई दिल्ली में पहुँच जाता है, तो उसका हाथ खाली नहीं रहता है। यहाँ कुछ-न-कुछ काम लोगों को मिल जाता है।

अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने लोग दिल्ली आते हैं, न्याय प्राप्त करने के लिए लोग दिल्ली आते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद देश के आम लोगों की बात रखने के लिए बनी है। यहाँ हमारे प्रधान मंत्री जी हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। हिन्दुस्तान की थल सेना, नौ सेना और वायु सेना का यहाँ हेडक्वार्टर है। दिल्ली हिन्दुस्तान की कैपिटल है। यहाँ पुलिस की कोई कमी नहीं है। यहाँ वह पुलिस है, जिनको हम एलीट पुलिस मानते हैं, जिनको हम मॉडल पुलिस मानते हैं, जिनके पास हथियारों की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, आर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है। दिल्ली की पुलिस सभी चीजों से लैस है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, अगर आप चाहें तो हजारों की तादाद में पैरा-मिलिटरी फोर्सों को भी बुला सकते हैं। आजू-बाजू चारों तरफ पैरा-मिलिटरी फोर्सों और आर्मी के लोग हैं। फिर भी यह घटना क्यों घटी? वह भी लगातार तीन दिनों तक। लगातार तीन दिनों तक यह घटना कैसे घटी? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और खासकर हमारे गृह मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की कानून-व्यवस्था के रखरखाव की जिम्मेवारी हमारे गृह मंत्री की है। तीन दिनों तक आप कहाँ थे? यह हमें जरूर कहना पड़ेगा। तीन दिनों तक आप कहाँ थे?

इटली में रोम शहर है। रोम का राजा नीरो था। ... (व्यवधान) आप कहते होंगे कि ये इटली आ गए, ... (व्यवधान) अच्छा लगता है। लेकिन आपको याद दिला दूँ कि हेडगेवार जी के जो शिक्षक थे, उनका नाम मुंजे साहब था। मुंजे साहब आर.एस.एस. बनाने के पहले मुसोलिनी के पास गए थे और मुसोलिनी भी इटली का रहने वाला था। ... (व्यवधान) इसलिए आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं इटली का जिक्र कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। ... (व्यवधान) अच्छा लगता है, आप सीखने की कोशिश करो। ... (व्यवधान)

15.00 hrs

जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे । ... (व्यवधान) When Rome was burning, Nero was playing fiddle or flute on the Palantine hill and waiting to see the burning of the city in order to build one golden palace, Domus Aurea. आज लगता है कि हमारे देश में वह नीरो आ गए हैं । ... (व्यवधान) जब दिल्ली जल रही थी, तब मुरली लेकर हमारे नीरो गुजरात के अहमदाबाद में प्रेसीडेंट ट्रंप की मेज़बानी करने चले गए । ... (व्यवधान) हम यह देख रहे हैं । ... (व्यवधान) हामिद अंसारी साहब ने टीवी में बोला था । ... (व्यवधान) आशीष सिंह ने हामिद अंसारी साहब का एक इंटरव्यू लिया था । ... (व्यवधान) उसमें वे कह रहे थे कि यह ऑर्गनाइज़्ड वॉइलेंस है । ... (व्यवधान) उन्होंने यह भी ज़िक्र किया कि जब नादिर शाह दिल्ली में आए थे, तब उन्होंने अपनी तलवार तीन दिनों के लिए निकालकर रख दी थी और कह दिया था कि तीन दिनों तक तुम्हें जो करना है, कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे । ... (व्यवधान)

मैं यह नहीं कहता कि अमित शाह जी के साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुकात है । ... (व्यवधान) मैं यह बिलकुल नहीं कहता, क्योंकि हमारे पास डीएनए टेस्ट कराने का कोई साधन नहीं है । ... (व्यवधान) अमित शाह जी खासकर एक वैष्णव धर्म के विश्वासी हैं, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूंगा कि इन तीन दिन, जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी? ... (व्यवधान) आपके दो साथी मंत्री भी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? ... (व्यवधान) वे कहां थे? आपके बड़े बलवान, जांबाज एमपी हैं, एमएलए हैं, वे कहां गए थे? ... (व्यवधान) सदन में आकर दिल्ली के एमपी जो बड़ी-बड़ी बात करते हैं, वे क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे? ... (व्यवधान) वे कहां थे? आपके दिल्ली के एमपी, दिल्ली के एमएलए कहां गए थे? वे क्यों गुम हो गए थे? ... (व्यवधान) जब चुनाव आते हैं, तब चुनाव में भीख मांगने के लिए गली-गली जाते हैं और जब खतरा पैदा होता है तो किसी के पास नहीं जाते हैं । ... (व्यवधान) इसकी वजह सब जानते हैं ।

पिछले चुनावों में जिन-जिन इलाकों में दंगे हुए हैं, उन इलाकों में बीजेपी को उतना अच्छा वोट नहीं मिला। ... (व्यवधान) बीजेपी को वोट नहीं मिला, बस इसके चलते आपने इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी।

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तीन दिन जब दिल्ली में इस तरह की घटना घट रही थी, दंगे हो रहे थे, तब आपकी सरकार और आप खुद क्या कर रहे थे? Incidentally, on Wednesday, Shri Shah had a series of meetings on various issues which included a group of Ministers with Cabinet colleagues Shri Narendra Singh Tomar and Shri Ramvilas Paswan. रामविलास पासवान जी यहां उपस्थित हैं, आपके साथ मीटिंग की थी।

He had another meeting with Railways and Commerce Minister Shri Piyush Goyal. These meetings were preceded by another one with Home Secretary Shri Ajay Bhalla and a senior IB official. However, officials said, this meeting was not on Delhi violence. The situation in Delhi was also not discussed in the Union Cabinet meeting held on Wednesday morning. अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं। इसका मतलब यह लापरवाही है। आपकी लापरवाही दिल्ली के इस दंगे की सबसे बड़ी वजह है। आपने कहा था कि हम हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया में शिखर पर पहुँचाएंगे। आप बात-बात में पाकिस्तान को उड़ा देते हैं। आप टैरिस्ट्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम भी आपका समर्थन करते हैं। ... (व्यवधान)

आप टैरिज्म को खत्म कीजिए। ... (व्यवधान) पाकिस्तान की किसी भी तरह की हरकत को किसी भी हालत में बर्दाशत नहीं किया जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब हम हिन्दुस्तान से जाकर बालाकोट में एयर-स्ट्राइक करते हैं, उसकी हिम्मत हम में है, तो क्या हम दिल्ली के इस दंगे को रोक नहीं सकते थे? आप हमें बताइए। ... (व्यवधान) वह भी खास दिल्ली में, हमारी

नेशनल कैपिटल में हुआ। ... (व्यवधान) वहां हर दिन भड़काऊ भाषण चलते हैं, हेट-स्पीचेज की हमारे हिन्दुस्तान में एक बात बन गई है। ... (व्यवधान) कौन देता है ये हेट-स्पीचेज? ... (व्यवधान)

किसने दी हेट स्पीचेज? आपको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, आपको हाई कोर्ट फटकार लगाता है, क्यों? अगर आपकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश आपकी पार्टी के खिलाफ फटकार लगाती है और पुलिस को कहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, तो रातों-रात उनका तबादला हो जाता है। यह क्या है? यह ज्युडिशियरी पर मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक है। Midnight surgical strike on judiciary उनका रातों-रात तबादला क्यों? उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती यह थी कि आपके जाने-माने नेता के खिलाफ, जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर हैं। पूरे हिन्दुस्तान में एक नारा लगाया गया – “गोली मारो सालों को।” क्या यह हमारा सीना चौड़ा करने वाली बात है, बताइए? क्या यह हमारे लिए गर्व करने का मुद्दा है, बताइए? अगर नहीं है, तो आप इनके खिलाफ एक शब्द का भी जिक्र क्यों नहीं करते हैं, एक भी शब्द का उल्लेख क्यों नहीं करते हैं? आपने और क्या-क्या किया है, देखिए। यह ...* पर अचानक हमला नहीं हुआ है। You have tried your best to stop ... *elevation to the Supreme Court because he had quashed the President’s Rule imposed in Uttarakhand. They stalled the appointment of ...* as a Judge of the Supreme Court since he had argued cases against the Hon. Prime Minister and the Home Minister in Gujarat riots. ... * of Delhi High Court, who gave judgement against shell companies that irked the Government was transferred. ... (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ... (व्यवधान)

* Not recorded

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I would like to reiterate the midnight notification(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, नियम 352(5) के अनुसार, इन्होंने जितने भी नाम लिए हैं, वे जस्टिसेज के नाम लिए हैं और

Rule 352 (5) says:

“A Member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion...”

इन्होंने बिना मोशन के ... * का नाम लिया और ... * का नाम लिया । यह किसी जज का नाम नहीं ले सकते हैं । इस तरह की चीजों को नहीं कह सकते हैं ... (व्यवधान) ये ट्रांसफर हमने नहीं किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किए हैं ... (व्यवधान) हमने नहीं किया है ... (व्यवधान) इनको यह बात वापस लेनी चाहिए या इसको एक्सपंज करना चाहिए ।... (व्यवधान) यह नहीं हो सकता है, यह गलत है ।... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Now, they have reiterated their message again by issuing a midnight notification.(*Interruptions*)

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): सर, मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ट्रांसफर कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिकमण्ड करता है ।... (व्यवधान) मिडनाइट ट्रांसफर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है... (व्यवधान)

* Not recorded

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, पिनाकी जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, लेकिन कोलोजियम के रिकमण्डेशन पर ये ट्रांसफर होते हैं। हमें ज्युडिशियरी के डिस्मिजन्स को यहां डिसकस नहीं करना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं।... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, they have now reiterated their message again by issuing a midnight notification transferring ...*, who set upon disciplining the Delhi Police into taking the required legal action by sternly ordering FIRs against ...*; Anurag Thakur, Pravesh Verma, ...* and others. The Government's action in giving a reprieve to the trouble-makers and the police only speaks volumes about their complicity. (Interruptions) सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? About lack of professionalism of Delhi Police, the bench of Justices S.K. Kaul and K.M. Joseph observed,

"Had the police acted the way law required them to act and stopped people from inflammatory remarks, the spiral of violence could have been averted and lives saved."

लोगों को बचाया जाना चाहिए था। सर, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।

"There is a growing disconnect between the lower ranks with their seniors. Police Complaint Authorities are lame-duck institutions."

महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है। आप देखिए कि क्यों यह सब बातें करते हैं।... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, अगर आपका विचार हो, तो मैं नियम 352 को मेंशन करना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इन्होंने जो विषय उठाया है, उस विषय में बिना मोशन के कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। मोशन देकर ही चर्चा की जा सकती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The rule says that a Member, while speaking, shall not reflect on a person in high authority. Shri Adhir Chowdhury is not reflecting on anyone's conduct; he is just stating the name. Why should you object to that? One must understand the word 'reflect'. Reflect means passing comment; reflect means thinking. Just because he mentioned Justice Muralidhar नहीं होना चाहिए, कहकर हल्ला करेंगे। Is this the way?...*(Interruptions)* Reflect means adversely ...*(Interruptions)* आप इसको सुनिए।...*(व्यवधान)* महोदय, रिफ्लेक्ट जरूरी शब्द है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : दादा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन नियम की बातें कम करें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, इसलिए कह रहा हूँ।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, इन लोगों ने मेरे समय में जो कटौती की है, आप उसकी भरपाई कर दीजिएगा। आप हमारे कस्टोडियन हैं।...(व्यवधान) मैं इसलिए पीड़ित हूँ, अगर आंकड़े देखे जाएं, तो क्या पता लगता है कि 53 लोगों की मौत हो चुकी है। पता नहीं कि आगे क्या होगा? हमारे गृह मंत्री जी सदन में इसके बारे में बताएं। जान-माल का लगभग 25,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। 102 आदमी बुलेट से जख्मी हैं। सबसे बड़ी चौकाने वाली बात यह है कि the Police Control Room received nearly 21,000 distress calls between February 22 and February 29. On February 24 and February 25 alone, when the communal violence was at peak in several parts of the North-East Delhi, the Police Control Room received over 13,000 riots-related calls. The following day around 6,000 calls were made, but no response has been given. Even emergency services were not provided to those affected people. यह गृह मंत्रालय की हालत है। हमें इस हालत के बारे में बताना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वह सरकार के इशारों पर चलने लगी है। यह सबसे बड़ी खतरनाक चीज पैदा हुई है।

महोदय, आप देखिए कि जामिया मिलिया और जेएनयू में बिना बताए पुलिस घुस जाती है। नकाबपोशी संघ के गुंडे घुस जाते हैं। लेकिन जब असली समय आता है, तब ये चुप्पी साधे रहते हैं।...(व्यवधान) अरे, तुम सबसे बड़े खतरनाक आदमी हो।...(व्यवधान) आप सब मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) अगर इस हालत से निपटने का रास्ता था, तो वह रास्ता किसने दिखाया, वह अजीत डोभाल साहब ने दिखाया था। जब अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रास्ते पर उतरे थे, तब सब कुछ ठंडा पड़ गया था। वह कैसे? अजीत डोभाल को क्यों उतरना पड़ा था? जब होम मिनिस्ट्री है, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं।...(व्यवधान) तब हमारे नेशनल सिक्योरिटी

एडवाइज़र को क्यों उतरना पड़ा था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कभी लॉ एंड आर्डर के लिए नहीं उतरता है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गृह मंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है। वह सीधा प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या मैं यह कह सकता है कि प्रधान मंत्री कार्यालय ने आपके कार्यालय पर भरोसा नहीं किया था।...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में अभी दो किस्म के पावर ऑफ सेंटर्स बनते जा रहे हैं, एक पीएमओ और दूसरा एचएमओ। नहीं तो, ऐसा किसलिए हुआ है? अजीत डोभाल को क्यों उतरना पड़ा था? उसका जवाब आपको देना पड़ेगा।

Truck-full of stones, pieces of bricks, construction debris were seen entering East Delhi during those days. How could this go unnoticed by the Government? Several residents claim that unruly elements continued to enter areas around Seemapuri, Bhajanpura, Maujpur, and Jaffrabad using similar route. सर, हमारी केन्द्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, ...* की सरकार है, दोनों सरकारें चुप्पी साधे रहीं।...(व्यवधान) दिल्ली की सरकार के मोहल्ला नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया। सर, इसलिए दंगा पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए, उन लोगों को देखने का मौका नहीं मिला।

सर, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। राजनाथ सिंह जी सदन के उप-नेता हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि जब जवाहर लाल नेहरू जी थे, तब दिल्ली में दंगा हुआ था। पुरानी दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू साहब खुद दंगाइयों के सामने हाथ में लाठी ले कर सड़क पर उतर गए थे और दंगा को रोका था। किंग्जवे कैम्प में, जहां पीड़ित लोग थे, जवाहर लाल नेहरू जी गए, वहां एक बुढ़िया ने जवाहर नेहरू जी का कॉलर पकड़ा और कहने लगी कि जवाहर लाल, अब तुम यहां आए हो तो जवाहर लाल जी ने कहा कि आप इल्जाम लगाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, हो सकता है आपका इल्जाम सही हो। क्योंकि बुढ़िया कहने लगी कि अब तुम आए हो, तुम कुछ काम

* Not recorded

करने के लायक नहीं हो, तो जवाहर लाल नेहरू ने उनको कहा कि माता जी, मैं कुछ करूं या न करूं, कम से कम हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार तो आप लोगों को दिया है। हिंदुस्तान की एक बुढ़िया को जवाहर लाल नेहरू का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला था, वह जवाहर लाल नेहरू का जमाना था। आज अंकित शर्मा मरे हैं, 53 आदमी मर चुके हैं, न हमारे प्रधान मंत्री और न ही गृह मंत्री कभी किसी के घर में गए हैं। कभी किसी के घर में जा कर आपने उनको भरोसा दिलाया है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आप कहते हैं कि होली का त्यौहार है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। कोरोना तो हिंदुस्तान में है, लेकिन कोरोना से ज्यादा आम आदमी को आपका डर है। आपका ज्यादा डर है। कम से कम मास्क ले कर आप निकल सकते थे। आप कम से कम दंगा पीड़ित इलाकों में मास्क ले कर घूम सकते थे, आपको देखने से सबको पता चलता कि अमित शाह जी आए हैं। जहां अजीत डोभाल जा सकते हैं, वहां आप लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? इसलिए आपके विरोध में हमारा एलिगेशन है। प्रधान मंत्री जी के खिलाफ हमारा आरोप है, क्योंकि वे देश के प्रधान होते हैं। आप पर गृह मंत्रालय की देख-भाल करने की जिम्मेदारी होती है। जब दंगे हो रहे थे, आपने खुले आम दंगे होने दिए। आपने कुछ नहीं कहा, इसलिए तीन दिन के बाद आपकी नींद टूटी। प्रधान मंत्री कुछ कहने लगे। बहुत दिनों के बाद आपने भी दो-चार ट्वीट किए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके लिए यह सही कदम नहीं था? क्या आपको यह नहीं लगता है कि जो करना चाहिए था, वह आप नहीं कर पाए? आपने नहीं किया, इसलिए अपनी तरफ से इस सरकार से हम कई मांग करते हैं।

In the light of the scale of violence and consequential loss of life and property, we strongly demand the resignation of Home Minister, Shri Amit Shah.

The failure of intelligence, the acts and omissions of the Delhi Police and the overall failure of the Home Ministry officials in failing to prevent the violence

and bring back normalcy are sufficient grounds for the dismissal of the Home Minister. आपको क्यों नहीं रहना चाहिए, वह भी बता दिया है।

FIRs should be filed immediately by the Delhi Police against all perpetrators as well as inciters, including MoS for Finance, Shri Anurag Singh Thakur, BJP MP, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, BJP leader ... *

Since the people have expressed their apprehensions about the limited mandate of the two SITs as well as the complicity of the BJP, we urge that a judicial inquiry be conducted by a sitting Judge of the High Court/Supreme Court to ensure impartial inquiry.

मैं अभी अंकित शर्मा जी के घर गया था, मैं और तरह से गया था। ... * के घर गए थे, जिनके भाई की मौत हो गई थी। वहां लोग कहते हैं कि एसआईटी का तो गठन हुआ है, लेकिन रात को अपनी मर्जी से किसी को भी उठा कर ले जाते हैं, यह देखना चाहिए। लोगों के अंदर डर, खौफ पैदा हुआ है। लोगों के अंदर भय का माहौल अभी बरकरार है। सर, बात यह है कि वायलेंस तो अभी घट गए हैं, लेकिन डर अभी बरकरार है। यह आपको थोड़ा देखना चाहिए।

Both the State and Union Governments should identify the responsible bureaucrats and police officers and ensure that they face due procedure for dereliction of their duties and charge them for utter incompetence and inefficiency in handling the situation.

* Not recorded

The State Government should provide immediate relief, establish sufficient relief centres and provide rehabilitation as well as legal, medical and other kinds of support to the victims and affected people.

The State Government should ensure adequate support to all the relief centres and subsequently ensure rehabilitation of all the people affected and displaced and their safety. The State Government should immediately conduct a comprehensive damage assessment in the affected areas and provide compensation commensurate with the loss of life and property. We also recommend an independent monitoring system be established to monitor Government operation in affected areas and to ensure the rights of the affected families to adequate protection, compensation, relief and rehabilitation.

Sir, the State Government should restore certificates of students which have been destroyed during the riots, take sufficient measures to support the students for their examination and ensure that they do not lose the entire academic year.

Sir, Aman Committee should be formed by the State Government in *Mohallas* where it is required, consisting of members of all communities.

Sir, the Delhi Government should ensure that interest free loans are extended to all the owners of commercial establishments and those in the informal sector, over and above the compensation for their losses.

In order to quicken the healing process of the affected families specially women and children, the State Government should support and facilitate NGOs involved in grief and trauma.

Sir, the collective and individual efforts of citizens in providing relief and support to the victims and affected people should be lauded. We appeal to the people of Delhi and the country to extend their support to their efforts.

इसलिए हम कहते हैं कि यह सरकार की सरासर नाकामियां हैं। निकम्मी सरकार और इस निकम्मी सरकार में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी से हमें जो उम्मीद थी, वह भी पूरी नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी इस चर्चा में प्रधान मंत्री भाग लें।।।।(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस दुःखद घटना पर हम सब चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब इस विषय से आहत हैं। मरने वाला किसी भी धर्म का हो, लेकिन वह भारतीय था। ऐसा मैं मानती हूँ कि वह भारतीय ही था। बंगलादेश से आए हुए कुछ घुसपैठिये हो, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है।।।।(व्यवधान) अध्यक्ष जी, 51 लोगों की मृत्यु हुई है और 500 लोग अस्पतालों में उपचार के लिए हैं। इसकी पुनरावृत्ति देश में कहीं न हो, इस उम्मीद के साथ हम लोग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसकी मैं उम्मीद तो जरूर कर सकती हूँ, लेकिन यह कहना आसान है, करना जरा मुश्किल है। खास तौर पर जब कुछ लोगों ने इसके राजनीतिक फायदे उठाए हों और जैसे ही यह इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम के एक आईबी के अफसर को 400 बार चाकू मारा गया और पोस्टमार्टम में उसकी अंतड़ियाँ यानी इन्टेस्टाइन खींच कर बाहर निकाली गईं। आप मुझे बताइये किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है।।।।(व्यवधान) अरे, सुनने की कृपत रखिए जी। मैं आपसे इसलिए कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की घृणा और नफरत सिर्फ

एक कट्टरपंथी ही कर सकता है और उस कट्टरवाद को पनपाने वाले लोग कौन हैं, आज मुझे लगता है कि इस सदन को उस पर भी चर्चा करनी होगी। खास तौर पर अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो सीलमपुर वह इलाका है, जहाँ वर्ष 2018 में आईएसआईएस का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बम और बाकी चीजें, वर्ष 2019 में उस जखीरे को निकाला गया था। इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई हैं कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है। आईएसआईएस से जुड़े हुए लोग लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं।

... * नाम के व्यक्ति ने, जो कि हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति है, जो कि आज अमेरिकन सिटिजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बिलियन डॉलर उसने देने का कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। उसकी जो संस्था ग्लोबल ओपन सोसायटीज है, उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं, बल्कि ... * हैं, जो कि एनएससी के भी मेंबर थे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी, कब बनाई थी, किस कारण से बनाई थी, उसका जवाब तो मुझे सौ परसेंट मालूम है, अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा। साथ ही जब अधीर जी ने इस तरीके की बातें की हैं तो मैं इनको मुसोलिनी का एक और कांड बता देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि ... * के गुरु मुसोलिनी थे, तो शायद उनको पता नहीं कि आपके पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके नाना जी मुसोलिनी की आर्मी में काम करते थे। यह भी जरा पता कर लीजिएगा। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं, जो कि हमेशा याद रखे जाते हैं और जब आप दूसरों के घावों को कुरेदते हैं, तो आपकी तरफ भी प्रश्न जरूर उठेंगे। दुख की बात यह है कि इन सब चीजों से एक बात सामने आई कि एक संगठित रणनीति थी और यह संगठित रणनीति उन्हीं शक्तियों द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था, जो कि आज अपना राजनैतिक समर्थ खो चुके हैं। इस पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस काम को मुकम्मल किया गया। ... * नाम के व्यक्ति, जो कि राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते हैं, उनका स्कूल सलामत है, लेकिन ... * नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है। दोनों स्कूल अगल-बगल में हैं। ... * की इमारत, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे

* Not recorded

लगा कि मैं पीछे न रह जाऊँ आपसे, तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूँ कि...*, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके घर की इमारत से कई सारे पेट्रोल बम फेंके गए, कैटापुल्ट यानी जिसे गुलेल कहा जाता है।... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): आप इंकवायरी कराइए।... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : गुलेल का इस्तेमाल हुआ।... (व्यवधान) गुलेल का इस्तेमाल इस दंगे में बंदूक और गोलाबारी से भी कहीं अधिक घातक साबित हुआ है।... (व्यवधान) आप मुझे बताइए कि किसके घर के ऊपर लोहे के एंगल को जमाकर गुलेल रखी जाती है और एक साजिश के तहत हर 10वें घर के ऊपर एक गुलेल पायी गई। हर 10वें घर को इंगित करके एक गुलेल पाई गई और ईंटों का जखीरा शायद दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा ईंटों का जखीरा भी यहाँ पर पाया गया कि निगम के सफाई कर्मचारियों को समझ नहीं आया कि यह सड़क बनाने की कवायद है या बोरियों में भरकर उनको ऊपर ले जाया गया। जो मोलोटोव कॉकटेल है, जिससे पेट्रोल बम आदि बनाकर फेंका जाता है, वे बहुत भारी मात्रा में वहाँ मिले हैं।... * परिवारों की महिलाओं ने छत से किए, जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, ये क्या बोल रही हैं?... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: महोदय, मुझे इन लोगों की बात देखते हुए एक शेर याद आ रहा है।... (व्यवधान)

‘कांच पर पारा चढ़ाओ, तो आइना बन जाता है,

लेकिन आइना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है।’

* Not recorded.

कुंवर दानिश अली: ये एक महिला होकर महिलाओं के बारे में ऐसा बोल रही हैं।... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: इन सबका पारा चढ़ना तो स्वाभाविक है।... (व्यवधान)

महोदय, ईंट-पत्थरों का जखीरा तो हमने देखा ही और जिस तरीके से उन्हें ऊपर पहुँचाया गया, वह भी सोचने वाली बात है।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: महोदय, इन्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है।... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अंकित शर्मा नाम के व्यक्ति को 400 बार घाव किया और उसको मारा।... (व्यवधान)

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, how can she take those names in the House? ... (Interruptions)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : इन्हें याद आना चाहिए कि रतन लाल हेड कांस्टेबल को मारा गया।... (व्यवधान) गोलियाँ सीधे चलाई गई हैं।... (व्यवधान) इस सबके बीच में अमित शर्मा, डीसीपी, मैं पुलिस वालों का नाम इसलिए ले रही हूँ, जो बीच-बचाव करने, ढंग से इस पर काबू पाने के लिए उतरे, उन्हीं के साथ मारपीट की गई है।... (व्यवधान)

SHRIMATI MAHUA MOITRA: Sir, she is inciting communal violence inside the House. ... (Interruptions)

कुंवर दानिश अली: महोदय, उन शब्दों को एक्सपंज कराइए।... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : वहाँ पर लगातार सीएए के विरोध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया।... (व्यवधान) हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू हुई हैं।... (व्यवधान) हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू होकर 25 तारीख को रात के 11 बजे तक खत्म हो चुकी हैं।... (व्यवधान) यह इस सरकार की एफिशिएंसी है कि 36 घंटे के अंदर उन्होंने इन सब चीजों पर काबू पाया।... (व्यवधान) जो लोग पूछते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, मैं

उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के मिसाइलों पर काबू पाने का काम कर रहे थे। ओल्ड मुस्तफाबाद में सबसे अधिक ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी जाति और धर्म का नाम इस बहस में नहीं लेना है।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: स्पीकर सर, कुछ सच्चाइयाँ जो प्रेस ने छुपायी हैं, ...(व्यवधान) मैं आपके आदेश का पालन करूँगी। ...(व्यवधान) स्पीकर सर, मैं आपके आदेश का पालन करूँगी। ओल्ड मुस्तफाबाद में सबसे अधिक गुलेल पाई गई हैं। ...(व्यवधान) करावल नगर में ईंट-पत्थर की बोरियाँ उन घरों में पाई गई हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नियम-कानून की बातें बताते हैं। क्या आप नियम-कानून का पालन करते हैं?

...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: स्पीकर सर, ... * के जब बयान आते हैं, तब ये लोग चुप रहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट की इस डिबेट में जाति तथा धर्म को अंकित नहीं करेगा।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: सर, उसे एक्सपंज कर दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उसे एक्सपंज कर दिया गया। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

* Not recorded

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: अध्यक्ष जी, ईंट-पत्थर और इस तरीके की चीजें जो कि घरों के निर्माण के लिए उन घरों में पाई गई हैं, जहाँ पर निर्माण कार्य चल ही नहीं रहा था। जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पर बोरियाँ खाली पाई गई हैं। यह सही मायने में जाँच का विषय है। उस जाँच की जो भी रिपोर्ट आएगी, उसमें देखा जाएगा।...(व्यवधान) लेकिन करावल नगर और शिव विहार, जहाँ पर सबसे अधिक दंगा हुआ। इसे मैं दंगा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि यह एक सोची-समझी हिंसा थी। उसमें जो पाया गया, एक सड़क के चौराहे पर एक तरफ अल्पसंख्यकों के मकान हैं, दूसरी तरफ बहुसंख्यकों के मकान हैं। सबसे हैरानी की बात है कि अल्पसंख्यकों के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुसंख्यकों के सारे मकान और दुकान तहस-नहस हो गई हैं। अब आप मुझे बताइए।...(व्यवधान)

“जरूरी नहीं जिनमें साँस न हो, वह मुर्दा हो
जिनमें इंसानियत न हो, वह भी कौन-सा जिंदा है।”

उसकी जो रफ्तार है, वह हमें देखने को मिल रही है। छोटी-छोटी बच्चियों के सामने, इन लोगों ने उनको निर्वस्त्र करके भेजा है, जो ट्यूशन से आ रहीं बच्चियाँ थीं।...(व्यवधान) और सिर्फ यही नहीं, छतों के उपर खड़े होकर अश्लील हरकतें अपने कपड़े उतार-उतार कर इन्होंने किए हैं, जो कि एक प्रिंसिपल का बयान है। यह स्कूल के प्रिंसिपल का बयान है। आप मुझे बताइए कि इस सदन में बैठा हुआ कौन-सा व्यक्ति साथ देने को राजी है। आप बताइए कि ऐसी हरकत के लिए क्या आप राजी हैं?...(व्यवधान) आप नहीं हैं न? इस सब के बीच में, चाहे वह ... * थे, चाहे वह ... * थे, इस तरीके की चीजें सब के बीच में हुई हैं और वे सब बयान भी सब के सामने हैं।...(व्यवधान) मैं ... * पर आ रही हूँ। इन सब कार्रवाई के लिए किसको ब्लेम किया गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लीजिए, जो इस सदन में सदस्य नहीं है।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष जी, क्योंकि नाम लिए गए हैं, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। इन सब के लिए अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को ब्लेम किया गया, जिनका बयान 20 जनवरी का था। 20 जनवरी को चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर का बयान था और ये घटनाएँ 23 फरवरी की हैं। प्रवेश वर्मा का बयान 28 फरवरी का था और यह घटना 23 फरवरी की है। इन सब के बीच में ... * को ब्लेम किया गया। ... * को ब्लेम किया गया, ... * पर इल्जाम लगाया गया, उसको जिम्मेवार ठहराया, ... * की हरकतों के लिए! ... * को जिम्मेवार ठहराया, ... * के हरकतों के लिए! ... * को जिम्मेवार ठहराया, ... * के बयानों के लिए! ... * को जिम्मेवार ठहराया, उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि कब्र खुदेगी! ... * को जिम्मेवार ठहराया कि भारत के प्रधान मंत्री को जो कातिल कहने का रुतबा रखते हैं।

... * को जिम्मेदार ठहराया, जो अभी तक बहुत तमीज-तहजीब की बातें कर रहे थे, भारत के गृह मंत्री को तड़ी पार कहने के लिए... * को जिम्मेदार ठहराया, वहां पर लड़कियों के सामने उल्टी हरकतें जिन पुरुषों ने की, उनके लिए... * को जिम्मेदार ठहराया,... * को बचाने के लिए... * को जिम्मेदार ठहराया दिल्ली में जिन लोगों की पैरों तले राजनीति खत्म हो चुकी है और जो माइनोरिटी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको बचाने के लिए,... * को किस-किस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराओगे, जब इस सब राइटिंग के लिए, सब हिंसा के लिए जिम्मेदार कुछ और ही लोग थे?

जेएनयू, जामिया मिलिया आप इस पूरे प्रकरण को देखिए, आप पाएंगे कि ये सब चीजें सीएए का सो कॉल्ड विरोध को लेकर शुरू हुईं। सीएए के विरोध में सबसे पहले जेएनयू के कुछ

छात्र खड़े हुए। सब ने समझा कि यह सीएए का विरोध है। सीएए का विरोध किसलिए कि कुछ अल्पसंख्यक, जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, भारत में 25-25 सालों से पड़े हुए हैं, किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी उनको नागरिकता देने की और उस सबके बाद में वह मामला जामिया में शिफ्ट होता है। जामिया में पुलिस थोड़ी सख्ती करती है, तो पुलिस को डिफेंसिव करके कि यह पुलिस जो है, वह व्यक्ति की बोलने की आजादी के खिलाफ है, ऐसा इल्जाम पुलिस पर लगा दिया जाता है। तब पुलिस थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है कि मोदी जी के राज में सबको बोलने की आजादी, हरकतें करने की आजादी है। आप अगर शाहीन बाग से लेकर सारा प्रकरण देखते हैं, तो जामिया के बाद में 14 दिसंबर, 2019 को ...(व्यवधान) उससे पहले की फुटेज भी देखो। ...(व्यवधान) वह लाइव फुटेज उससे पहले की भी देखो। ...(व्यवधान) जो मार काटकर, लाइब्रेरी में मुंह पर गमछा पहनकर बैठ जाते हैं और किताबें बंद करके पढ़ना शुरू करते हैं, वह फुटेज भी देखनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली होती है। उस रैली में सोनिया जी का बयान है कि आर-पार की लड़ाई होगी, सड़कों पर सब निकलो। प्रियंका जी का बयान है कि कायर होते हैं, जो घर से नहीं निकलते हैं। राहुल जी यहां बैठे हैं, इन्होंने भी काफी उत्तेजनात्मक बयान दिए। 14 तारीख के इन सब बयानों के बाद 15 दिसंबर को शाहीन बाग में लोग बैठना शुरू कर देते हैं। ...(व्यवधान) 14 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर से यह हरकत शुरू होती है। ...(व्यवधान) तीन महीने तक दिल्ली की सड़कों को रोक कर ये लोग बैठते हैं। उसके बाद 17 तारीख को... * का बयान है कि डोनाल्ड ट्रंप देश में आएंगे और हमें सड़कों पर उतरना है। उनको बताना है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जनता के खिलाफ हैं। 19 तारीख को... * का बयान है कि हम 15 प्रतिशत भले ही हों, 85 पर्सेंट पर भारी पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इन सब चीजों के लिए आप... * को जिम्मेदार ठहराएंगे, इन सबके लिए आप दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराएंगे? उकसाने का काम और कट्टरपंथी का काम तो इस देश में बहुत दिनों से चल रहा था। ...(व्यवधान)

* Not recorded

अगर रोक दिया होता, तो आप ही कहते इस देश में बोलने की आजादी नहीं है, अपने विचारों की आजादी नहीं है।...(व्यवधान) इसी वजह से पुलिस डिफेंसिव मोड में थी।

कुछ जजेज़, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ जजेज़ का मानना है कि जब तक धरना हिंसात्मक न हो, तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अब धरना कब हिंसात्मक होगा, यह बैठकर कौन तय करेगा?... (व्यवधान) यह कौन तय करेगा?... (व्यवधान) जिन जजेज़ के इन्होंने नाम लिए, इनको बहुत एक्सपीरियंस है जजेज़ के एप्वाइंटमेंट से लेकर बाकी चीजें लिखवाने का, इसीलिए ये जानते हैं कि क्या-क्या होता है? इनको यह नहीं पता कि बिना रिकमेंडेशन के सरकारें ट्रांसफर नहीं करती हैं। ट्रांसफर नहीं किया था, ट्रांसफर तो पहले हो चुका था। मैं तो कहूंगी कि आईबी की जो रिपोर्ट्स हैं कुछ लोगों के बारे में, उनको पब्लिक कर देना चाहिए। सबको समझ आ जाएगा कि किसका ट्रांसफर क्यों हुआ है? ... (व्यवधान) उसे पब्लिक कर देना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मुझे कम से कम यह सोचकर दुख जरूर होता है कि इस देश के अंदर जहां हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं और पिछले पांच साल उसी विकास की राजनीति के हैं।...(व्यवधान) कुछ लोगों ने, जब इस देश के अंदर लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना में घर दिए गए, तो क्या लोगों का मजहब देखकर दिए गए थे? जब गैस सिलेंडर दिए गए, तो क्या मजहब देखकर दिए गए थे? 'आयुष्मान भारत' का फायदा मजहब देखकर दिया गया? ये लोग कैसे इस बात को भड़का सकते हैं? I can think that rank and file of minority community may not understand the nitty-gritty of law because of their limitations. लेकिन यहां जितने नेता बैठे हैं, वे तो सब बहुत पढ़े-लिखे हैं, उनको क्या यह बात समझ में नहीं आ रही है? वे क्यों इस तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं जिससे देश बिखरे? यही कारण है असलियत में कि वे लोग जो इस्लामिस्ट हैं, वे इस देश में कभी लेजिस्लेचर में बहुत अहमियत नहीं रखते थे, कभी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वीटो पावर, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हुए उसे जरूर एक्सरसाइज करते थे। अगर वे वीटो पावर को एक्सरसाइज नहीं करते तो जाहिर है

कि धारा 370, जो कि टेम्पेरेरी प्रोविजन था, कब की हट जानी चाहिए थी। तीन तलाक को कानून ने कभी मान्यता नहीं दी, कब का हट जाना चाहिए था। ... (व्यवधान) रॉयट्स का संबंध है क्योंकि ये सब ग्रूअप हो रहा था। मैं आपको बताती हूँ, आप पेशंटली समझिए। ... (व्यवधान)

धारा 370, तीन तलाक, यूनिफार्म सिविल कोर्ट, ये सब तो भारत के संविधान में लिखी हुई चीजें हैं, 1952 से आज तक खत्म हो जानी चाहिए थीं, लेकिन ये चीजें खत्म क्यों नहीं हुईं? ये खत्म इसलिए नहीं हुईं क्योंकि इस्लामिक जमात की वीटो पावर चलती थी, जिसे शासन में रहना होता था, अगर वह नो गो ज़ोन को डिस्टर्ब करता था तो आप समझिए कि वे शासन में आ ही नहीं सकते थे। लेकिन जब से यह सरकार शासन में आई, तब से नो गो ज़ोन्स का हमेशा वायलेशन किया, यही कारण है कि यह तड़प सीएए के रूप में सामने आई। मैं यह मानने को राज़ी नहीं हूँ कि जितने मुखिया यहां बैठे हैं, उनको सीएए कानून समझ में नहीं आया। मैं जानती हूँ कि वे इस कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं मानती हूँ कि वे बहुत पढ़े-लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वे लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप इसकी जिम्मेदारी भी लेना सीखो।

माननीय अध्यक्ष जी, वोट बैंक की राजनीति इस देश की चल रही थी, लेकिन वर्ष 2014 के बाद से वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो गई।

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को

लेकिन तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने को।

आप कुछ लोगों का इतिहास उठाकर देखें तो वे बस्तियां जलाने में माहिर हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि देश में दंगों से संबंधित है। यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत जरूर करना चाहती हूँ। देश में जब-जब हिंसा हुई, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे। अभी नेहरू जी का भी नाम लिया गया कि कॉलर पकड़ लिया। मैं वैसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन लाहौर में भी ऐसा वर्ष 1946 में हुआ था।

उन्होंने कहा था, तो मैं क्या करूँ, यह मेरे अपने परिवार का विषय है। मैं आज उस बात को दोहराना नहीं चाहती हूँ। क्या रवैया था, उसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं दंगों का इतिहास जरूर बताना चाहूंगी।

इस देश में वर्ष 1950 से 1964 के बीच जवाहर लाल नेहरू जी के समय में 243 दंगे हुए जो कि डॉक्युमेंटेड है। इस देश में इंदिरा गांधी जी के राज में 1966 से 1977 और 1980 से 1984 के बीच 337 दंगे हुए। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रही। इस देश में राजीव गांधी जी के राज में, जो 1984 से 1989 था, 291 दंगे हुए। 1194 दंगों में कांग्रेस का इतिहास है कि 871 दंगे उनके शासनकाल में हुए जिसका टोटल परसेंटेज 73 है यानी 73 प्रतिशत दंगों के जिम्मेदार लोग यहां बैठे हैं। जब हम इनको शहर और बाकी तरीके से देखते हैं तो 18 बड़े भयानक दंगे देश में हुए, जो कांग्रेस की एलायंस और कांग्रेस के शासन में हुए।

तीन प्रेसिडेंट रूल के दौरान हुए हैं, चार अन्य दलों के बीच हुए हैं और केवल एक दंगा, जिसको ये बार-बार याद करते हैं, वह गुजरात का है। लेकिन, अगर हम गुजरात का इतिहास याद करें तो लोग हैरान होंगे कि गुजरात में हर साल दंगे होते थे और वर्ष 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है।

ये वे लोग हैं, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिदा हो। दानिश जी –

‘जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिदा है,
वो भी आए हैं, यहां करने नसीहत हमको।’

अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ बहुत राजनैतिक न लगे, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता आज वाकई रो रही होगी, अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रही होगी। फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस का किराया, ये सब सोचकर जो

करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई है, वे याद कर रहे होंगे। अब मुझे लगता है कि अब इस शहर को जरूरत है एक फ्री ... *

माननीय अध्यक्ष: आपके इस मत से मैं सहमत नहीं हूँ। इसको एक्सपंज कर दिया जाए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी है। ...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष जी, एक कहने का तरीका है कि जिन लोगों ने दिल्ली को परेशान किया, आज वही लोग मलहम लगाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने 1984 के दंगों की बात की, मनमोहन सिंह जी की बात की, मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि वे भूल गए कि कुछ आरोपित लोग आज मुख्य मंत्री के पद पर विराजमान हैं। ...(व्यवधान) मैं इनको यह भी बताना चाहती हूँ कि 36 घंटे के अंदर, जो बहुत ही भयावह रूप ले सकते थे, लेकिन, 36 घंटे के अंदर इन दंगों पर कंट्रोल किया गया, जिसकी तैयारी आज अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो महीने भर से चल रही थी। ...(व्यवधान) Nero was fiddling when Rome was burning. I think, he should remember the words of late Mr. Rajiv Gandhi 'बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।' He displays this idiom better than anything else.

दिल्ली के एमपीज कहां थे? दिल्ली के एमपीज जब दंगे हो रहे हैं तो सड़कों पर उतरकर उसको बेकाबू नहीं होने देना चाहते, वे चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे और पुलिस कार्रवाई करेगी। अब आप अपने नेता से पूछ लीजिए कि वे कहां थे? ...(व्यवधान) आप पीछे मुड़कर पूछ लीजिए वे कहां थे? ये पाकिस्तान और टेरेरिज्म के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन ये भूल गए कि उन्हीं के डर के मारे इन्होंने इतने दिनों तक हिन्दू शरणार्थियों को आज तक नागरिकता नहीं दी, जो 25-25 सालों से यहां पड़े हुए हैं।

* Not recorded

जितनी हेट स्पीचेज गिनवाई हैं, ... * से लेकर तमाम लोग जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' लिखते हैं, लेकिन, ठीक उसके खिलाफ काम करते हैं। वे हेट का प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसी डिसेप्टिव राजनीति इस देश में चल रही है।

इन्होंने यह भी कहा कि अजित डोभाल को क्यों उतरना पड़ा? वे एनएसए हैं। एनएसए जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है, वे उतरें तो मुसीबत, न उतरें तो मुसीबत। जब आप गृह मंत्री जी के बारे में पूछते हैं तो वे सुपरवाइजरी बॉडी हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अगर वे किसी भी दंगा क्षेत्र, दंगा पीड़ित, क्या वे थाने में जाकर बैठ जाएं, ताकि पुलिस उनकी निगरानी के लिए उनकी तरफ ही देखने लगे और अपना काम न करे, आप क्या चाहते हैं? 24 तारीख को दिल्ली में जब हिंसा भड़की तो गृह मंत्री जी अपने निवास पर शाम सात बजे, इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किस तारीख की बात कर रहे हैं, दंगा 24 तारीख को साढ़े बारह बजे दिन में शुरू हुआ है और सात बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार, गृह सचिव, आई.बी. के निदेशक, आई.बी. के अन्य उच्चाधिकारी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त सभी लोग शामिल थे। गृह मंत्री जी ने हिंसा का विस्तार से आकलन किया और पुलिस को सख्त-से-सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया।

ये रात को एक बजे तक लगातार स्थिति का आकलन करते रहें। दिनांक 25 फरवरी को गृह मंत्री जी ने दिन की शुरूआत गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से की। जिसके उपरांत दोपहर बारह बजे गृह मंत्री जी ने नार्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ दिल्ली की स्थिति पर एक बार और बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चौपड़ा, भाजपा के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, दिल्ली के विधान सभा में विपक्ष के नेता

* Not recorded

रामवीर बिधुड़ी और अन्य लोग उपस्थित थे। इस बैठक में गृह मंत्री जी ने उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्थिति को नियंत्रित किया जाए।

गृह मंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे लोगों के मन से भय और अफवाहों को दूर करने के लिए अपने सांसदों, विधायकों, पार्षदों और पार्टी कैंडर को जनता के बीच और प्रभावित इलाकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भेजें। उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी जनता के साथ बातचीत शुरू करने और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए स्थानीय अमन समितियों के साथ काम करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुनः दिल्ली में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नार्थ ब्लॉक में गृह सचिव और आईबी के निदेशक के साथ बैठक की गई। दिल्ली पुलिस को सशक्त करने के लिए श्री एस.एन.श्रीवास्तव को विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नियुक्त किया गया। शाम साढ़े छः बजे गृह मंत्री ने अपने आवास पर गृह सचिव और आईबी के निदेशक, डिप्टी एनएसए, दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री एस. एन. श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में शांति बहाल करने और दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त फैसले लिए गए। गृह मंत्री ने सुबह दो बजे तक स्थिति का आंकलन किया। दिनांक 26 फरवरी को गृह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह समीक्षा बैठक ली, जिसके उपरांत गृह मंत्री जी ने दिल्ली की स्थिति के बारे में मंत्री मण्डल को अवगत कराया। वे कैबिनेट की मीटिंग की बात कर रहे थे। इसके बाद दिन में गृह मंत्री जी ने दिल्ली की स्थिति के बारे में गृह सचिव और आईबी के निदेशक के साथ बैठक की। शाम को फिर गृह मंत्री जी ने दिल्ली की स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार, गृह सचिव, आईबी के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दिनांक 27 फरवरी, 2020 को सुबह गृह मंत्री जी ने दिल्ली की व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सुरक्षा की समीक्षा के लिए गृह सचिव और आईबी के निदेशक के साथ नार्थ ब्लॉक में दो और बैठकें कीं। शाम को गृह मंत्री जी ने दिल्ली की समग्र स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए गृह सचिव, आईबी के

निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नार्थ ब्लॉक में लंबी बैठक की। क्या अब भी आप जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी उस समय क्या कर रहे थे?

अध्यक्ष जी, मैंने एक साल पहले एक किताब 'न्यू देहली कॉस्पिरेसी' लिखी थी। उसमें पॉलिटिकल ... * नाम का एक शब्द था। Political ... * is the art of using ... * as a weapon in politics. This is precisely what the Opposition is doing today. अध्यक्ष जी, Create freelancers में कुछ एडवाइसेज हैं, जिन्हें मैं पढ़ देती हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मनगढ़ंत किताब सच होने जा रही है। इसको एडवाइस किया गया है।

What is happening in current politics is a true enactment. Like the fiction, some international powers have succeeded in creating many freelancers of chaos in India who are constantly working for their sponsors against the interest of India. Bring all of them together, organise them, train them, finance them, and coordinate with them to spout multiple voices. Opposition from across different fields – academia, literature, art, and culture – these merchants of chaos is what is being enacted out today. आज आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वे यही merchants of chaos दिखाई दे रहे हैं, जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं और मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि सिनिस्टर प्लॉट का काम करने में बहुत सारे लोग शामिल हैं। प्रॉक्सिज वाली बात भी सभी के सामने साबित हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं अंत में ... * का एक बयान जरूर बताना चाहती हूँ, जो जेएनयू की छात्रा है। उनका एक बयान सरफेस हुआ था। जिसमें उन्होंने कहा कि "It is not about saving democracy. It is not about Constitution or preserving the spirit of secularism in India, putting up Indian flags and reading the Preamble of Indian Constitution."

* Not recorded

मैं अपोजिशन को खास तौर पर याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वह प्रिएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर वर्ड्स की बात करते हैं तो वे 1976 में अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे और उस प्रिएम्बल को उस समय अमेंड किया गया था, जब अपोजिशन के तमाम लोगों को जेल भेजा गया था। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): क्या उससे पहले यह हिन्दू राष्ट्र था?

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: वही मैं आपको बता रही हूँ। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जब संविधान ही सेकुलर है, हमारे विचार ही सेकुलर हैं, तब हमारे विचारों को सेकुलर होने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि मैं हमूद की दो लाइनों में अपनी बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में 72 फिरके हैं, यहूदियों के 71 फिरके हैं और मेरे धर्म के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि 73 फिरके होंगे। मुझे खुशी है आज इस बात की कि इस सेकुलर देश के अंदर वे 73 फिरके हैं। किसी भी इस्लाम मानने वाले देश में 73 फिरके नहीं हैं, वे आपस में कभी सुन्नी को शिया नहीं पसंद है, किसी को अहमदी नहीं पसंद हैं और किसी को हजारा नहीं पसंद हैं। यही वह सो-काल्ड हिन्दू राष्ट्र है, जिसके अंदर वे तमाम फिरके मौजूद हैं और उसका कारण यहां के बहुसंख्यक हैं।

मैं अंत में गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूँ। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जो भी राष्ट्रहित के काम हुए हैं, आप उन कामों का जारी रखिए, क्योंकि वही देश निर्माण और सबको एक सूत्र में बांधने वाले काम हैं। बहुसंख्यक भले ही चुप है, लेकिन वह चुप्पी के साथ आपके साथ चट्टान बनकर खड़ा हुआ है।

“सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की,
वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है।”

जय हिन्द ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, Sir, in the midst of cyclone, tempest, and tsunami in the House, you have permitted me to participate in the discussion on the law and order situation in certain parts of Delhi. The law and order situation in Delhi is not only being discussed in this temple of democracy, the Indian Parliament, but is also being discussed in the Parliaments of United Kingdom, Indonesia, Iran, Turkey and Malaysia. All of them have showed concerns not only about CAA but also about the law and order situation in Delhi.

A paradoxical situation prevails in Delhi. In a place called Shaheen Bagh, today is the 88th day, people are observing *dharna* without any commotion or creating any law and order situation for the people living around. The *dharna* by the minority community is going on silently or peacefully. At the same time, what has happened in Jafrabad, a town in the north-east Delhi? More than 53 people have been killed and 500 people have been injured and hospitalised. What went wrong there? In Shaheen Bagh only anti-CAA protestors had been participating in *dharna* while in Jafrabad, not only anti-CAA but also pro-CAA people belonging to the ruling party, that is the BJP, were involved.

16.00 hrs

That is a problem. So, when they protest and come for confrontation, the law and order situation worsens. It took 53 lives. More than five hundred people are still in hospitals. These are all the outcomes of riots.

Sir, the Delhi Police is known for their professional efficiency and competency to control any sort of riots. At any point of time, they can rise to any occasion. Many officers, who are in the Home Ministry, are capable of handling not only the Police Administration, but also their own day-to-day administration. A mighty Home Minister is here whom we believed will keep the law and order of this country properly. But what is happening nowadays? Why all went wrong? Where are we going? All other countries like Indonesia, Iran, Turkey, and the UK are just making fun of us. Is it proper to discuss about our democracy in other countries? That is why, the police inaction cannot be not attributed to the 'inaction of the police'. It has been advised by the Administration. ...(*Interruptions*) The police -- who have got the capacity to deal with any situation and to make law and order proper -- have not come to the rescue of the people to see that peace in Delhi could prevail.

The first incident happened on 15.12.2019. What had happened then? The incident had happened in Jamia Millia Islamia University. The Vice-Chancellor of the Jamia Millia Islamia University did not call the police. Only the police went inside. The police not only entered the campus, but they went inside the bathroom, library, and hostel. They chased the students up to that level. The brutally injured students have been hospitalised. ...(*Interruptions*) There was no action and no FIR. ...(*Interruptions*) This has happened without

any call. The next incident happened in the JNU. Holistically, the ... * is a root cause for all the ill happenings.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): आप ... * का नाम कैसे ले रहे हैं?... (व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): He cannot take the name of the ... *. ... (Interruptions)

SHRI T. R. BAALU : The workers of the ... * are the root cause for all these ill happenings. ... (Interruptions)

श्री अश्विनी कुमार चौबे: आप ए.बी.वी.पी. का नाम क्यों ले रहे हैं?... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: It is because of the ...*, things went wrong. The police were sitting like duck outside the compound. There was no reaction from them. Looting was going on. Arson was going on. Brutality was going on inside the JNU. But at the same time, the police were looking like duck sitting outside. They just folded their hands. ... (Interruptions) Why were they not interfering to maintain law and order?

The third incident is the most important incident. My sister was narrating a story about the good behaviour of ...*, a drop-out of the Aam Aadmi Party and a small-timer to the BJP. That particular person spoke ill and gave provocative and hatred speeches among the public. On 23rd February, he had

* Not recorded

proclaimed as if he is the Home Minister of this country. He said and I quote, "Three days ultimatum to Delhi Police. Get the roads cleared. Do not try to convince us. After this, we will not listen to you. Just three days". He warned the Police. This speech was made on 23rd February.

He had given three days' ultimatum. The things went wrong on 24th, 25th and 26th. What had happened? There was looting. There was unbridled arson on the streets of Jafrabad. There were 53 deaths, more than 500 injured, three mosques were burnt to ashes, one school was burnt, 122 houses were burnt to ashes, and 200 cars as also 300 motor cycles were burnt.

Not only that, even the media persons were not left out. The media persons belonging to CNN, NDTV, Times of India, Reuters, India Today, and News18 were mercilessly attacked. Their equipment were seized and thrown into the dustbins. All this happened during the day light 24, 25, and 26 February, 2020.

Even the judiciary was not spared. I do not want to take the name of that particular person whom my friend has just now mentioned. A judge of the High Court asked as to why you had not taken action against the persons who made hate and provocative speeches. Overnight, his marching orders were passed and that judge was transferred to somewhere else. Is it proper? The judiciary was under attack. The media persons were under attack. The minority was under attack. Is it proper on the part of the Government which have more than 300 Members of Parliament?

What were the basic causes of all these? These were CAA, NPR and NRC. These have been mentioned many times. In 1955, the Citizenship Act came into being. In 2003, the rules were framed. In 2003, there were no such parameters. Only 12 parameters were there but now my friends have added another 6-7 parameters. Now they have added parameters like father's date of birth, mother's date of birth, licence number, telephone number, and so on. These things will not be kept confidential. These things will be on the website; and world over, everybody can see that information. There is no personal liberty. I would like to know why these things have happened. These things have happened because of CAA only. The root cause is CAA only. Even in Tamil Nadu in North Chennai for the past 40 days, agitation is going on. In my constituency, day and night people are just on the roads with children, old women as also father and mother. This is happening every day.

Now I would like to make a small request. They are all our brothers and sisters and kith and kin of this Government. Why don't you go and see those people? The courtesy demands this. Neither the Prime Minister nor the Home Minister went there. They have not extended any olive branch. They did not have any courtesy to meet those people. If there is an election, definitely these people will go and beg from those people whether they are minority or majority.

Sir, you want me to conclude but before I conclude I will put my demands.

There are a lot of cases filed. More than 60 people approached the Apex Court against this; more than 12 States went against this Government and passed Resolutions in their respective State Assemblies.

My final request is this. My leader Shri Stalin has already prevailed upon the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to kindly visit those places and meet those people personally so that things get softened. The Government should try and earn the confidence of those people. This is the first thing that he has said. Then, the Government of India should compensate the families of the deceased. Relief camps should be provided to the riot affected people. Madrasas and schools must be restored immediately. Shop owners and businessmen should be compensated immediately. The media persons should be assisted properly for their loss of equipment. All accused should be brought to book without any loss of time. There should also be a judicial enquiry headed by a Supreme Court judge.

Thank you.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. I rise to speak in the discussion on the Delhi riots. I am not speaking in a happy frame of mind because Delhi riots happened 72 years ago after Gandhiji was murdered by a Hindu fanatic. Gandhiji has been murdered again in Delhi by, you know who.

Sir, I was listening to the speech of the hon. Member Shrimati Meenakshi Lekhi. Her speech, if made outside, could be termed as a hate speech. I have seldom heard such a biased communal speech ever. I do not know whether this should go or not. Shrimati Lekhi, the hon. Member, was forthright in her defence of ... * the man who went to Maujpur with 300 people and started the riots. She spent five minutes defending the most hated man. May I quote Shakespeare and call her the 'Devil's Advocate'? She is the best 'Devil's Advocate' possible. She has also been an advocate for the Delhi police which has shown total inaction and ineptness in this whole riot in Delhi. Unfortunately, there are not many takers for Meenakshi ji's speech.

Sir, this is what our leader Ms. Mamata Banerjee has said – this is a planned genocide. ...(*Interruptions*) I must explain as to why she called it such. She called it such because there was a gradual build up to this hatred which led to the riots. First, you have to take action in JNU against students, then the police will go to Jamia Milia and beat up students inside the library, then one

* Not recorded

after another, in the run up to the Delhi election, one Shri Anurag Singh Thakur will say 'goli maro' and use some other words ...(Interruptions) then Shri Parvesh Verma will say that the Shaheen Bagh people will go and do all sorts of things to you and then the hon. Home Minister will say ...(Interruptions) आप इतना ज़ोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और दिल्ली में उनकी पार्टी हार गई, यह तो दूसरी बात है।

The hate was being built up and then this man ... * .. openly said if the road is not cleared, I shall go with 300 people to clear the road. ...(Interruptions). Then what happened? I am not counting Hindus and Muslims ...(Interruptions) because I will quote John Donne who said: "Every man's death diminishes me, because I am involved in Mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee." This was quoted by Ernest Hemingway in his famous novel 'For Whom the Bell Tolls'. So, I am not counting, though, I know that out of the 53 people killed, two policemen were there; 11 belong to the majority community, and 40 belong to the minority community. ...(Interruptions). I am not naming any community, but it is obvious that the minority community suffered more. Thousands of people have fled from the affected areas and gone to their villages in Uttar Pradesh and Haryana and were living with relatives elsewhere in Delhi.

In this city of Delhi, areas like Maujpur, Chand Bagh and Yamana Vihar were totally affected. The other areas which were affected, which I may

* Not recorded

mention, were Jaffrabad, Seelampur, Babarpur, Gokulpuri, Khajuri Khas, Karawal Nagar, Bhajanpura. For three days, there was a naked dance of communalism on the streets of Delhi. How it all started? On 23rd, ... * .. came with a pro-CAA procession. There was a sit-in at Jaffrabad. First clash took place between pro-CAA and anti-CAA protesters. Women have been sitting in Shaheen Bagh since 14th December. There was no violence. But whenever BJP leaders spoke.....(*Interruptions*) they were saying, यह शाहीन बाग में है, यह देशद्रोही है, इसको गोली मारो, उड़ा दो। इससे चारों तरफ घृणा फैलने लगी। जैसी मीनाक्षी लेखी जी की स्पीच थी, वैसी स्पीच ये लोग बाहर दे रहे थे।

On 24th, actual rioting started. I was looking for our hon. Home Minister Shri Amit Shah. I saw him sitting in a front row at Motera Stadium welcoming Mr. Trump. When Mr. Shah should have been in Delhi Police Control room, he was welcoming Mr. Trump at Motera. ...(*Interruptions*). On 24th, which was a Monday, Mr. Trump had come to Ahmedabad and then he took a romantic visit to Agra and our Home Minister attended Motera and came back. There was no order to the police. On that day, five people were killed including one head constable Shri Rattan Lal. The violence was escalating, still there was no clear instruction from Mr. Shah. ...(*Interruptions*). He was busy in Trump's meeting. Then on 25th, things went out of control. Armed mobs fought with each other on the streets of Delhi. As Mrs. Lekhi said, molotov cocktails, stones, bombs, other things were thrown and ultimately, the death toll came up to 53. The things came into control when hon. Home Minister took a meeting with Mr.

* Not recorded

Arvind Kejriwal on 25th and not on 24th when the riots started. He took the meeting on 25th evening. First orders were given for Section 144 and shoot-at-sight.

Still, violence went on throughout the night of 25th. Only on 26th peace had returned and police had taken some action. The useless ...* was removed and a new man was brought in his place. Now, it has been questioned as to why Shri Ajit Doval visited the affected areas on the 26th and what was the Home Minister doing. NSA is supposed to look after security. He is going to Kashmir and he is going here and there. Is it his business to control ordinary law and order situation? Why was the Home Minister absent in action? There is no explanation for the same.

Sir, when Shri Ajit Doval went, he said, “जो हो गया, सो हो गया । Now there will be peace.” उनकी इस बात से मुझे एक कविता याद आती है-

“पंछी कहता है कि गगन बदल गया है,
भंवरा कहता है कि चमन बदल गया है,
लेकिन आज भी श्मशान की खामोशी यह करती है बयां,
कि लाश वही है सिर्फ कफन बदल गया है ।”

कफन बदल गया है, क्योंकि अहमदाबाद वापस आया है, नरोदा-पाटिया वापस आया है ।
...(व्यवधान) We have not forgotten what Shri Modi has said in 2002. He said that to every action, there is an equal and opposite reaction quoting Isaac Newton. At this stage, I feel bad standing face-to-face with Shri Amit Shah.

* Not recorded

He is still young, he has a good future. He should acknowledge responsibility for his failure to control or stop Delhi riots and bring peace in three days. ...(*Interruptions*) As you were busy with Mr. Trump, you could not do it. Please acknowledge responsibility. In the name of God, go and do not stay in the Home Minister's position. If you go now, maybe, you will recover. Otherwise, you will live the rest of our life with the stamp on your forehead that he is the man who could not prevent riot in Delhi, at a place which is ten kilometres from the Headquarters of Home Ministry. If he cannot control Delhi, how will he control this huge country? ...(*Interruptions*)

Sir, I demand a judicial inquiry into the riots by a sitting Supreme Court judge – not a retired judge – and total rehabilitation for all those riot-affected victims.

Lastly, with all politeness, I ask Shri Amit Shah, in the name of God, to go, as Churchill used to say. Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: सर, इन्होंने मेरा नाम कई बार लिया है। अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि एनएसए जाए तो तकलीफ है, गृह मंत्री जी को जाना चाहिए था। यानी सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट हैं, वह नहीं जाएंगे और लगातार जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है... (व्यवधान)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, I thank you for giving me this opportunity. I stand here to speak on behalf of YSRCP. With a heavy heart, we absolutely condemn this unfortunate incident. I categorically state that our Party President and Chief Minister of Andhra Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy firmly believes in secularism and endorses the age-old belief of unity in diversity.

16.24 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Continuing the lineage of Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy who was a strong votary of religious tolerance, his son, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy and our Party are of the firm belief that God is one and there is no place for religious intolerance.

Sir, firm action should be taken against those who are trying to whip up religious passions and bring in hatred in the name of religion or God.

Such a thing cannot happen in a large democracy like India which has become the homeland to people of various religions.

Sir, compensation to the victims should be provided. I also suggest that those who have lost their important official documents due to the said unrest, proper arrangements for speedy recovery through digital records or fresh documentation of such documents should be made for them at the earliest without harassing the victims.

Sir, we stand for safeguarding the secular fabric of the nation and believe that all religions have an equal place in this beautiful country of ours, which has spread the ideals of *dharma* and *ahimsa*, and withstood the vagaries of invasions carried out by the people of different faiths.

Hon. Chairperson Sir, despite all the shortcomings, we stood united, and there is no reason to believe why we should not continue and pursue the policy of co-existence.

To further emphasise the point and for the need to show respect towards all religions, our Party practices and preaches religious tolerance, and does not endorse disputes of any kind on religious grounds.

Sir, this is a country which has produced great philosophers, thinkers, statesmen, and scholars who had made their impact overseas, and told the world about the greatness of India, which did not invade any country to conquer territory or expand its rule.

Sir, people of various religious faiths have come into this country, and have been living peacefully. This is the only country where Jews were not discriminated during the Great War, and for that matter, no religious minority had ever felt insecure.

Sir, we have given asylum to Dalai Lama, who says:

“The purpose of religion is to control yourself, not to criticize others.”

Be it Gautama Buddha, Lord Mahavir, Ramanujam, Kabir Das or other Sufi Saints, all their efforts were only to spread the message of peace and harmony, and maintain unity in diversity.

Sir, our country carries a rich tradition of bonding with all religions, and treating all citizens as equal. Our Party believes that this tradition should continue, and the secular fabric should further enhance its glow to show the glitter of harmony to the entire world. Irrespective of caste, creed, religion, we all are one to fight intolerance.

Jai Hind!

श्री विनायक भाउराव राजत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की सबसे घनी आबादी वाला नॉर्थ-ईस्ट जिला दुर्भाग्यवश तीन दिनों तक जलता रहा। कई लोगों की जानें चली गईं, कई लोग चोटिल भी हुए। हजारों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब यह सब करने के लिए, यानी लोगों की जान लेने के लिए, लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, मालमत्ता का विध्वंस करने के लिए, उसको जलाने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। कई जगहों पर फायरिंग हुई थी। दंगा-फसाद करने के लिए जिन-जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट जिले को जलाने का काम दंगाखोरों और दंगा-फसाद करने वालों ने किया है। सभापति महोदय, दुर्भाग्यवश यह घटना ऐसे वक्त घटी थी, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सत्ताधीश जिसे कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत देश में आए थे, हिन्दुस्तान में आए थे। वह गुजरात से आगरा गए, जहां पर उन्होंने ताजमहल देखा। ऐसे समय देश की राजधानी दिल्ली जलती रही, लोगों की जानें जाती रहीं।

प्रश्न यह निर्माण हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त हिंदुस्तान में आए थे, तब हिंदुस्तान में सारा यह दिखना चाहिए था कि हिंदुस्तान हमारा एक है। लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने साबित हुआ कि हमारी दिल्ली में भी दंगा-फसाद करने वाले लोगों को पूरी तरह से हम रोक नहीं सके। यह असफलता किसकी है? इस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सरकार को इस तरफ सही तरीके से सोचना चाहिए। आपके पास कितनी एजेंसियां हैं - दिल्ली पुलिस का स्पेशल प्रोटेक्शन सेल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, एनएसए है, सीबीआई है, एनआईए है, राॅ है। इतनी सारी एजेंसियां दिल्ली में होने के बावजूद भी एक दंगाखोर आदमी के घर में पेट्रोल बम रखे जाते हैं, वहां तलवारें रखी जाती हैं, फायरिंग की व्यवस्था की जाती है। इसकी सारी रिपोर्ट होम मिनिस्टर को मिली नहीं। होम डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको इस तरह की कुछ भी जानकारी मिली नहीं। क्या ये सारी एजेंसीज़ फेल्योर हुई हैं? मेरा सवाल है कि दिल्ली की सारी की एजेंसी फेल्योर हो चुकीं। इसलिए दुर्भाग्य से

अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के सामने भी अपने प्रधान मंत्री जी को जिस तरीके से उनके साथ जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री भी डेफिनेटली दुखी हुए थे कि जब ट्रम्प के सामने हम अभिमान से कहते थे कि हमारा हिन्दुस्तान सबसे बड़ा है, चाहे पाकिस्तान की कितनी भी आतंकवादी कार्यवाही हो, दुनिया के कोई भी आतंकवादी कार्यवाही करने वाले हों, अपनी जो एजेंसीज़ हैं, अपने जो दल हैं, 24 घंटे के अंदर सही तरीके से उनको सबक सिखा सकते थे। जब ऐसी स्थिति है, तभी यह प्रश्न निर्माण हुआ कि 50 घंटे तक अपनी सारी एजेंसीज़ देखती क्यों रहीं। उनके ऊपर काबू क्यों नहीं पा सके? पुलिस वाले कहते थे कि हमारे पास स्पेशल फोर्स नहीं है। जब स्पेशल फोर्स गई तो वे कहते थे कि हमारे ऊपर के ऑर्डर नहीं आ सके। यह अनदेखी क्यों हुई?

सभापति महोदय, शाहीन बाग का तो मैं समझ सकता हूँ। शुरू के दिनों में हार्डली 50-60 लोग थे। पूरे देश में वैसे इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन 50-60 लोग जब शाहीन बाग में आए, आहिस्ते-आहिस्ते वे 20-25 हजार तक कैसे गए? उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनके ऊपर सही तरीके से ध्यान देना और जो दंगा-फसाद करने वाले लोग, जो घुस कर इस देश को खतरा पहुंचाने वाले जो कुछ कार्यवाही कर रहे थे, उनकी सही तरीके से जानकारी दिल्ली की सारी एजेंसीज़ को मिलनी आवश्यक थी। सभापति महोदय, यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सीएए के बाद पूरे देश में कहीं न कहीं ऐसी शाहीन बाग जैसी घटनाएं होने लगीं। आप जानते हैं कि मुंबई में कितने बड़े मुसलमान एरियाज़ हैं। चाहे महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में मुसलमान आबादी बहुत भारी संख्या में रहती है, वहां भी सीएए के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन चालू हुए थे। लेकिन मैं इस सभागृह में कहता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे जी ने, जहां-जहां शाहीन बाग जैसे इंसिडेंट करने की कोशिश हो रही थी, जहां-जहां इसके बारे में प्रदर्शन करने के लिए शुरुआत हो रही थी, वहां के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत उनके साथ संबंध रखा, उन्होंने लोगों को बुलाया और उनके साथ बातचीत की और सीएए, जो लागू नहीं हुआ एनआरसी, उसके बारे में सोचो मत, यह बताने का काम वहां महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने जब किया, तब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलन

हो रहे थे, वहां कोई भी ऐसी हिंसा की घटना नहीं हुई। एक छोटी सी बात हिंगोली में थी। बाकी मुंबई में नहीं, ठाणे में नहीं, औरंगाबाद नहीं नहीं, महाराष्ट्र के सभी इलाकों में आज भी वही शांति से रह रहे हैं, वही भाईचारे से रह रहे हैं, फिर दिल्ली में यह नाकामयाबी प्राप्त क्यों हुई?

सभापति महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यह जानना चाहता हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे के उस वक्त में अपने देश में हिंसा निर्माण करें और उनको दिखा दें कि भारत में शांति नहीं है, ऐसी एजेंसीज जो अपने देश में काम करने वाली हैं, उनकी खोज करना, उनके ऊपर पाबंदी लगाना, यह हमारी सारी एजेंसीज का काम है, शासनकर्ता का भी काम है। जब पाकिस्तान के आतंकवादी अड़्डे ध्वस्त करने में हमारी सेना सफल होती है, तो दिल्ली में यह आतंकवादी कार्रवाई करने वाले लोगों को पाबंदी लगाने में असफलता क्यों प्राप्त हुई, हमें यह जानकारी करने का हमारा अधिकार है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूँगा और यही विनती करूँगा कि भविष्य में दिल्ली हो, मुंबई हो, एक तरफ तो कोरोना से पूरी इकोनॉमिकल सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और ऐसे वक्त में दंगा-फंसाद होना हिन्दुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए सारे हिन्दुस्तान में शांति रखें, सारे हिन्दुस्तान में भाई-चारा बनाया जाए और हिन्दुस्तान के लोग सुखी रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): धन्यवाद सभापति महोदय । 23-24-25 फरवरी को दिल्ली में जो हिंसक घटनाएँ हुईं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं । दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, उसकी जितनी निन्दा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है । सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है । इससे देश का माहौल खराब होता है और देश का जो विकास है, वह प्रभावित होता है । पूरा प्रशासन तंत्र इस तरह के कामों में उलझ जाता है । इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है । सब को मालूम है कि देश में पिछले कई महीनों से जो देश का माहौल खराब किया जा रहा है, उसका यह परिणाम है । कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की, कई पार्टी के नेताओं ने चर्चा की । हर एक ने घूम-फिर कर शाहीन बाग पर लाकर केन्द्रित किया । भाई, क्यों शाहीन बाग पर लाकर केन्द्रित कर रहे हैं, आपके पीछे शाहीन बाग की क्या मंशा है और पूरा देश इस बात को जानता है कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद कई राजनीतिक दलों ने पूरे देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया । अगर आप देश का माहौल खराब करेंगे, तो ऐसी घटनाएँ स्वाभाविक हैं । ऐसी घटनाएँ होंगी । अगर देश की एकता बची रहेगी, देश बचेगा, तो राजनीतिक पार्टी बचेगी और अगर राजनीतिक पार्टी बचेगी, तभी आप राजनीति कर पाएँगे, अन्यथा आपको राजनीति करने की जगह भी नहीं मिलेगी । आप क्या कर रहे हैं, सीए पर बहुत चर्चा हुई, इस सदन में भी चर्चा हुई । सीए के विरोध में आप पूरा माहौल खराब कर रहे हैं । सीए को एनआरसी के साथ जोड़ रहे हैं, जगह-जगह प्रदर्शन करा रहे हैं । प्रदर्शन के पीछे कौन लोग हैं, अगर देश में यह जाँच हो जाए, सदन के उप-नेता यहाँ मौजूद हैं, आप जरा जाँच क्यों नहीं करा देते हैं, पूरे देश में जाँच करा दीजिए, इन सारी घटनाओं के पीछे किनका हाथ है, सब सफेदपोश बाहर आ जाएँगे और सब की पोल खुल जाएगी । आप क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं, सीए में क्या है? सीए का जो भी कानून बना, सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उसमें क्या बात है? कई बार यह बात साफ हुई, सीए के किस बिन्दु पर आपको विरोध है, इसको बताने काम काम कीजिए कि सीए में यह प्रावधान है, इसका हम विरोध करते हैं । बार-बार यह कहा गया कि सीए किसी की नागरिकता लेने का नहीं है, नागरिकता देने का कानून है और जब नागरिकता देने का कानून है, तो इस देश में

जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, यह सब जानते हैं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसमें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बंगलादेश में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ रहे, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ गए, वे उसके हकदार हैं। उनको अगर वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अगर अपमानित किया जा रहा है, तो वे उसके हकदार हैं। वे जिस देश में पैदा हुए, जिस मुल्क में उनका अधिकार है, जिस मुल्क की धरती पर वे पैदा हुए थे, वह मुल्क उनको हक दे और अगर यहाँ आए हैं तो यहाँ उनको रहने के लिए इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा दे।

इसमें कौन सा विरोध है? कई लोगों ने इस पर चर्चा की है। आज दिल्ली की हिंसा के पीछे, अगर पूरे घटनाक्रम के पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सीएए के विरोध के बाद जो देश का माहौल खराब किया गया है, दिल्ली की हिंसा के पीछे वह कारण है। इसके कारण पर जाना चाहिए। इसको पता लगाना चाहिए। अब विरोध है, विपक्षी पार्टियाँ हैं, विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, दोनों इसके अंग हैं। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार का विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन विरोध करिए तो सकारात्मक विरोध कीजिए। आप नकारात्मक विरोध क्यों कर रहे हैं? देश का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, देश को बर्बादी के कगार पर क्यों ले जा रहे हैं, देश का विकास क्यों प्रभावित कर रहे हैं? इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि इस पर चर्चा हो। सीएए की बात तो मैंने बताई। अब देश में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में एक भ्रम फैलाया गया है और यह भ्रम बहुत ही सुनियोजित तरीके के फैलाया जा रहा है। अगर साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव इस देश में रहेगा तो देश का विकास होगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और आप माहौल को खराब कर रहे हैं। आप किस बात के लिए माहौल को खराब कर रहे हैं? देश बचेगा तभी तो आप राजनीति करने के भी लायक बचेंगे। वे अभी चर्चा कर रहे थे। अगर आप सीएए का विरोध कर रहे हैं, तो आपको यह बताना चाहिए, बहुत ही सकारात्मक ढंग से इस देश को बताना चाहिए कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की इन धाराओं का हम विरोध कर रहे हैं, इन चीजों का हम

विरोध कर रहे हैं। वह तो आप कर नहीं रहे हैं। आप सीधे उसको एनआरसी के साथ जोड़ते हैं। एनआरसी के बारे में रामलीला मैदान में जब प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अभी कोई एनआरसी का सवाल नहीं है और कोई एनआरसी चर्चा में नहीं है, तो फिर काहे का एनआरसी? फिर काहे को एनआरसी की बात आप कर रहे हैं? क्यों एनआरसी की बात कर रहे हैं? क्यों एनआरसी को आप सीएए के साथ जोड़कर इस देश के अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? आप इस देश के अल्पसंख्यकों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इस देश के अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम हुआ कि दिल्ली में यह हिंसा हुई। इस तरह के कामों में आप माहिर हैं। अधीर रंजन जी अभी यहाँ पर नहीं हैं, वे चले गए हैं। इस तरह के कामों में वे माहिर हैं। जब वे भाषण दे रहे थे तो हम उनका भाषण सुन रहे थे। उन्होंने 1984 के सिख दंगों की चर्चा की। सिख दंगों की चर्चा करते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने सदन में जो माफी माँगी, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। 1984 का दंगा क्यों हुआ था? इसी तरह का माहौल 1984 में इस देश में पैदा किया गया। सिखों के खिलाफ भड़काया गया और सिखों के खिलाफ भड़काकर सिखों की हत्या की गई और जब एक समय आया, तो आप माफी माँगने लगे। आप इसमें माहिर हैं। आप गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। आप गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। आप भड़काते हैं और माफी माँगते हैं। आपके एक बड़के नेता पूरे लोक सभा चुनाव के दौरान पूरे देश में फैला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का जो चौकीदार है, वह... * है और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नकेल कसी, तो वहाँ जाकर फट से माफी माँग ली, तो गिरगिट की तरह रंग बदलने की आपको आदत है। बोलते कुछ हैं और तुरन्त जाकर माफी माँग लेते हैं। आप इस तरह के काम क्यों करते हैं? आप कई बातों की चर्चा कर रहे थे।

सौगत राय जी बोल रहे थे और कई बातों की चर्चा कर रहे थे। सौगत राय जी, आप जाकर बंगाल की स्थिति भी देखिए। आप कभी बंगाल की स्थिति का भी आकलन कीजिए। आप तो हयूमन हैं, आदमी हैं और आदमी को कभी-कभी दिल पर हाथ रखकर आंख बंद करके चिंतन

* Not recorded

करना चाहिए और जब आप उस चिंतन को करेंगे तो आपको बंगाल भी नजर आएगा। पूरा देश भी नजर आएगा और बंगाल भी आपको नजर आएगा। आपको तो वह नजर आता नहीं है, चूंकि वहाँ आपको चुनाव लड़ना है। आपको चुनाव लड़ना है तो लड़िए, राजनीति भी कीजिए, लेकिन राजनीति के साथ-साथ देश की एकता और अखण्डता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं। देश की एकता और अखण्डता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि अगर देश बचेगा तभी आप बचेंगे। अभी बार-बार चर्चा हुई, हर आदमी ने, सौगत राय जी ने भी, उन्होंने भी, कई लोगों ने तोता रटंत की तरह शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग की चर्चा की। गृह मंत्री जी भी आ गए हैं, हम आदरणीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि पूरे देश भर में जो माहौल इन लोगों ने खराब किया है, जरा उसकी निष्पक्ष जांच करा दीजिए, सबकी पोल खुल जाएगी कि किसने-किसने, कहाँ-कहाँ देश में माहौल खराब करने का काम किया है।

एक पार्टी के नेता है, अभी युवराज है, दिल्ली के जेएनयू में कुछ भाषण दिए थे, उन पर मुकदमा चल रहा था। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। पूरे बिहार में घूम-घूम कर सीएए के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करिए न, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन बताइए तो सही कि आंदोलन काहे का कर रहे हैं? सीएए में किस बात का विरोध कर रहे हैं।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): आप ही के ... * है। ... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': आप बैठिए न। अब ... * तेल लादने गए। आपके यहाँ ही तेल लादने के लिए पंजाब गए थे। ... (व्यवधान) इसलिए चिंता मत कीजिए। वह तेल लादने के लिए चले गए। ... (व्यवधान) अब आप अपने साथ ले लीजिए। अब वह आपकी भाषा बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ही उनसे बुलवा रहे हैं। इसलिए उनको रास्ता दिखा दिया गया। ... (व्यवधान) इसलिए उनकी चिंता मत कीजिए।

हम लोग देश की एकता एवं अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता को कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। ... (व्यवधान) अभी कई लोग डोभाल साहब की बात कर रहे थे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप चेयर को ऐंड़स कीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : दिल्ली में कानून-व्यवस्था की बात है। अगर कहीं पर कोई जा रहा है, यह सरकारी तंत्र है। वहां एनएसए जा रहे हैं या एनआईए जा रही है, इससे आपको क्या लेना-देना है? आप उस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आप हर चीज में राजनीति को घुसेड़ना चाहते हैं।

अंत में हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। जब इस देश में यह सुनियोजित साजिश की गई और तारीख चुनी गयी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति इस देश के दौरे पर आए थे, उस समय दिल्ली में हिंसा कराने की तारीख तय की गई। उस समय जान-बूझकर हिंसा का माहौल पैदा किया गया। पिछले पाँच दिनों में लोक सभा में क्या प्रॉब्लम थी? लोक सभा की कार्यवाही नहीं चल रही थी। सरकार ने कहा कि अभी होली का समय है। अगर होली में माहौल खराब होता है, उस माहौल के बाद हम अगर चर्चा करेंगे तो उसमें आपको क्या आपत्ति थी? आप चार दिन पहले चर्चा करते या चार दिन बाद चर्चा करते, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं हुए। उस चार दिन का भी आपने माहौल खराब करने में सदन का उपयोग किया। आपने सदन के माध्यम से देश का माहौल खराब करने का आग्रह किया।

सभापति महोदय, इसलिए हम माननीय विरोधी दल के नेताओं से आग्रह करेंगे कि देश का माहौल मत खराब करिए। देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिए, जो भी बात हो, उसमें सकारात्मक विरोध की भूमिका निभाइए। सारे लोग आपके सकारात्मक विरोध की भूमिका को स्वीकार करेंगे। यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की यही परिभाषा है।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): सभापति महोदय, आज यहाँ चर्चा हो रही है। सुबह अध्यक्ष जी के चेम्बर में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में अध्यक्ष जी ने सब को हिदायत दी कि आज लोक सभा में बहुत ही विशेष चर्चा होनी है। क्योंकि लोगों में पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, मैसेज सौहार्द का जाना चाहिए। उनमें मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक भाषा में, एक स्वर में निंदा करते हैं। लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि यहाँ सियासत हो रही है और इस दौरे-ए-सियासत का इतना-सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। लोगों को यह नहीं लगना चाहिए, इसलिए एक स्वर में निंदा करना चाहिए। बीजू जनता दल इस हाउस में सभी पार्टियों के साथ स्वर मिलाकर पूरी तरह से भर्त्सना करती है, निंदा करती है, जो तीन-चार दिन तक दिल्ली में 24, 25, 26 और 27 फरवरी को हुआ। अभी समय कम है। मैं अपनी पार्टी बीजू जनता दल एवं अपने नेता श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से पाँच मुद्दे रखना चाहता हूँ।

Mr. Chairperson, we believe that there was definitely some kind of conspiracy that played out in these riots. The US President was here in the full glare of the international media. He flew 20 hours to be in India for one night. No US President normally does this unless he wants to send out a special message of friendship between US and India. In the full glare of the international media and in the full glare of the entire US top level contingent which was in Delhi, these riots played out. It was shameful. I, as Indian, feel completely embarrassed and shamed by what happened.

Therefore, I believe that there must be the most dispassionate, the most ruthless possible investigation into why these riots occurred, who the perpetrators behind it were; and they must be brought to book mercilessly. But this must be an independent inquiry and this must inspire confidence. So, I

urge the Government to completely keep parties and politics out of it, keep local considerations out of it, and have a complete independent bipartisan inquiry to ensure that people get the confidence that this is the right reason behind the riots and the right decision is being taken to punish the guilty.

Secondly, I believe that a lot of damages have taken place to peoples' lives, in terms of livelihood, in terms of business, in terms of home and hearth. Therefore, the Government must be extremely generous in its rehabilitation package. The Government must be generous to all, regardless of which community they come from, to the majority community, and also to the minority community. The Government must be even-handed and the Government must go out of its way to be not only even-handed but be lavish and generous in this hour of need. Therefore, I would urge the Government to go the extra mile for some of the minority areas which have been very badly damaged because they must specially feel that their hand has reached out to them in their hour of need.

Third issue that I would like to say is that there were lapses and there is no questions about it. It is pointless to blame the Prime Minister or the Home Minister. I say with great respect that the Prime Minister and the Home Minister have probably lost the most in it because their sheen has gone down. The Prime Minister's *Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas*, which the world believed, I think has taken a beating, if I may say so, in the international media.

The image of the Home Minister, as a strong administrator, has taken a bit of beating. Therefore, there must be a completely dispassionate inquiry.

Again, into the lapses, I would say if one NSA could do a virtual flag march and a *padyatra* from door to door and things suddenly came to a pass where things quietened down, there is no reason why the top personnel of Delhi Police should not have done this on day one or day two. 'For what reason, the Delhi Police did not do this' must be the subject matter of an absolute dispassionate inquiry, if nothing else, to restore the image of the Prime Minister and the Home Minister in this most embarrassing incident that has occurred in this country.

The fourth issue that I need to urge the Home Minister to consider sincerely, since he is here in the House, is that there must be long-term measures of confidence-building which must take place for the minority community. We were here, we supported this CAA and we did it rightly so because our Chief Minister, Naveen Patnaik Ji thought that it is the inclusionary measure, it is not an exclusionary measure and as an inclusionary measure, it is something where people are getting something and nobody has been divested of anything. But if there are going to be these continuing misgivings in a very large section of India, which is almost 18 to 20 per cent of India, and as somebody said, on 88th day in Shaheen Baag, if women in their mid-80s or early 90s or octogenarian ladies are sitting there on *dharna* in the most bitter cold and bitter rainfall, there must be something that is exercising

them. Nobody is asking the Government to take back the CAA because the CAA is the beneficial bit of legislation we believe and that is why we supported it. But perhaps if it becomes inclusionary, think of including Muslims from countries in this region, who were there in the minority, will give them the feeling that the Government reaches out to them as well, the Government cares for them as well.

I believe that the Prime Minister's statement that the NRC is not on the agenda has helped. There is no question. Our Chief Minister, of course, on day one said that the NRC will not be implemented in Odisha. He was one of the firsts to do so. Other States have then followed. I believe, that has had a salutary impact. You see in Odisha there is absolutely no problem at all. There has been complete peace among the various communities. There has been no difficulty at all.

I just need a minute more, Mr. Chairperson. Our Chief Minister has in fact wanted that '*ahimsa*' on the 150th Year of Mahatma Gandhi's Birth Anniversary, should be part of the Preamble of our Indian Constitution. Perhaps, this is the time that we seriously consider that *ahimsa* should now become integral part of our Preamble and our Constitution must include the term *ahimsa*. The Chief Minister is also saying that in the NPR the parenthood is not going to be looked at. That is again something the Government has done well to clarify. The Government has clarified it to our State. But the Government must go out and clarify that at large rather than State-specific.

If you clarify to the entire country, I believe, that will raise the morale of the minorities. I believe, you will reach out to the minorities. I believe, this is a secular country. The Treasury Benches and the Ruling Party believe in the Constitution and they believe in the comity of all communities. The Prime Minister has repeatedly said so; the Home Minister has repeatedly said so; and the Defence Minister has said so. The entire top brass of the BJP says so. Therefore, there is no reason why these misgivings should needlessly continue. There is no reason why these misgivings should unnecessarily be allowed to fester. It is time for you to reach out, but only you can reach out. Therefore, I urge you to do it before any further time lapses in this regard.

Thank you very much.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आपने मुझे नियम 193 के अधीन चर्चा में दिल्ली दंगों के बारे में बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष रखने की अनुमति दी है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं दिल्ली दंगों की गंभीरता को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। आज सुबह तक 53 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक कांस्टेबल रतन लाल और एक आईबी अफसर अंकित शर्मा भी थे। मैं इन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 38 से अधिक लापता हैं, जिसमें सात माइनर हैं। 92 घर, 57 दुकानें, 500 गाड़ियां, 6 गोदाम, 2 स्कूल, 4 फैक्ट्रियां और 4 प्रार्थनाघरों को खाक के सुपुर्द कर दिया गया।

इसी सदन से 10 किलोमीटर की दूरी पर इन दंगों को तीन दिन तक अंजाम दिया गया, ठीक उसी समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश का दौरा कर रहे थे। राजनैतिक रूप से इस घटना को लेकर हम भड़काऊ भाषणों पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त रखना किसकी जिम्मेदारी है? प्रश्न उठता है कि दिल्ली को, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कौन सुरक्षित रखेगा?

मान्यवर, तीन दिन तक गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग करता रहा और दंगे चलते रहे। यह स्थिति सीधे-सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। विभूति नारायण राय, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में डायरेक्टर जनरल थे, ने वर्ष 2008 में एक बात कही थी, मैं इसे आज याद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि कोई भी दंगा 24 घंटे से ज्यादा बिना सत्ता की सहमति के नहीं चल सकता है।

मान्यवर, अब देखना है कि इस घटना में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका रही है। 24 से 27 फरवरी तक 13,000 डिस्ट्रैस्ड कॉल्स दिल्ली पुलिस के पास आईं लेकिन तब भी दिल्ली पुलिस समय पर सक्रिय नहीं हो पाई। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने दिल्ली पुलिस की बर्बरता का खुलासा किया है। सात पुलिसकर्मियों ने रॉयट

गियर पहन कर पांच युवाओं को बेरहमी से लाठी पीट-पीटकर राष्ट्रगान गवाने का काम किया। तमाम वीडियो निकली हैं, इन पांच लोगों में से एक फैज़ान की मौत भी हो गई है। इसके अलावा और भी वीडियो आए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए पुलिस देखी गई है। तमाम वीडियो आए हैं, जिसमें पत्थरबाजों के साथ मिलकर पुलिस ने पत्थरबाजी की है। क्या पुलिसकर्मी के इस दुस्साहस पर कोई कार्रवाई हुई है? इन लोगों के साथ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, यह प्रश्न उठता है।

इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आदरणीय अजीत डोभाल जी ने हरियाणा में एक कांफ्रेंस में कहा था कि पुलिस कानून का क्रियान्वयन करती है और जब पुलिस इस दायित्व से विफल होती है तो लोकतंत्र मरता है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि पुलिस को न केवल निष्पक्ष और विश्वसनीय होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष और विश्वसनीय दिखना भी चाहिए। एक फ्लैग मार्च उन्होंने किया लेकिन क्या आदरणीय अजीत डोभाल जी को यह बात याद आई कि वही दिल्ली पुलिस आज न तो निष्पक्ष दिखी और न विश्वसनीय दिखी, यह गंभीरता का मुद्दा है।

मैं सदन से कहना चाहता हूँ, इस पूरी घटना से दो बातें उभरकर आती हैं। एक – यदि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार द्वारा संचालित है तो सीधी सी बात है कि यह घटना एक नरसंहार है।

17.00 hrs

यदि यह दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है तो यह पूरी तरह से अराजकता है। दोनों ही रूपों में सरकार की पोल खुल गई है। सरकार इस देश को विभाजनकारी राजनीति में धकेलती चली जा रही है और इस विभाजनकारी राजनीति की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट और लूंगा। दिल्ली चेम्बर ऑफ कामर्स ने इन दंगों की वजह से 25 हजार करोड़ रुपये का नुकसान बताया है, जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के बजट से दो गुना ज्यादा है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूँ कि यह नुकसान सिर्फ नालों में बहती हुई लाशों की संख्या से नहीं तोला जा सकता, यह नुकसान

जी.टी.बी. अस्पताल में तड़पते हुए घायलों की तादाद से नहीं आंका जा सकता, यह नुकसान उन जलती हुई सुई-धागों की मशीनों पर है, जिन पर एक मेहनतकश बैठकर अपनी रोजी-रोटी कमाता था। यह नुकसान उन जलती हुई किताबों का है, जिसकी उम्मीद पर बेटी को बचाया था, बेटी को पढ़ाने का काम किया था। यह नुकसान उन रिश्तों का है, जो सन् 1947 के विभाजन के बाद और सन् 1984 के दंगों के बाद बनाए गए थे।

मैं बहुत लंबी बात न करते हुए यह जरूर कहूंगा कि आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और वही हक की लड़ाई लड़ने वाले इन लोगों को सरकार गोली मारने के नारे बताने का काम करती है। ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग, इन कार्यकर्ताओं और इन नेताओं के ऊपर जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब तक यह माना जाएगा कि भारत के संविधान और मूल्यों का अपमान हो रहा है।

अंत में, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष यहां पर जरूर रखना चाहूंगा। हमारी मांग यह है कि सरकार इन दंगों की न्यायिक जांच कराए और इन दंगों से जुड़े द्वेषपूर्ण भाषणों की भी निष्पक्ष न्यायिक जांच कराए। यह जांच एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा होनी चाहिए। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): सभापति महोदय, आज हमारा देश जिन हालात से गुजर रहा है, सारा हिन्दुस्तान वाकिफ है। इस देश के अंदर सारे मजहबों के लोग और इंसान रहते हैं। छोटे-बड़े दलित, सरदार, मुसलमान और हिन्दू सभी रहते हैं। ये सब इंसान हैं। हमें इन सबको इंसानियत के नाते देखना चाहिए। अगर हम सबको, सारे हिन्दुस्तान के रहने वाले लोगों के साथ इंसानियत का सलूक करेंगे तो ये झगड़े और फसाद नहीं हो सकते। इस झगड़े और फसाद से जितना बड़ा नुकसान देश को पहुंचा है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री जी, जो यहां तशरीफ रखते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने हिन्दू और कितने मुसलमान मारे गए हैं? अब तक कितने मुसलमान और कितने हिन्दू गिरफ्तार हो चुके हैं? कितने मुसलमानों और कितने हिन्दुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कितना नुकसान मुसलमानों और कितना नुकसान हिन्दू भाइयों का हुआ है? ...(व्यवधान) वीडियो फुटेज की बुनियाद पर कितने मुकदमे कायम किए गए? मोहन नर्सिंग होम पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं? अगर, नहीं हुई तो अभी तक क्यों नहीं हुई है? जी.टी.बी. हॉस्पिटल में कितनी बॉडियां आईं? उनकी गिनती अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह हादसा क्यों हुआ? उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया और इतना जहरीला प्रोपेगेंडा किया, जिससे देश के अंदर यह आग लगी और ये हालात पैदा हुए, जिसमें ... * हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी और प्रवेश वर्मा जी कायलविशरा हैं, इनके खिलाफ अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इस देश के अंदर आग लगी। ...(व्यवधान) मरने वालों में मुसलमान भी हैं, हिन्दू भी हैं, सब मरे हैं, लेकिन, यह नुकसान सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों का नहीं है, यह पूरे देश का नुकसान है।

यह समझकर कि यह देश सभी का है। सब हिन्दुस्तानी हैं। सब इंसान हैं। इस नाते से हमारे देश के अन्दर बात होनी चाहिए। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं।

* Not recorded

ए वतन खाके-वतन वो भी तुझे दे देंगे,

बच रहा है जो लहू अबके फसादात के बाद ।”

इसका मतलब यह है कि हिन्दू और मुसलमानों के बुनियाद पर गवर्नमेंट की लापरवाही से या प्रिपेड पॉलिसी से यह घटना हुई है । इसकी पूरी जांच होनी चाहिए । सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच कराई जानी चाहिए ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे ।

... (व्यवधान)

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: इसकी हककीत और सच्चाई क्या है? इससे देश को कितना नुकसान पहुंचा है? इस देश में मुसलमान बहुत ज्यादा महरूमि महसूस कर रहा है । इस देश में मुसलमान महफूज नहीं है ।... (व्यवधान)

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (سنبلہ) : محترم اسپیکر صاحب، آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، سارا ہندوستان واقف ہے۔ اس ملک کے اندر سارے مذہب کے لوگ اور انسان رہتے ہیں۔ چھوٹے بڑے۔ دلت، سردار، ہندو اور مسلمان سبھی رہتے ہیں۔ یہ سب انسان ہیں۔ ہمیں ان سب کو انسانیت کے ناطے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم سب کو، سارے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کریں گے تو یہ جھگڑے اور فساد نہیں ہو سکتے۔ اس جھگڑے اور فساد سے جتنا زیادہ نقصان ملک کو پہنچا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لئے میں محترم وزیر داخلہ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک کل کتنی گرفتاریاں ہوئیں ہیں اور کتنے ہندو اور کتنے مسلمان مارے گئے ہیں؟ اب تک کتنے ہندو اور کتنے

مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں؟ کتنے مسلمانوں اور کتنے ہندوؤں کے خلاف ایف۔آئی۔آر۔ درج کی گئیں، اور کتنا نقصان مسلمانوں اور کتنا نقصان ہندو بھائیوں کا ہوا ہے (مداخلت)۔ ویڈیوں فوٹیج کی بنیاد پر کتنے مقدمہ قائم کئے گئے ہیں؟ موہن نرسنگ ہوم پر فائرنگ کرنے والوں کے خلاف رپورٹ درج ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں تو ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے؟ جی۔ٹی۔جی۔ اسپتال میں کتنی باڈیاں آئیں ہیں؟ ان کی گنتی ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حادثہ کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے غلط پروپیگنڈہ کیا اور اتنا زہریلا پروپیگنڈہ کیا، جس سے ملک کے اندر یہ آگ لگی اور یہ حالات پیدا ہوئے، جس میں (کاروائی میں شامل نہیں) ہمارے منتری انوراگ ٹھاکر جی اور پرویش ورما جی ہیں، ان کے خلاف اب تک کیوں کاروائی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر آگ لگی۔ (مداخلت)۔ مرنے والوں میں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں، سب مرے ہیں، یہ نقصان صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہیں ہے یہ پورے ملک کا نقصان ہے۔

یہ سمجھ کر کہ یہ ملک سبھی کا ہے۔ سب ہندوستانی ہیں۔ سب انسان ہیں۔ اس ناطے سے ہمارے ملک کے اندریات ہونی چاہئیں میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔

اے وطن، خاکِ وطن وہ بھی تجھے دے دیں گے

اے وطن، خاکِ وطن وہ بھی تجھے دے دیں گے

بچ رہا ہے جو اب کے فسادات کے بعد

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کی بنیاد پر گورنمنٹ کی لاپرواہی سے یا پری پیڈ پالیسی سے یہ گھٹنا ہوئی ہے۔ اس کی جانچ پوری ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں اس کی جانچ کرائی جانی چاہیے (مداخلت)۔

اس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ اس سے ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ اس ملک میں مسلمان بہت زیادہ محرومی محسوس کر رہے ہیں۔ اس ملک میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔

(ختم شد)

माननीय सभापति: कोल्हे साहब, आप बोलिए । उनका माइक ऑफ है । आप बोलिए सिर्फ आपकी ही बात रिकॉर्ड में जाएगी ।

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to speak. On behalf of the Nationalist Congress Party, I strongly condemn जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुईं, उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम हैं । मैं किसी की तरफ न अंगुली करना चाहता हूं, न ही किसी पर दोषारोपण करना चाहता हूं । मैं एक असलियत की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन दंगों में न हिंदू मरा है न मुसलमान मरा है, अगर इन दंगों में कोई मरा है तो इंसान मरा है । जो खून बहा, वह न हिंदू का बहा न मुसलमान का बहा, वह खून इंसान का बहा । जो लाशें नालियों में मिली थीं, उन लाशों की तरफ न हिंदुओं के नजरिए से देखा जाए न मुसलमानों के नजरिए से देखा जाए, बल्कि उनकी तरफ उस नजरिए से देखा जाए कि जब उन लाशों में प्राण थे तो उनमें से कोई किसी का भाई था, कोई किसी का बेटा था और कोई किसी का पति भी था । इसमें जान-माल का नुकसान हुआ । इसी के साथ

देश की गरिमा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इन दंगों की पार्श्वभूमि पर मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, जो बहुत ही साधारण से सवाल हैं। Was Delhi Police not capable to control the situation? If yes, if Delhi Police was capable of controlling the situation, why did it not exercise its ability to its full capacity? यह बहुत ही साधारण सा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की विजिट जैसी वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर इंटेलेजेंस के इनपुट्स में कोई कमी थी? अगर कोई कमी नहीं थी तो क्या इन इनपुट्स को नजरअंदाज कर दिया गया? तीसरा सवाल यह है कि could the hate speeches not be controlled? बयानबाजी हो रही थी। हर कोई अपने मन की बात बोल रहा था, क्या इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी? और चौथा सवाल यह है कि इन सबकी जिम्मेदारी किस पर आती है और क्या वे इन सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं?

सभापति महोदय, अगर इन दंगों के कुछ कारण देखें जाएं तो उनमें हेटस्पीचेस, प्रॉवोकेशन, कन्फ्रंटेशन, सीएए प्रोटेस्ट, मास्क मोबेलाइजेशन और रिलिजियस नेशनलिज्म हैं। क्या कभी हम हेटस्पीचेस देने वालों से पूछेंगे? जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जो बहनें विधवा हुई हैं, उनकी आँखों में आँखें डालकर क्या ये हेटस्पीचेस देने वाले लोग एक बार अपनी गलती को कबूलेंगे। क्या उस 11 साल की बच्ची, जिसके पिता को घसीटते हुए मार दिया गया, उस 11 साल की बच्ची की आँखों में आँखें डालकर अगर 56 इंच के सीने में इंसान का दिल है तो क्या वह इंसान उस 11 साल की बच्ची की आँखों में आँखें डालकर बोलेंगे कि हाँ हमारे में कुछ कमी रह गई है? सर, हमारे देश को रिलिजियस नेशनलिज्म का श्राप लग गया है। पैदा होते हुए न आप न हम और न यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति एंट्रेस एग्जाम देकर आया है कि वह किस मजहब या जाति में पैदा होना चाहता है, किस धर्म में पैदा होना चाहता है तो फिर पैदा होने के बाद हमें उस धर्म को लेकर सांप्रदायिक राजनीति का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है?

सर, अभी छोटे मासूम बच्चे भी मासूमियत छोड़कर, पूछने लगे हैं कि मजहब का मतलब क्या होता है। अगर देश का यह आलम है तो इस देश का भविष्य उज्ज्वल कैसे होगा, यह सवाल इस देश के जेहन में आता है।

तीसरा, एक बहुत अहम मुद्दा सीएए प्रोटेस्ट का है। सरकार का एक बहुत प्यारा नारा है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।' मैं इस सदन से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के दिल में कुछ शक है, कुछ संदेह है तो क्यों हम उस संदेह को नहीं निकाल सकते, क्यों एक संवाद नहीं कर सकते, क्यों उनके दिल में हम वह विश्वास नहीं पैदा कर सकते? अगर सबके दिलों में विश्वास नहीं होगा तो कहां से सबका साथ होगा और अगर सबका साथ नहीं होगा तो कब सबका विकास होगा? इस पार्श्वभूमि पर मैं महाराष्ट्र की महाविकास अघाडी सरकार का अभिनन्दन इस बात के लिए करता हूँ कि जैसे शाहीन बाग का उल्लेख हुआ है, ऐसे प्रदर्शन-धरने महाराष्ट्र में कई जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक संवाद बनाए रखा है, एक डायलॉग बनाए रखा है, इसकी वजह से महाराष्ट्र में भाईचारा अभी वैसे ही कायम है।

अंत में, मैं सिर्फ एक ही बात का जिक्र करना चाहता हूँ। पहले अपने देश में ऐसा एक वाकया, एक इंसिडेंट्स हुई थी, तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां की स्टेट गवर्नमेंट को एक नसीहत दी थी कि राजधर्म का पालन हो। मैं वही बात याद दिलाकर, इस सदन से दरखास्त करता हूँ कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और निष्पक्षता से जांच करके, जिन्हें भी आहत पहुंची है, उन्हें अच्छी तरह से रिहैबिलिटेड किया जाए। धन्यवाद।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): धन्यवाद, सभापति महोदय । मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति बहुत आभारी हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुझे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया । महोदय, आज मैं आपके सामने दो इतिहास रखना चाहूँगा । पहले मैं यह बता दूँ कि मैं जिस शहर बेतिया का निवासी हूँ, वहाँ 70 और 30 प्रतिशत आबादी रहती है, उसके बावजूद साम्प्रदायिक तनाव होता रहता है, लेकिन आज तक कोई साम्प्रदायिक हिंसा मेरे यहाँ नहीं हुई । इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर अच्छे से बोल सकता हूँ ।

महोदय, एक तो मेरा इतिहास है एक साधारण कार्यकर्ता का । मेरे दादा जी हिन्दू महासभा में थे, 1942 में आजीवन कारावास हुई । चाचा और पिता जी जनसंघ और भाजपा कार्यकर्ता रहे, राम मंदिर आंदोलन में जेल गए, तीन बार सांसद रहे और अब मैं तीन बार से सांसद हूँ । 1986 में मुहम्मद के जुलूस में मेरे पूरे घर में तोड़फोड़ की गई थी और जलाने की कोशिश की गई थी । 2019 में 8,000 लोगों की उन्मादी भीड़ ने मेरे ऊपर हमला किया था और अगर मेरे अंगरक्षकों ने 20 से ज्यादा हवाई फायरिंग न की होती तो मैं आज इस सदन में वक्तव्य देने के लिए भी जिन्दा नहीं बचता । उसके बावजूद भी मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र में, हमने कभी कोई साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने नहीं दिया । भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर हम सब चीजें झेलते रहे, लेकिन कभी कोई तनाव नहीं होने दिया ।

महोदय, अब मैं एक इतिहास और पढ़ना चाहूँगा । 1920 में मोपला, 1924 में कोहाट, 1957 में रामनाथ, 1967 में रांची, 1969 में गुजरात, 1980 में मुरादाबाद, 1984 में भिवण्डी और दिल्ली, 1988 में मुजफ्फरनगर, 1989 में भागलपुर, 1990 में गुजरात और कश्मीर और 1993 में मुंबई - इन सभी घटनाओं में एक समानता है । मैंने आजादी के बाद के जितने नाम लिए हैं, ये सारी साम्प्रदायिक हिंसा कांग्रेस के शासन काल में हुई । जो मैंने आजादी के पहले की बात की है, वह भी

में आपको बता दूँ कि 1920-21 में तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के खिलाफ एक आंदोलन होता है। उसमें हिन्दुस्तान के लोगों को कहा जाता है कि तुम तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन करो और इसमें उस समय की कांग्रेस सहयोग करती है। ...*(व्यवधान)* ठीक 100 साल पहले मोपला में एक उत्तर भारतीय ... * केरल जाता है और मालाबार इलाके में हजारों हिन्दुओं की हत्या कर दी जाती है या जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, this is not correct.

...*(Interruptions)*

डॉ. संजय जायसवाल : मैं गृह मंत्री जी को सावधान करूँगा कि अब फिर एक उत्तर भारतीय आदमी केरल गया है। ...*(व्यवधान)*

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, he is misleading the House.

...*(Interruptions)*

डॉ. संजय जायसवाल: इसलिए सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिर एक उत्तर भारतीय व्यक्ति केरल गया है।

सभापति महोदय, उसी तरह वर्ष 1924 में कोहाट के अंदर खिलाफत के नाम पर हजारों हिंदुओं और सिक्खों की हत्या हो जाती है। उसके लिए मोती लाल नेहरू जी की अध्यक्षता में तीन सदस्य प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। मोती लाल नेहरू जी हिंदुओं और सिक्खों की हत्या के लिए दुख तो प्रकट करते हैं, लेकिन भर्त्सना नहीं करते हैं। आजादी के बाद जवाहर लाल नेहरू जी के राज में 16 राज्यों में 243 दंगे हुए। इंदिरा जी के राज में 15 राज्यों में 337 दंगे और राजीव गांधी जी के राज में 16 राज्यों में 291 दंगे हुए। कांग्रेस का यही इतिहास है। आजादी के बाद दिल्ली में सिर्फ दो बार बड़ी साम्प्रदायिक हिंसा हुई है। एक बार वर्ष 1984 में हिंसा हुई। तब

* Not recorded

राजीव गांधी जी ने कहा कि 'जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।' इसके बाद हजारों सिक्खों की हत्या कर दी जाती है।

सभापति जी, छः वर्षों से यह पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम पर फिर से इस देश में आग लगाने का काम कर रही है। मैं इंदिरा गांधी जी की एक बात कोट करना चाहता हूँ – 'किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, जब उसे आर या पार का फैसला लेना होता है, आज वह वक्त आ गया है।' आज इनकी पौत्री कहती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वे कहती हैं कि आज जो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा, वह इतिहास में कायर कहलाएगा और अगले दिन से शाहीन बाग में धरना शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता पाने की कोशिश की है और साजिश वही है कि बांटो और राज करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों की देन नहीं है, दरअसल यह दुनिया को इटली की देन है। उसका वाक्य है - *Divide et impera*. हजारों वर्षों से इटली के लोग यही काम करते आ रहे हैं, जो अंग्रेजों ने सीखा और आज फिर इस देश में इसका कुत्सित प्रयास हो रहा है तथा इसका दोष ... * जी को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, आप रोड खाली करवा दीजिए। उन्होंने कहा था कि ऐसा हम आपसे विनती करते हैं कि आप ट्रम्प जी के जाने तक तीन दिनों में सड़क खाली करवा दीजिए। आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए और इसे कहा जाता है कि यह एक हेट स्पीच है।

सभापति जी, मेरे यहां वर्ष 1979 में भागलपुर में भयानक दंगे हुए थे। एक जुलूस को ठीक दिल्ली के तरीके से रोका गया था, पेट्रोल बम मारा गया और उसके बाद वहां बच्चों की हत्याएं हुईं। जब बच्चों की लाशें जिस-जिस गांव में गईं, वहां जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश सिहर गया और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय भी कांग्रेस का शासन था। आंख बंद करने से ही अंधेरा नहीं होता है। जिस तरह परमाणु बम विस्फोट के लिए एक क्रिटिकल मास्क चाहिए, उसी

* Not recorded

तरह से हमें देखना होगा कि साम्प्रदायिक दंगे की मूल ऊर्जा कहां से आती है। आप हिंसा का इतिहास उठाकर देखिए कि कभी कोई नेता या गुंडा दंगों में नहीं मरता है, जब भी कोई मरता है तो निर्दोष इंसान ही मरता है। आग लगाने का काम हमेशा एक खास समाज के नेता लोग करते हैं और बाद में जब उनका अपना घर जलने लगता है तो विकटिम कार्ड खेलने का काम भी यही नेता करते हैं, जो आग लगाने का काम करते हैं। जब ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सबकी औकात बता देंगे। ये कहते हैं कि हम 15 करोड़ हैं और सौ करोड़ पर भारी पड़ेंगे। टुकड़े-टुकड़े गैंग का ... * कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जब हिंदुस्तान आए, तो सड़क पर निकल जाओ, ये बातें दंगे भड़काने का कारण है। नागरिक संशोधन अधिनियम बिल्कुल साफ है और इसका भारत के किसी नागरिक से संबंध नहीं है, फिर भी जानबूझ कर इसके खिलाफ माहौल बनाया गया है। मुझसे यदि पूछा जाए कि इन 53 हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, तो मैं सिर्फ दो तत्वों का नाम लूंगा। पहला जो दंगे से पहले सीसीटीवी तोड़ने वाले लोग हैं, उन पर इन 53 हत्याओं का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि इन्होंने जानबूझ कर पहले सीसीटीवी तोड़े और उसके बाद महिलाओं द्वारा डीसीपी को बुलाया गया और पुलिसकर्मियों की हत्याएं की गईं तथा गंगाजल के नाम पर तेजाब की फैक्टरी बनाई गई। वेल्डिंग किए हुए पेट्रोल बम फेंकने की गुल्लक बनाई गई। 'आप' पार्टी के पार्षद के घर पर 400 बार चाकू मारकर एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की जाती है। उसके घर से बच्चियों के बलात्कार के सबूत मिलते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि इन सभी साजिशकताओं पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत इन 53 निर्दोष लोगों की हत्याओं का मुकदमा चलाया जाए।

सभापति जी, दिल्ली दंगों का एक दोषी और भी है। मैं इस देश की न्यायिक व्यवस्था को भी आज कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। महोदय, हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जब हम सड़क पर संघर्ष करते हैं, कोई रेल रोको या सड़क रोको आंदोलन होता है, तो सबसे पहले हम सभी पर मुकदमा हो जाता है। सगीर अहमद केस – 1955, हेमंत लाल शाह

* Not recorded

- 1972, बिमल गुरुंग – 2018 में इसी सर्वोच्च न्यायालय का फरमान था कि अभिव्यक्ति की आजादी का यह अर्थ नहीं होता है कि आप सड़क या रेल को रोकें। वर्ष 2011 में मिर्चपुर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि रेल रोको या सड़कें रोकने वाले उपद्रवियों के मामले को स्पेशल कोर्ट में सुनना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना था कि इस तरह के प्रदर्शनों से जन-जीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। फिर क्या कारण है कि 10 लाख लोग रोज तकलीफ झेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार-बार मेडिएटर भेज रहा है और मेडिएटर भी किस को भेज रहा है, वही साहब को, जिन पर यह आरोप है कि जब हजरतबल को आतंकवादियों ने कैप्चर किया था, तो वह तरह-तरह के पकवान खिला रहे थे। आतंकियों को जो पकवान खिलाने का मुहावरा है, इसके जनक वह व्यक्ति हैं। वह शाहीन बाग में जाते हैं और कहते हैं कि शाहीन बाग वाली सड़क को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस वाली सड़क बंद हैं। इनको भी इसमें शामिल करना चाहिए।

मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जो कानून संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, उस पर जो लोग सड़क जाम किए हैं, उन पर उचित कार्रवाई करे या फिर सर्वोच्च न्यायालय बोले कि कोई रेल रोको, कोई सड़क रोको, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो, यह कोई गुनाह नहीं है, आप अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं।

मैं अपने गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तत्परता से सिर्फ 36 घंटों में दंगों पर काबू पाया है, मैं उसके लिए गृह मंत्री जी और दिल्ली पुलिस को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कांग्रेस के राज्य में वर्ष 1985 में एक साल तक गुजरात के दंगे चलते रहे और कांग्रेस वाले देखते रहे। यहां सिर्फ 36 घंटों में उस तरह के दंगों को काबू किया गया, जिसमें आईएसआई और आईसीज का मॉड्यूल पकड़ा गया। गृह मंत्री जी ने तुरंत विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था बना कर, जिस तरह से दंगों पर काबू किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो यह इल्जाम लगा रहे थे, महोदय, कम से कम आप अखबार पढ़ा कीजिए, 24 फरवरी की शाम से एक बजे रात तक गृह मंत्री जी ने बैठक की है, होम मिनिस्ट्री में सभी को बुलाया है,

सभी दलों को बुलाया है, पर आप वह सब याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब जामिया में तुरंत ऐक्शन होता है तो आप ही कहते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पुलिसकर्मियों, जिनकी हत्या हुई है, क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? मैं सभी विपक्षी दलों से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2019 की हार में जनता को नहीं जलाएं, देश में शांति-व्यवस्था कायम करने में मदद करें। माननीय अमित शाह जी ने खुद कहा है कि देश जितना उनका है, उतना यह देश मुसलमानों का भी है। हमारे रोजगार की समस्याएं एक हैं और हमारे तरक्की के आयाम एक हैं, इसलिए मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि विपक्षी दलों की साजिश में न पड़े, इस देश को आगे बढ़ाएं, यह देश हम सभी का है, हम सब आगे बढ़ें। भारत माता की जय।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I now doubt whether this discussion which was sought by the Opposition after fighting a lot will be of any use at last. I heard from the other side, what the hon. Member spoke and he was congratulating the hon. Home Minister. He did not find any fault with the delay in taking action. "Those people sitting on the road should be handled" is what he said just now. There is no intention to give a patient hearing as to why they are sitting there and what is their request. It is a democratic country. Why does the Government not listen to them instead of taking action and banning those people in the media who publish anything against them? That is one principle: Banning the media, taking action and handling people. They are all giving a call to vacate those people who are sitting on the road and even to shoot them.

This is how the approach is. The hon. Home Minister is sitting here. Has the hon. Home Minister ever thought about why people in such large numbers are agitating in the country? There is agitation going on not only at Shaheen Bagh in Delhi but also agitation is going on everywhere. Agitation is there in Kerala, in Tamil Nadu, and in all other parts of the country. Most of them are very peaceful. Nothing untoward is happening anywhere. Have you ever thought about why such an incident has occurred only at one place in the Northeast Delhi? This incident happened there because some people went

there. I am not blaming the Home Minister for that action or a party. But at least let us say 'some people'. Some people went there and handled the agitation.

They were planning to sit there peacefully. Why is the Government not thinking of having a discussion with the people who are fighting for a cause? What is the issue? Many people said it here. The issue is the CAA. CAA is the first law which has been passed in the name of religion in this country, which is discriminating against different communities. It is a historical fact. This is the first such incident that has happened in this country. Is it a wonder that people agitate against that?

You are talking about implementing NPR and NRC in the country at any cost. But half the State Governments are saying now that they would not implement NPR. Just now Mr. Pinaki Misra said that they would not implement it in Odisha. Many other States are saying they would not implement it in their respective States. Kerala said it, Tamil Nadu said it and many other States have said that they would not implement this. Why do you not listen to them and understand why they are saying so?

The major minority community in the country is really scared. They have a complaint. They have a problem. They are worried that if you go ahead with the present NPR and NRC, it is going to affect their citizenship. They are scared. Why are you not bothered about them? Why do you always talk about handling those people who are sitting on the road? Why are you always saying that they should be removed from there? You are only bothered about the

roads that have been blocked. That is not a new thing for India. Sometimes people block roads, sit on roads, resort to hunger strikes. Gandhiji had done it. Our freedom struggle went on like this.

At last, the Delhi incident has happened. In Delhi itself, agitation has been going on for days together at Shaheen Bagh but nothing untoward has taken place. But what happened in the Northeast Delhi? A call had been given. Was the incident not in response to the call that has been given to remove them from there? Was the incident not in response to the ultimatum that has been given? The only thing that went wrong was that though it was intended to be implemented after Trump's departure, to their misfortune, it happened before Trump left India. Is it a good thing for our country that such a thing has happened?

The entire country was opened up for the world since Trump was here. The whole world was watching what was happening in Delhi. Is it a good thing that has happened to our country? Is all that exposure to Delhi incident good for the country? Now this has become the talk around the globe. As Balu Ji has said, not only this Parliament, many Parliaments are discussing the situation in India and saying that India is going back from democracy, going back from secularism, it is becoming a theological state and things like that. Are you happy about that? Is it a good thing for us?

I doubt if this discussion will do any good. If it has to do any good, hon. Home Minister should react to this and say that NPR and NRC in the context of

the CAA are creating problem for the major minority community of India. The Home Minister at least should give clarity on this. Half the Indian States have said they are not going to implement NPR and NRC. What is your position? At least clarify that. ...(*Interruptions*)

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, after the 1984 anti-Sikh riots, Delhi had seen a similar situation.

17.30 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

At least, 53 people died and over 500 injured in these riots. The democracy in our country is in a crisis. The Government is destroying the four pillars of our democracy – the Legislature, the Executive, the Judiciary, and the Media, which is the fourth estate, all are under threat. We could see all this in the recent Delhi riots.

I had visited Shaheen Bagh before the riots started. It was a peaceful protest though three gun attacks happened, the protesters did not go for any violence. I had also visited these riot places. I had talked with the Hindu and Muslim people there. They are saying that they had lived there peacefully. ... *
workers came from UP and started the riots and Delhi turned into a killing field. These attackers targeted only a particular community. The places of worship of only one community were demolished there. So, this was a pre-planned riot as happened in Gujarat in 1969 and 2002.

* Not recorded

You have passed unrequired laws like CAA and others without having any discussion in the standing committees. You have passed 37 bills with your huge majority in the first Session. By passing these Bills, you have targeted a specific community and promoted rivalry between the people through communal polarization. This shows the disruption of the Legislature – the main pillar of democracy. You are killing the secular nature of the Constitution.

Now, I will come to the second pillar, the Judiciary. During the Delhi riots, when the Delhi High Court Judge, ... * ordered to lodge cases against the BJP leaders for their alleged hate speeches, this Government had transferred him at midnight justifying that it only executed the earlier order and placed another judge who ordered not to take any case immediately against these riots. Through this act, this Government had murdered the Judiciary also. The people have lost faith in the Judiciary. This shows the disruption of another pillar, the Judiciary.

Now, I will come to the third pillar, the Executive. The current wave of violence in the National Capital is being deliberately fuelled by the Central Ministers like Anurag Thakur and other BJP leaders like ... * and others. The violence in Delhi is a colossal failure of the Delhi Police. For two days, the Delhi Police had not intervened properly and they supported these rioters. We could also see this inaction in JNU hostel attack at midnight by people wearing

* Not recorded

masks and at Jamia Milia University and at other places. This shows the disruption by the Executive.

Finally, I will come to the Media. By saying that they highlighted the attack on places of worship and siding towards a particular community, the two Kerala media channels, Asianet and Media One, were banned by the Information and Broadcasting Ministry. This shows the disruption of the fourth estate, the Media.

This riot is a State-sponsored one. So, a judicial and JPC inquiry is needed. Till the completion of the inquiry, the Home Minister should leave his position. He should resign. The Central Government should give necessary funds for the rehabilitation of the victims' families. Cases should be registered against those leaders who paved the way to cause the riots.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this very sensitive and delicate issue. Since the Delhi Police is under the Union, it is the moral responsibility of the Government of India to maintain law and order in the region and to deal with the situation.

Sir, at the outset, on behalf of the Telugu Desam Party, I condemn the riots and subsequent violence that have taken place in some parts of north-east Delhi, which primarily happened due to the non-clarity and the fear among the people on the CAA, NRC and NPR exercise. I also express our deep-felt condolences to the families who have lost their loved ones, and pray for their early recovery.

There is no doubt that Section 144 of the IPC prohibits assembly of four or more people. During the last few years, this has become a weapon in the hands of the governments around the country who are using it as a tool to prevent legitimate expression of opinion, grievances, or exercise of democratic rights. The Supreme Court, in January this year, observed that the Constitution protects divergent views and legitimate expressions. It further stated that this cannot be the basis for invocation of section 144 unless there is sufficient material to show that there is incitement to violence or threat to public safety. So, now that the message has come from the Supreme Court, I urge the hon. Minister to direct the Delhi Police and send advisories to the States also to strictly comply with these comments of the Supreme Court.

As far as the protests at Shaheen Bagh which have been going on for nearly three months now, or in Lucknow for over 50 days, or Ghaziabad or Jaffarabad or other parts of India are concerned, it seems that the protesters and police are thinking and going in opposite directions but they are behaving themselves for the most part. Taking advantage of this, external forces are adding fuel to the fire and trying to disrupt the peace. This needs to be understood by the Delhi Police and the Home Ministry. They have to start their approach and action from that angle. This, I am sure, will help solve the problem.

We have seen the results of provocative speeches in the recently concluded elections. The hon. Home Minister himself is on record repenting that provocative speeches cost them dearly in the Delhi elections. It is immaterial who has made these provocative speeches. I only urge the hon. Home Minister that any provocative speech which incites violence has to be addressed with a firm hand.

It is not that the Government has brought amendments to the Citizenship Act for the first time. Amendments have been made earlier also but this time the suspicion has been raised as if it has been only for the non-Muslims. Combining CAA with NPR and NRC is creating a fear psychosis among the Muslim community that they would be left stateless. This needs to be clarified clearly that every citizen of India, be it Hindu, Muslim, Sikh, or any other

religion for that matter, will remain safe and will remain citizens of this country and action will be taken only against illegal migrants.

It is not only the Muslims, even non-Muslims have cause to worry about this. What happens to the non-Muslims who are unable to prove their citizenship and also unable to prove that they are from the three countries mentioned in CAA? I feel that if the entire process is not meticulously handled, it can lead to almost a demonetisation of citizenship. It is not only Muslims but also non-Muslims who have reason to fear. It is the poor people who do not have the right documentation who have reason to fear. So, I finally urge the hon. Home Minister that it is high time that the intentions of the Government are stated clearly on the implementation of NPR and NRC and the process to be followed in detail so that the citizens who are not having proper documentation are not subject to harassment. The type of proof that is allowed should also be reasonable. To extinguish the flames of fear, please provide clarity with details on the process to be followed. If there is nothing to fear, please provide us this clarity.

I hope the hon. Home Minister will pay serious attention to the issues raised by me and take appropriate action to bring harmony, peace, and tranquillity to the country. Thank you.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Sir, thank you for allowing me to participate in this short duration discussion.

The bloodbath and carnage witnessed by Delhi from 23rd February to 25th February is shocking, condemnable, and heart-wrenching not only because of senseless violence, loss of life, and colossal loss of property but also more condemnable because the forces that were expected to protect the life and property and are under an onerous and sacred obligation to maintain public order and save lives were found either shying away from their duty or assuming the role of accomplices. If eye witness accounts of the carnage that appeared in print, electronic, and social media tell us a story, it is that of serious omissions and commissions of law enforcing agencies.

There are quite a few instances where policemen either joined rioters or encouraged and prodded them to attack a particular community or even insulted, humiliated those who needed their protection. One of the witnesses collapsed because of such lethal assault. Sir, this did not happen all of a sudden or without any reason. A climate of hatred has been wilfully created over the years. The Government has promoted a culture of impunity. I do not want to name the leaders who indulged in hate speeches. Day in, day out not only abuses were hurled on a particular community but such speeches were also rewarded by the Government. Senior Cabinet Ministers, who were lament over failure to chase away a particular community from the country,

encouraged hatred against that community. The result of this culture of impunity has been an increase in violence and that has directly contributed in a big way to the recent happenings in Delhi.

How would have the Government responded to such a situation? How would have Gandhi ji responded to such a situation? Gandhi ji did not stay back in Delhi to celebrate Independence but went all the way to Noakhali and because of him, targeting a particular community was stopped. On the other hand, we find a total negligence and ignorance of responsibility and duty cast by the Constitution on those responsible for supervising the agencies expected to maintain law and order in Delhi.

HON. SPEAKER: Shri K. Subbarayan.

SHRI HASNAIN MASOODI : The communal harmony was ensured in Kashmir in 1947 and it was acknowledged by none other than Gandhi ji. Today, we find that the name of the leader...*(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Shri Raghurama Krishnaraju. You have only two minutes to speak.

SHRI HASNAIN MASOODI : Sir, I will take only one minute more. The name of that leader is tried to be deleted from the history. Even the buildings or the places named after him are being renamed. This kind of mindset promotes hatred and violence.

I would demand that the occurrences of Delhi should be inquired into and the Government should come up with a rehabilitation scheme for the victims.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): We are all aware of one popular song, that is, 'Raghupati Raghav Raja Ram' written by Lakshamnacharya in Nama Ramayana. It was translated by Mahatma Gandhi ji. I would just read the English version of that.

“O Lord Rama, descendant of Raghu, uplifter of the fallen.

You and your beloved consort Sita are to be worshipped.

All names of God refer to the same Supreme Being,

including Ishvara and the Muslim Allah.

O Lord, please give peace and brotherhood to everyone,
as we are all your children. ”

We all have been practising this and it has been very-well incorporated in the Constitution also. That fabric is being maintained by all. We all honestly believe in it. Unfortunately, an incident has happened in the north-east Delhi last month about which no one is happy in the country. What I would like to submit to this august House is, why it has happened and why it happened only during the visit of Mr. Trump has to be inquired into.

Why had it happened when he was here? There must be some reason behind the same. That has to be inquired into. We all condemn it. But here, I

would like to make one submission. ...(*Interruptions*) Please wait. All my other colleagues have been saying as to why the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister did not go there. When a war is going on, it is not the Chief of the Army Staff who would go there and fight. ...(*Interruptions*) I am telling it as an example. I mean it. ...(*Interruptions*) I really mean it. Please allow me to speak. I really mean it. It has been curtailed in 36 hours. Let us all appreciate the good and let us all criticise the bad. We have to criticise the bad. We should appreciate the good. It has been tackled very well in 36 hours. I appreciate the Government for that. I request the Government to inquire as to why it had happened only during those days. This is my submission. Thank you.

*** SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):** Hon Speaker Sir, Vanakkam. Hon. Union Minister for Home should explain to this House as to why there were riots in Delhi. He should also explain how the riots took place and who were all behind. After BJP came to power, the protests organised in a democratic way are being curbed in this democratic set-up. The experiences which we face practically raise several serious questions whether this BJP government has the capability of running a democratic government? CAA is totally against the constitution of India. This was stated not only by us but also by the former Judges and Constitutional Experts of this country. But if this government led by Shri Narendra Modi is a democratic government it should have protected those who are peacefully protesting against CAA. That should be the duty of a democratic government. What happened in North-East Delhi? They have incited violence by bringing outsiders inside Delhi. Therefore this is not a democratic government. The present Union government is having a mind-set unable to tolerate even those who speak against them. This government has therefore lost the moral responsibility of functioning as a government representing the people of this country. That is why they are unnecessary interferences. Similarly whether they treat Indians as Indians or as Muslims, Hindus and Buddhists? They should treat Indians as Indians. That is what we say. But I should say it is an anti-national activity to divide Indians in the name of religion. People should be unified and never be divided. At the time of riots in Delhi, what was the police doing? What was the Home Minister doing?

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Whether he visited the places affected by riots? No. He did not even enquire about what has happened? Police were standing as pillars or mute spectators in absolute silence. Why they were behaving so? I strongly criticise and condemn the Home Ministry for stopping the police from taking any pre-emptive action. That is why they have not interfered in this matter. Violence took place with the support of the government. This is a wrong precedent. I want to say that this is a display of complete intolerance. If this is the situation what can the opposition parties do? The government does not want us to speak. I will conclude my speech just by saying one thing. BJP leaders and a Minister for State in the Union are responsible for violence incited through their hatred speeches. Therefore cases should be registered against them. They should be arrested. Compensation should be given to the affected victims; houses should be constructed and given to them. With this I conclude.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in this discussion under Rule 193. Ever since the Central Government has passed the CAA in December 2019, there has been fear and panic all around the country about its potential effects. It is because of the new provisions in the CAA, the minorities, especially, the Muslims have a doubt that the Government is trying to take away their citizenship. Peaceful protests by the minorities, by the students, intellectuals, literary people started erupting all over the country and hundreds and thousands of people took to the streets but it was never violent. But by February, 2020, there were multiple incidents of religiously-driven bloodshed, property destruction and rioting.

From the beginning of the night of 23rd February, 2020, as per the available information, approximately 53 lives were lost who were mostly poor. Most of them were Muslims. Some police personnel were also assaulted and injured. Hundreds of wounded were taken to the hospitals which were inadequately staffed. The corpses were found in sewer drains. Muslims were described as having been targeted by the rioters. Properties destroyed were mostly Muslim owned and included four Mosques which were set ablaze by rioters. Many Muslims had to live in their neighbourhoods. Even in areas of the Capital untouched by violence, Muslims have begun to leave for their ancestral villages unsure of their safety in Delhi.

The authorities in the Government have chosen to dig their heels in Delhi. They have refused to acknowledge the concerns of the protesters and

have instead sought to depict the protesters as violent anti-nationals. Anti-Muslim rhetoric is at par with the course of the ruling Party but this time a Minister led the chant 'shoot the bloody traitors' leading to actual violence in Delhi. This is a Government motivated violence and this should not be allowed to continue. There should be an inquiry on this. The poor people should be compensated. They should be given proper compensation. A judicial inquiry should be conducted. The Home Minister should give proper reply for all this.

श्री भगवंत मान (संगरूर): स्पीकर महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही गम्भीर विषय पर बहस चल रही है। मैं सभी को सुन रहा था। सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के शासन के दंगे गिना रहा है, इधर वाले उनके दंगे गिना रहे हैं, यह कोई मुकाबला नहीं है कि किसके शासन में कितने दंगे हुए? दंगे चाहे बीजेपी के शासन में हो, चाहे कांग्रेस के शासन में हो, उसमें मरता इंसान है। जो दिल्ली में हुआ, पूरे देश ने देखा।

बीजेपी के नेता ... * डीसीपी को सरेआम बोल रहे थे, उसका दस्तावेज है कि आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही निपट लेंगे। उसको उसी वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उस पर उसी वक्त एफआईआर क्यों नहीं की गई और तीन दिन तक दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? जब दिल्ली की पुलिस को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए पर कोई ... * मुकदमा करना होता है, तो एकदम से आधे घंटे में आ जाते हैं। चुने हुए मुख्य मंत्री के घर पर छापा मारने आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। चुने हुए मुख्य मंत्री के दफ्तर में पहुंच जाते हैं, तब बड़ी तेजी दिखाते हैं। दिल्ली के यमुनापार इलाके को तीन दिन क्यों लावारिस छोड़ दिया गया?

पहले 1984 में तीन दिन फौज नहीं गई थी, अब तीन दिन पुलिस नहीं गई।... (व्यवधान) देखिए इसमें हिन्दू भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं। हिन्दुओं की दुकानें भी जली हैं, मुस्लिमों की भी दुकानें जली हैं।... (व्यवधान) महोदय, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, मैं भी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहा था, हम लोग स्कूलों में अच्छी शिक्षा की बात कर रहे थे। हम लोग मोहल्ला क्लीनिक की बात कर रहे थे, हम लोग फ्री इलाज की बात कर रहे थे, हम लोग बिजली, पानी की बात कर रहे थे। हम लोग औरतों की सुरक्षा की बात कर रहे थे।... (व्यवधान) हम लोग दिल्ली के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे।... (व्यवधान) ये लोग क्या बात कर रहे थे, कोई कह रहा था कि 'गोली मारो सालों को।'... (व्यवधान) कोई कहता था कि आतंकवादी है।... (व्यवधान) एक चुने हुए

मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा गया ।...(व्यवधान) ... * कह रहा था कि यह चुनाव इंडिया वर्सेज पाकिस्तान है ।...(व्यवधान) क्या यह कोई मैच हो रहा था? गृह मंत्री कह रहे हैं कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए ।...(व्यवधान) अगर गृह मंत्री को बोलना ही था तो यह कहते कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट आम आदमी पार्टी को लगे, करंट कांग्रेस को लगे । यही शाहीन बाग का क्या मतलब हुआ? इन्होंने यह कानून बनाया है और... * को कह रहे हैं कि आप शाहीन बाग क्यों नहीं गए? कानून आपने बनाया है, विरोध आपके कानून का हो रहा है, तो हमारा उसमें क्या लेना-देना है? पुलिस तो हमारे पास नहीं है ।...(व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक ही रंग के पत्थर, लाल रंग के पत्थर, एक ही रंग के पत्थर पूरे इलाके में हैं । एक ही रंग की गुलेल हैं, बाहर से गुंडे लाए गए, उनको एक स्कूल में ठहराया गया, उनके खाने-पीने का प्रबंध किया गया और वे रात को आते थे, अपना काम करके सुबह चले जाते थे । ये स्पांसर्ड दंगे हैं । ये स्पांसर्ड दंगे हैं, क्योंकि इनको दंगे करवाने आते हैं ।...(व्यवधान) इनके पास गुजरात का तजुर्बा है । इनके पास मुजफ्फराबाद का तजुर्बा है ।...(व्यवधान) इनके पास तजुर्बा है ।...(व्यवधान) ये दंगे करवाते हैं ।...(व्यवधान) मैं एक बात और बोलूँगा ।...(व्यवधान) कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है ।...(व्यवधान) अभी तक गृह मंत्री वहाँ नहीं गए ।...(व्यवधान) अभी तक गृह मंत्री वहाँ नहीं गए ।...(व्यवधान) ... * यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि... * आतंकवादी है ।...(व्यवधान)

महोदय, मुझे यह बता दीजिए कि क्या कोई आतंकवादी स्कूल बनाता है? क्या कोई आतंकवादी मोहल्ला क्लीनिक खुलवाता है? ...(व्यवधान) मैं आधे मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ । क्या कोई आतंकवादी किसी फौजी जवान की शहादत पर या किसी दिल्ली पुलिस वाले की ड्यूटी के दौरान शहादत के बाद एक करोड़ रुपये का चेक लेकर जाता है ।...(व्यवधान) दिल्ली

वालों ने इलेक्शन में बता दिया कि ... * आतंकवादी नहीं, उनका बेटा है, उनका भाई है।... (व्यवधान)

मैं कंपेनसेशन की बात करता हूँ।... (व्यवधान) 10 लाख रुपये दिल्ली गवर्नमेंट उनको दे रही है, जिनके यहाँ मौत हो गई है। 5 लाख रुपये प्रति फ्लोर उन्हें दे रही है, जिनके घर जल गए हैं। जैसे किसी का चार फ्लोर का घर है, तो उसे 20 लाख रुपये मिलेंगे। किरायेदार को भी एक लाख रुपया उसके सामान का मिलेगा। 2.5 लाख रुपये उनको मिलेगा, जिनका घर पार्शली जला है। आज दोपहर तक 6 करोड़ रुपये हम मुआवजे के रूप में बाँट चुके हैं।... (व्यवधान) आखिर में मैं यही कहूँगा :

‘कि लंबे सफर को मीलों में मत बाँटिये,
कौम को कबीलों में मत बाँटिये।
एक बहता दरिया है मेरा भारत देश,
इसको नदियों और झीलों में मत बाँटिये।’

* Not recorded.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for allowing me to participate in the discussion. Sir, at the outset I would like to say that hon. Prime Minister Shri Modi has this great distinction of presiding over two pogroms and this is the second one and he has deliberately failed in discharging his constitutional duty of saving life, limb and property of every Indian, especially the Indian Muslims.

Sir, when the hon. Prime Minister, Shri Modi, was hosting Mr. Trump, it's a providence that the Navy band was serenading. What was the Navy Band playing -- 'Can you feel the love tonight'? When Indians were being butchered and their dead bodies were dumped in a *nallah*, the Navy Band was playing the tune 'Can you feel the love tonight'. I do not know what love Mr. Prime Minister felt for whom!

Sir, the third point which I just heard in the whole debate was that the Government is not responsible. Through you, Sir, may I bring to the notice of the hon. Home Minister and the Prime Minister, what the second Schedule of Allocation of Business Rules 1961, Ministry of Home Affairs is all about? It is policing, law and order in NCT of Delhi, Internal Security, IB, CRPF, Preventive Detention, Criminal offence against Minorities and other vulnerable groups. The Government says we did not have enough forces.

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट रुकिए ।

अगर सभा सहमत हो तो सभा की कार्यवाही माननीय गृह मंत्री जी के जवाब तक बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, the Government said that it did not have enough forces. What does Section 39 of the Delhi Police Act, 1978 says?

18.00 hrs

The LG has enough powers to even call the army. Many Inquiry Commissions have said very clearly that if a communal carnage continues for more than 24 hours, it is a pre-planned pogrom wherein the State not only abets the mobs but it is the police who will play a major role in the destruction and the carnage. To call it a communal riot is a joke. This is a pogrom and it has to be called in that way only.

Sir, the Constitution of India in its Preamble talks about fraternity, but it says the fraternity must assure the dignity of the individual. What is my dignity? I want to know it from you. Do you have any remorse on your faces? Do you have any embarrassment for what has happened right under your nose? No. You have no embarrassment. You take pride on the dead bodies which are now lying in the *nalas* of Delhi. ...(Interruptions). The Constitution talks about fraternity and it says fraternity must assure the dignity of an individual. What is my dignity when my 19 Masjids have been destroyed or damaged, 4 cylinders have been put inside a masjid and the Masjid was burnt? What is my dignity when I see a saffron flag being erected on my masjid? What is my dignity when a boy called Faizan was being shot dead and he was forced to recite Jana Gana Mana? What is my dignity if an 85 year old Akbari

Begum was burnt alive? What is my dignity if thousands of Muslim homes have been burnt? What is my dignity when children have become orphans? Where is the dignity? ...(*Interruptions*). Please show me where the dignity is. Do you have any humanity left in you? For God's sake, show your humanity! This is not a question of Hindu or Muslim. This is a question of whether you will rise up to your constitutional duties.

Sir, the Prime Minister showed his emotions. The Prime Minister, in fact, cried when a lady called him an 'incarnation of God'. What kind of a God is my Prime Minister whose heart never beats, whose eyes never cry for what has happened in Delhi. He cannot be called a God; he cannot be called a Prime Minister as well. It is not the problem. This Government must go ...(*Interruptions*) and I appeal to the people of India, especially my Hindu brethren to save the soul of this country. ...(*Interruptions*). It is now your responsibility; you save the soul of this country. ...(*Interruptions*).

Sir, let me also point out to you about videos of police ...(*Interruptions*). Why have not even the Government officially announced that 54, 59 or 60 people had died? Why has not the hon. Home Minister said so many boys had been arrested? You know, Sir, right now, I say it with responsibility, 1100 Muslims are in illegal detention. The police is taking *rishwat*, the police is taking bribes. Where is the investigation? A murder of Ankit, a murder of Faizan, a murder of any one has to be probed impartially. A life of Ankit cannot have more premium over life of Faizan. These are both Indians, but the

misfortune is that one was a Muslim and other was not a Muslim and that is why we see from the Government side, they have deliberately talked about the higher premium of a life who does not happen to be a Muslim.

Sir, let me also bring to your notice the videos wherein it says यह अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है । What is this? Will you bring out those videos and have an impartial enquiry done? Let me also bring to your notice that the beatings of Zubair was used by ISIS to put on their magazine. Do you want the Muslims to be radicalised? You have radicalized your Hindu community, please do not radicalize us. We do not want to join ISIS. We are fighting them. ...(*Interruptions*). We will die saving this Constitution. ...(*Interruptions*). We will hold the Constitution dear to us. ...(*Interruptions*). Why is it that I am being penalized because I am saving the Constitution? That is my only crime. I was saving the Constitution and I was reading the Preamble, and I was ensuring that constitutional rights are given to me. That is the crime which this Government is punishing me for and that is why your serious carnage has happened. ...(*Interruptions*). This ghost, this Frankenstein which you have created, believe me, will engulf. Let me put it on record and say this. I want to thank the Sikh community. I want to thank Mr. Baghel who suffered 70 per cent burn injuries and saved seven Muslim lives. These are small lamps burning in the Tsunami of Hindutva hate which has engulfed our country, which will destroy our country. This Government wants to do that.

But we will protect ourselves. 17 crores of Muslims will lay down their lives and if possible, we will build our graves over here but will not allow this carnage to continue.

In conclusion, I demand an All-Party delegation be sent to the areas as it was sent to Gujarat. I demand a Commission of Inquiry by a sitting Supreme Court judge or a High Court judge be set up to go into the actual facts. We have no faith in SIT. Ask the Minister sitting over here about 1984 communal riots, Nellie massacre and Gujarat riots. Everyone who presided over these pogroms have made their political palaces on their graves. They have become statesmen. You have become ... *...(Interruptions) I hope, people of India will throw you out very soon. Thank you. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही से निकाल देंगे ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं फिर आग्रह करूंगा कि यह एक संवेदनशील चर्चा है । इस चर्चा के माध्यम से हम देश में प्रेम, शांति और भाईचारा का संदेश दें, इसलिए संसद में डिबेट कर रहे हैं ।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, यह सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है । यहां चर्चा हो रही है, यह अच्छी बात है । हमें देश में भाईचारा और सद्भाव बनाना है या तनाव का एक माहौल बनाना है । ... (व्यवधान)

* Not recorded

सर, सियासत चमकाने की जगह बहुत हैं। कम से कम आज तो ऐसे बोल बोलें कि भाईचारा बने। क्षमा करेंगे, बड़े पुराने सांसद हैं, जो उनकी भाषा थी, उससे बहुत पीड़ा हुई है। यह मैं कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): आदरणीय असादुद्दीन ओवेसी, आज लोगों के बीच में अमन-शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। मगर जिस क्षेत्र से वे आते हैं, हैदराबाद में जितनी हिंदू बस्तियां हैं, उनको कौन खाली करा रहा है?... (व्यवधान) इनकी पार्टि कर रही है।...(व्यवधान) हजारों बस्तियां, हजारों लोगों को ये लोग मारे।...(व्यवधान) हजारों बस्तियों को ये लोग खाली कराये।...(व्यवधान) पुराने शहर में एक-एक दलित बस्तियों के लोगों को मार-मार कर ये लोग भगा दिए। बस्तियां खाली करा रहे हैं, इधर बड़ा भाषण दे रहे हैं।...(व्यवधान) यह गलत है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री नलीन कुमार कटील जी।

***SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):** Hon'ble Speaker, sir thank you very much for allowing me to participate in the discussion under Rule 193 on the law and order situation in Delhi. Sir, we had a beautiful Bhajan song "*Raghupati rāghav rājārām, patit pāvan sītārām, ishwar deva tere nām, sab ko sanmati de bhagavān.*". Mahatma Gandhi ji changed it to sing as "*Raghupati rāghav rājārām, patit pāvan sītārām, ishwar allah tere nām, sab ko sanmati de bhagavān.*". Since then in India, all the Hindus accepted to sing this song with the holy names of Lord Ram and Allah. This is the Indian culture, which believes in "*sarve jana sukhino bhavantu*". India is

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

the only country, which has never initiated war against any other country in the world. India is the country, which has never ever attacked other religions.

As we all know Mahatma Gandhiji was publishing a journal called "Harijan". In the last editorial note of the Journal Mahatma Gandhiji wrote "Congress party was established to fight for freedom movement. Now, congress party should be dissolved as India achieved its independence. If this was done at that time, now we need not have discussions like this today in our country. There will be no in-fights and melee in the country. Congress party is solely responsible for all these law and order situations.

In a prayer meeting on 16.07.1947, Mahatma Gandhiji mentioned about ensuring safety and protection of minorities, who have come from other countries to visit India. Congress did not realize this. However, I congratulate our hon'ble Prime Minister shri Narendra Modi ji and hon'ble Home Minister shri Amit Shah for fulfill the dream of Mahatma Gandhiji by ensuring protection of all the people. Congress used Gandhiji's name for vote bank politics, but our leaders shri Narendra Modi ji and Amit Shah ji have taken steps to realize the vision of Mahatma Gandhiji.

In the year 2014 shri Narendra Modi ji took over as Prime Minister of India. In the last 6 years there is no incident of violence, terrorist activities took place in the country. There is no incident like Mumbai Taj Hotel attack repeated in this country during this period. However for the congress party, which was in power for decades in the country wanted to have an opportunity

to create disturbance and violence in the country. That is why the congress is responsible for all the law and order situations in the country.

Hon'ble member shri Asaduddin Owaisi spoke on patriotism of the country. I would like to say that there were many occasions, in which people were shouting slogans in favor of Pakistan in the presence of shri Owaisi ji. He supported those shouting anti-national slogans. It happened in the congress meetings also. They shout slogans in favor of Pakistan. While protesting against Citizenship Amendment Act congress party leaders instigate their workers to set fire on the properties of the country. I do not want go into all the details of it.

Hon'ble Speaker sir....one minute.....

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, मेरा नाम लिया है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि बंगलुरु में मीटिंग हुई थी, मेरे सामने एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ...(व्यवधान) मैंने जाकर उस लड़की को रोका, माइक छीना और उसका कंडेमनेशन किया। ...(व्यवधान) आपको क्लेरिफाई करना चाहिए। ... * मत बोलिए। ...(व्यवधान) ...*

* **SHRI NALIN KUMAR KATEEL:** In a meeting convened at Freedom Park in Bengaluru to protest against CAA, where shri Owaisi ji was present. During the meeting anti-national slogans were raised. The congress party is of the opinion that in this country there are about 100 crore Hindus and Muslims are about 15 crores and their leaders said” Give us 15 minutes time, we will put an end to all the Hindus.”It was during the congress regime there were numerous incidents of violence and communal class between Hindus and Muslims took place in the country.

I am not confined myself to speak only on Delhi riots. I want to highlight that there is a conspiracy behind this incident. Many of our hon’ble members have spoken about peaceful dialogues. I would like to mention that this CAA was passed three months ago, in the month of December 2019. There were protest against the CAA for the last three months and it was going on peacefully. Then why there was an outbreak of violence in the country during the visit of the President of U.S. Donald Trump. What is the intention behind this violence?

I would like to ask “How the persons participate in the Peace protest got Pistols, Lathis and other weapons in their hands. How did they get stones in their hands? How did they get bombs to throw on people? All these should be investigated thoroughly.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

Hon'ble Speaker sir, I would like to request you to give some more time to mention a few words about the similar incidents took place in my parliamentary constituency also. I would like to just refer to the incidents and do not want to go into detail. There are serious incidents are taking place in Mangalore. On 19.12.2019 a communal clash erupted. Two days prior to this incident, on 17.12.2019 there was a congress meeting held at Mangalore. Shri U.T. Khader, former minister in the Congress government in Karnataka was also present and made a statement that if the CAA is implemented the entire Karnataka will be on Fire." A case was registered against him. After he made such a hateful statement on 19.12.2019 there was a protest meeting in Mangalore and around two thousand people participated in this protest. Though the section 144 was introduced the protest meeting had turned violent and they set a police station on fire. I will show all the documents. I have all the documents with me. Hon'ble Speaker, sir, in the said protest two thousand people participated and fire was set in Mangalore. The mob attacked a weapon shop and robbed it. There was lathi charge to bring the situation under control. Stones were thrown on police and they got injured.

Hon'ble Speaker sir, I would like to state that these incidents are taking place in the country because of the conspiracy of the congress party. Both Congress and Communist party want to tarnish the image of shri Narendra Modi ji as he is doing a commendable job. In Kerela state number of persons were killed due to such provoking statements. Similar incidents are taking place in West Bengal, where there is no democracy in it. Maharashtra state

the Bandh is called for continuously for 3 to 4 days. However they all are talking her on patriotism. They are sole responsible for all kinds of violence in the country including Mangalore communal clash.

With these words I conclude my speech. Thank you

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे ज्ञानी वक्ता यहां पर बोल चुके हैं और हिस्ट्री को दोनों तरफ से दर्शाया गया है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। जो बीत चुका, वह बीत चुका। आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं, वह यहां बैठे हुए लोग तय करें। हम लोग क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं एक छोटी-सी बात यहां पर रखना चाहता हूँ। आज हमारे साथ पढ़े हुए एक लड़के हिन्दू और मुस्लिम की बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो? देश के विकास को आप किस पायदान पर लाकर खड़ा करना चाहे रहे हैं? हिन्दू और मुस्लिम के पायदान पर? देश किस तरह से आगे बढ़ सकता है? ... (व्यवधान) दो मिनट, मौका मिला है, बोलने दीजिए। आज 2020 में भी हम हिन्दू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिन्दू और मुस्लिम जाकर एक मैदान में कर रहे हैं। आज पूरा देश इस आग में जल रहा है। अगर हमारे घर में गंदगी है तो इसको आपको और हमें साफ करना है। कोई बाहर से, डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, क्या घटनाएं हुईं, कोई बाहर से आकर साफ नहीं कर सकते हैं। आपको और हमको साफ करना है। यह एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकने का समय नहीं है, यह देश को संभालने का समय है। हमारे स्कूल में, जब मैं पढ़ा करता था, उस समय मॉरल साइंस लेसन का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को मॉरल साइंस का एक सब्जेक्ट अपनी-अपनी पार्टियों में पढ़ाने की जरूरत है। जो स्थिति देश की है, उसको हमें संभालना है और किस तरह से संभालना है, वह एक-दूसरे पर लांछन फेंककर नहीं हो सकता है। जो भी घटनाएं घटी हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उनकी अच्छे तरीके से जांच हो। जो लोग इसमें आहत हुए हैं, उनको कंपनसेट किया जाए। यहां पर जो कहा

गया कि सारी पार्टियों की एक टीम बनाई जाए और वहां जाकर जो भी कमी हुई है, आप बोल रहे थे कि बहुत सारी बातें यहां पर रखी जा रही थीं कि अगर इन्होंने कोई गलती की तो सॉरी बोला । अगर इस पूरे इंसिडेंट को संभालने में सरकार की तरफ से गलती हुई है तो उन्हें भी सॉरी बोलना चाहिए । इस चीज को संभालने की जिम्मेदारी आपकी थी । अगर आपकी तरफ से कमी हुई है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ।

मैं बहुत लंबा नहीं कहना चाहूंगा । हम लोग 2020 में हैं । हम लोग आज भी हिन्दू और मुस्लिम कर रहे हैं । मैं आदिवासी हूँ । मैं कहता हूँ कि यह देश सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों का नहीं है । यहां पर हम सब भारतीय हैं । अगर 2020 में भी यही काम करते रहेंगे तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की बात कैसे करेंगे? यदि हम हिन्दू और मुसलमान की बात करते रहेंगे, बहुत छोटे शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि यह देश सभी का है और सभी को मिलकर इस देश को बनाना है । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this chance to speak on the Delhi riots which has totally tarnished the image of India in the international arena. Sir, I would like to quote a recent article written by the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh in *The Hindu* daily. I would like to quote a part of that article. I quote:

“It is with a very heart that I write this. India faces imminent danger from the trinity of social disharmony, economic slowdown and a global health epidemic. Social unrest and economic ruin are self-inflicted while the health contagion of Covid-19 disease caused by the Novel Coronavirus is an external shock. I deeply worry that this potent combination of risk may not only rupture the soul of India, but also diminish our global standing as an economic and democratic power in the world.”

This is an article written by Dr. Manmohan Singh-ji, the former Prime Minister of this country. The heart and soul of India is the secular democracy and the secular fabric of the country. The whole world is, now, discussing about the secular fabric of our country. Even we have seen that in the UK Parliament, through a question, a discussion took place for 20 minutes regarding the Delhi riots and attack on the minorities, especially, on the Muslim community. That means, as rightly pointed out by the then Prime Minister that ‘the heart and soul of India is under attack.’ So, the secular and democratic fabric of the country is under threat.

18.21 hrs(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Sir, I am not going into the details of the Delhi riots and violence, as it has already been elaborately discussed in the House. But who is primarily responsible for this? The primary responsibility to protect life and property of the people of this country rests with the Home Ministry. The Delhi Police directly comes under the control of the Union Home Ministry. The Delhi Police officials were mere spectators there. If you examine, on February 23rd, 24th, 25th and 26th, the whole of North-East Delhi was fully under the control of the anti-social elements. A heavy deployment of police was also there. Since Delhi Police is under the control of the Union Home Ministry, we are alleging that it is a complete failure of the Union Home Ministry and that is why we, the Opposition in this House, are demanding resignation of the Union Home Minister on moral grounds. Sir, people are very afraid. A sense of terror is being created; a scare is being created in the minds of the minority people in the country. From first day onwards, the Government is trying to dominate the democratic institutions of the country. We know, how the legislations have been passed by this House.

Coming to the Judiciary, there was a midnight surgical strike of transfer of a Judge of the Delhi High Court to Punjab and Haryana High Court. We have never heard of a midnight transfer of a High Court Judge ...*(Interruptions)* Subsequently, on the next day, when the new ... * was reconstituted, the ... *

* Not recorded

said that it is improper to file an FIR against those, who have made provocative speeches. That is the observation of the ... *

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Mr. Chairman, Sir, no discussion should be allowed, which attributes motive to the Judiciary. What he has said, should be expunged ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the records and see.

... (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Mr. Chairman, Sir, I am not casting any aspersion on the Judiciary.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Yes, Sir ...(*Interruptions*) Hon. Home Minister-ji, I am not casting any aspersion on the Supreme Court or the High Courts. I am only stating the factual position. Sir, my last point is regarding the media. I would like to ask a specific question to the hon. Minister. The Home Minister is here, and I am also seeking an answer from the Government. On 6th of this month, at about 7.15 p.m., an order was issued by the Ministry of Information and Broadcasting, banning the telecast of two Malayalam media channels – ‘Asianet News’ and ‘Media One News.’ Immediately, after two-three hours, it was withdrawn. It was said that these channels were instigating communal violence in Delhi. These are very prominent Malayalam news

* Not recorded

channels in Kerala. They say that the Malayalam news channels have instigated violence in Delhi leading to communal riots! What was the reason that these channels were banned?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I am just concluding. My point is that those who dissent with the policy of the Government will be under threat, and they will be dealt with. So, the freedom of Press and Media is also under threat. So, I would seek an explanation from the Government on this point.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I am thankful to you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on this very important issue of national importance. At the very outset, on behalf of the House and on behalf of this great nation, I would like to thank our hon. Home Minister for efficiently and effectively dealing with the Delhi riots, and containing it within 36 hours...*(Interruptions)*

The Opposition may cry hoarse but there are two or three issues that I would want to bring to the attention of this House. It is because the objective of this debate must not be to pin blame on each other but primarily to understand why riots are taking place and how collectively, as a House, as a country, as a Government, all of us can stop these riots that are so repeatedly occurring in this country.

Sir, allow me a minute to go into the history of how there is, in place, a Congress module of riot-engineering in this country which has, from the last so many decades, tried to engineer riots in this country so that it benefits them politically. This is not a thing of today. This has happened not from today but from the last 70 years since the time of our Independence. Let me just give a few examples. From 1950 to 1964, under the Prime Ministership of Shri Jawaharlal Nehru, 243 communal violence incidents were recorded in India. Under Indira Gandhi's rule, 337 communal violence incidents were documented in 15 states. During Rajiv Gandhi ji's rule, 291 communal violence incidents were documented in 16 states including the barbaric Sikh

pogrom of 1984. Out of 1194 communal violence incidents documented in India from 1950 to 1995, 73 per cent of all of these occurred during the Nehru, Indira and Rajiv Gandhi Prime Ministerships. The nation wants to know why all these years the Congress Party engineered these riots to benefit itself politically?

18.26 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

There is a reason why I have congratulated the hon. Home Minister, Sir. Within 36 hours, a detailed conspiracy, which had taken more than three months for preparation and execution, was curtailed and controlled. Let me explain what this module of this Congress conspiracy is the Congress module of riot engineering is. Right after the CAA was passed by this hon. House, in the most democratic manner, the Congress President Sonia Gandhi addressed a gathering in the Ram Lila Maidan, knowing fully well that the CAA has nothing whatsoever to do with citizenship of Indian Muslims or any Indians whatsoever, misled the entire nation and gave a call for *kurbani* and said “*aar paar ki ladaai*”. She said: “The people should come out of houses and come out on streets.”

The very next day, the Shaheen Bagh protest started and hundreds of innocent Muslim women were misled and incited. They came out on to the streets. They were used as shields by all these radical Islamic outfits supported by the Congress eco-system to further their agenda of breaking this country. What happened the very next day? The young students, in Jamia

Milia University, in the Jawaharlal University, supported by SFI and SDPI and other such cohorts, started organizing violent protests. What were the slogans raised? Too much has been discussed about ... * and the so called hate speech but I would want to draw the attention of this House just to the slogans that were raised during the protest – “*Jinnah Wali Azadi*”. What is this “*Jinnah Wali Azadi*”? ‘*Hinduon se Azadi*’, *Kafiron se Azadi*, these were the slogans that were raised in these protests. And what was the other slogan? Let me tell you, there is nothing anti-Muslim about the CAA but there is everything anti-Hindu about the anti-CAA protests. What was the slogan that was raised? It was: “*Tera mera Rishta kya La Ilaha Illallah*”.

These were the slogans that were raised at these protests. Those who were slaying these slogans and perpetrating this violence were portrayed as victims by the intellectual *jihadees* who write for this eco-system in the newspapers. These people, who raised these slogans of ‘*tukde-tukde of Bharat*’ and of ‘*Kafiron se Azadi*’, were given an impression that they were victims of police brutality and people called them ‘sheroes’. This is how a narrative was built and the entire eco-system started functioning. Let me give two more examples of how this eco-system functions.

Sir, Harsh Mander, whose links, today, have been exposed to global funds which are anti-India, based out of US, Hungary and Italy, these organizations and these people, who claimed to be the champions of

* Not recorded

Constitutional morality, go on to the streets and incite an innocent mob and say that Supreme Court will not give you justice.

But justice must be fought on the streets. Ironically, they approached the Supreme Court themselves to book cases against Hindu leaders. Sir, not just that. Look at how the international media played this out as if on queue. On 17th February, knowing fully well that on 24th February, Donald Trump is coming to India, Umar Khalid makes a speech, exhorts the minority community to go on to the streets and start violent protests so that they can give out a message to Donald Trump. This is not the first instance.

When in 2015, Barak Obama visited India, there was a bogie of Church riots happened again in Delhi. Sir, a question must be asked, why only in Delhi? Why only in Delhi and not in other places of the country? It is precisely because they want to defame the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister under whom the Delhi Police authority comes and that is the conspiracy behind it. Donald Trump comes here. International media starts pinning this news and who is supporting this, Sir? There is a prominent journalist, J Gopikrishnan, who, a couple of days ago, made it public that he was offered 1500 USD to write an article of 1000 word long, defaming India by an international publication and immediately thereafter, Bernie Sanders, who is a card-carrying socialist also speaks against India and all of these are orchestrated in such a manner to present a negative image of this country.

Why? It is precisely because India should not get the high seat of table at the United Nation Security Council, that India should not emerge as a global power in the Asian region and this is done at the behest of the Chinese and the Pakistani forces that are at play. Sir, I would want to just bring two more very important things. ...(*Interruptions*) Sir, why is this whole thing becoming such a big issue?

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I have a point of order under Rule 352.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठ जाएं।

आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

SHRI HIBI EDEN : Sir, Rule 352 says that:

“A member while speaking shall not make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto; ”

माननीय अध्यक्ष : रोज रूल 352 की बात सामने आती है।

...(व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA : Sir, it is a speech that is on record and the rules permit me to make the speech if it is a published fact.

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों माननीय सदस्य बैठ जाएं। सदन तय कर ले कि हमें रूल 352 का पालन करना है। मैं उसी दिन से सदन रूल 352 के पालन से चला दूंगा। क्या सदन इस बात से

सहमत है? आप सभी विचार कर लें। सदन शपथपूर्ण कह दे कि रूल 352 का पालन होना चाहिए, मैं पीठ से कह रहा हूँ कि सभी सहमति दें, तो मैं उस रूल के तहत सदन चला सकता हूँ।

SHRI TEJASVI SURYA: Sir, too much has been spoken repeatedly both inside and outside of this House on the alleged hate speech of ...* . What did ...* say? He said that he gave an ultimatum to the police authorities that if you do not clear it in three days, things will not be under control. Is this the hate speech?

Sir, I will tell you with all confidence. No jurisdiction and no jurisprudence in any part of the world will consider this hate speech. But let me give you an example of what hate speeches were. I will give you a sample of them.

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तेजस्वी सूर्या: महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में कंकलूड करने जा रहा हूँ। But these are the things which must be brought to the attention of this House.

Sir, ...* of the Aam Aadmi Party spoke at Jama Masjid on anti-CAA issue. He said, 'we are merely 25-30 crore but they are still so scared'. If we are only even 72, then also, we are ready to kill 15 crore. What does this mean? What does this mean? Was this brought to the attention of this House?

HON. SPEAKER: Please conclude.

* Not recorded

SHRI TEJASVI SURYA : Videos were made. ...(*Interruptions*) Videos were made of young children saying that “they will kill Narendra Modi, they will kill Amit Shah”. This is the radicalisation that has happened in this country.

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप होम मिनिस्टर जी को बोलने दें । हल्ला मत करो ।...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): आप भी बोलने दें । माननीय अध्यक्ष जी, आज दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर नजदीक के भूतकाल में हुए कम्प्यूनल रायट्स पर इस सदन ने एक लंबी चर्चा की है । कांग्रेस पक्ष के सदन के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने इसकी शुरुआत की है । श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री बालू जी, श्रीमान सौगत राय जी, वी. गीता विश्वनाथन जी, विनायक राऊत जी, राजीव रंजन सिंह जी, पिनाकी मिश्रा जी, रितेश पाण्डेय जी, शफीकुर्रहमान बर्क जी, अमोल कोल्हे जी, संजय जयसवाल जी, श्री कुट्टी जी, श्री ए. एम. आरिफ जी, जयदेव जी, मसूदी साहब, आर. के. राजू जी, सुब्बारायण जी, थॉमस जी, भगवंत मान, श्री औवैसी जी, नलीन कटील जी, श्री विजय जी, श्रीमान् प्रेमचन्द्रन जी और अंत में युवा माननीय सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने-अपने विचार रखे हैं । बाय एंड लार्ज, सदन के सभी सदस्यों ने इन दुर्भाग्यपूर्ण रायट्स के लिए जानकारी भी जाननी चाही है । सब ने अपने-अपने तरीके से अपने-अपने शब्दों में इसके लिए दुःख भी व्यक्त किया है और चिंता भी व्यक्त की है और आगे क्या क्या होगा, इसकी जानकारी भी सभी के वक्तव्य से कॉमन निकल कर आ रही है । कहीं-कहीं राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास हुआ है और कहीं-कहीं एक जाति, एक धर्म विशेष के लिए भी चिंता व्यक्त की गई है, परन्तु सबसे पहले मैं महान सदन के सामने इन रायट्स के अंदर जिन लोगों की जान गई है, उन सभी के लिए हृदय की गहराइयों से दुःख व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ ।

जो मारे गए हैं, उनके परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और जिनके शरीर का नुकसान हुआ है, जो घायल हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी डैमेज हुई हैं, उन सभी के प्रति मैं आश्वासन व्यक्त करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी हैं, शायद मैं आज की चर्चा में नहीं बोलना चाहता, परन्तु विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने इन रायट्स को, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पेंट किया जा रहा है और आज भी सदन में जिस प्रकार से इसको रखने का प्रयास हुआ है, मैं बड़े संयम के साथ इसकी स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सदन के सारे माननीय सदस्यों के माध्यम से इस देश की जनता के पास और दुनिया के पास मीडिया के माध्यम सच्चाई पहुंच पाए।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले अधीर रंजन जी ने कहा कि चर्चा में देरी क्यों हुई? माननीय अध्यक्ष जी, फरवरी की 25 तारीख रात को ग्यारह बजे के बाद एक भी घटना रायट की नहीं हुई है। यह रिकॉर्ड की बात है, फरवरी की 25 तारीख रात को ग्यारह बजे के बाद एक भी घटना रायट की नहीं हुई है। यह सदन मार्च की 2 तारीख को शुरू हुआ। 2 मार्च के बाद डिमांड आई कि चर्चा होनी चाहिए। हम ने दूसरे ही दिन कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, होली के बाद चर्चा करेंगे।

होली के बाद चर्चा क्यों करनी है, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है, जिसमें फिर से भावनाएँ भड़कने की संभावना रहती है। कई बार देश के अलग-अलग प्रांतों में होली के समय दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। अचानक जब इतनी तेजी से दंगे स्प्रेड हुए हैं, तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए। इसके कारण दूँढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए ताकि सदन के अन्दर इसे रखने में सरलता हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि देश में और दिल्ली में शांति बनी रहे। यहाँ के भाषणों के कारण या मीडिया के कारण बाहर फिर से इस प्रकार का कोई

वातावरण न बने, जिससे होली देश में शांतिपूर्ण ढंग से न हो। सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से हमने कहा था कि 11 मार्च को...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं अधीर रंजन जी से कहना चाहता हूँ कि होली के कारण दंगा हुआ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ।...(व्यवधान) आप सुनिए तो।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान) चर्चा के दौरान हम कभी खड़े नहीं हुए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन जी, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, हमारा मकसद केवल इतना था कि शांति बनी रहे और 11 मार्च को लोक सभा में तथा 12 मार्च को राज्य सभा में हम इस पर चर्चा करेंगे। परन्तु सदन नहीं चलने दिया गया। खैर, ठीक है, हर पार्टी का एक अपना स्टैंड होता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सदन नहीं चलने दिया, यह बात सही नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज-प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबका भाषण धैर्यपूर्वक गम्भीरता से सुना है। मेरी आपसे प्रोटेक्शन की माँग है, आप मुझे संरक्षण दीजिए। सभी मेरे भाषण को शांति से सुनें और सबको सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के तहत आज अभी यह चर्चा हो रही है। अभी मैं सदन के सामने आया हूँ, अधीर रंजन जी ने चर्चा शुरू की कि खून की होली अभी भी चल रही है।

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 25 फरवरी की रात के 11 बजे के बाद एक भी कम्युनल रॉयट की घटना नहीं हुई।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैंने यह नहीं कहा है कि खून की होली अभी चल रही है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनें।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, काफी सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। मैं इसके बारे में थोड़ी वास्तविकता इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। इस सदन के अन्दर विपक्ष का यह दायित्व है कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के अधीन विभागों की कड़ी आलोचना करे, उन पर कड़ी निगरानी रखें और कहीं गलती होती है, तो उसको सदन में भी उठाए और सदन के बाहर भी उठाए। इस अधिकार पर मैं कोई आपत्ति नहीं करता हूँ। परन्तु, जब दंगों की बात हो, पुलिस मैदान में जूझ रही हो, पुलिस प्रयास कर रही हो और पुलिस को आगे भी इसका इन्वेस्टिगेशन करके सत्य को कोर्ट के सामने रखना है, उस वक्त हमें वास्तविकता को समझना चाहिए। मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तब सवाल कर रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है। जहाँ दंगा हुआ, वहाँ की आबादी 22.4 लाख है। पुलिस का सबसे बड़ा काम था, मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस की प्रशंसा भी करना चाहता हूँ और शाबाशी भी देना चाहता हूँ कि... (व्यवधान) मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए।... (व्यवधान) आप नहीं थे, जब मैंने दुख व्यक्त किया।... (व्यवधान) आप नहीं थे।... (व्यवधान) मान्यवर, 20 लाख लोगों के बीच जो दंगा हो रहा था, इसको पूरी दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और मैं मानता हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरह से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर बाद में आता हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ,

क्या तकलीफ थी, इन सारी बातों को मैं बाद में बताऊंगा । ...(व्यवधान) मान्यवर, यह हिंसा दिल्ली के चार प्रतिशत क्षेत्र और 13 प्रतिशत आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है । दिल्ली में कुल 213 पुलिस थाने हैं, उनमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और हिंसा भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु इन 12 थानों तक हिंसा रुकी रही । ...(व्यवधान)

मान्यवर, मैं मानता हूं कि हिंसा को रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सिर पर थी । दूसरा, समय सारणी का विषय है । मान्यवर, 24 फरवरी, 2020 को लगभग 12.30 दोपहर के आसपास जानमाल के नुकसान की पहली सूचना प्राप्त हुई और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी, 2020 रात को 11 बजे । ज्यादा से ज्यादा 36 घंटों तक ये रायट्स चले हैं । ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं । ...(व्यवधान) ओवैसी साहब, मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, मैं दूसरा पक्ष रख रहा हूं कि इसको 36 घंटों में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और इसकी बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो किया है । मान्यवर, यह स्वीकारना पड़ेगा । ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : तीन दिनों तक लाशें निकाली गई हैं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी, आप एक मिनट रुकिए । माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया गया था । माननीय गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । हम सबको उनका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 36 घंटों के अंदर इसको शांत करने में दिल्ली पुलिस सफल रही है। 36 घंटों के अंदर क्या हुआ, मैं इसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) दादा, मैंने आपको देखकर ही यह पहले कह दिया। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: नहीं, आप अभी नहीं पूछ सकते हैं। ... (व्यवधान) मान्यवर, मैं अभी भी कहता हूँ कि मैंने सबको सुना है। मैंने सबको धैर्य से सुना है। मैं कहीं खड़ा नहीं हुआ। सत्ताधारी पक्ष के सदस्य कहीं टोका-टाकी कर रहे थे, तब भी मैंने उनको रोका है। कृपया आप मुझे सुनिए। यह गंभीर चर्चा है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप गलत बयान देंगे तो हम क्या करेंगे? तीन दिनों तक हिंसा चली थी। आप सही बताइए। ... (व्यवधान) वह हिंसा तीन दिनों तक चली। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन में अपने दल के नेता हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, श्रीमान सौगत राय जी ने और काफी सारे सदस्यों ने मेरे बारे में भी सवाल उठाए हैं। आपको मेरे बारे में सवाल उठाने का अधिकार है और आप उठा सकते हैं, परंतु तथ्यों के साथ तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं वहां श्रीमान ट्रम्प के कार्यक्रम में बैठा था। मान्यवर, श्रीमान ट्रम्प का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कांस्टिट्यूएन्सी में था, मेरा जाना भी पहले से तय था और मैं अगले दिन गया। उस वक्त कोई घटना नहीं थी। ... (व्यवधान) मान्यवर, मैं यहां पर 6.30 बजे आ गया था। उन्होंने कहा कि मैं ताज

महल गया था, मैं ताज महल नहीं गया था । ... (व्यवधान) दादा, आप मेरी बात सुनिए । ... (व्यवधान) काफी सारे लोगों ने बोला है । ... (व्यवधान) मैं सीधा यहां आया । उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में श्रीमान ट्रम्प की अगवानी हुई, मैं नहीं गया था, दोपहर को लन्च हुआ, मैं नहीं गया, रात को डिनर हुआ, मैं नहीं गया । ... (व्यवधान) दादा, मैं डिनर में भी नहीं गया था, आप रिकॉर्ड चैक कर सकते हैं । ... (व्यवधान) मैं पूरे समय दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर, ताकि यह आगे न फैले और कैसे कंट्रोल हो, इसकी चर्चा कर रहा था । ... (व्यवधान)

मान्यवर, 24 फरवरी, 2020 की शाम को सात बजे, 25 फरवरी की सुबह आठ बजे, 25 फरवरी की दोपहर को सर्वदलीय बैठक के अंदर, जिसमें कांग्रेस और आप पार्टी, सब थे, 25 फरवरी की शाम को 6.30 बजे तक ये सारी रिव्यू मीटिंग्स मेरी अध्यक्षता में हुईं । ... (व्यवधान) यहां एनएसए का सवाल उठाया गया । मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं कि जब दंगे होते हैं, तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, यह नहीं देखा जाता है । मैंने ही श्री अजित डोभाल को विनती की थी कि आप वहां जाइए, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए और मेरी ही विनती पर वह वहां गए थे । ... (व्यवधान) मान्यवर, मैं क्यों नहीं गया? मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे वहां जाने से पुलिस मेरे साथ लगती और पुलिस का काम उस वक्त दंगों को शांत करना था ।

मान्यवर, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि तुरंत ही स्पेशल सीपी को अपॉइंट किया गया । 26 फरवरी को भी व्यवस्था की गई, 27 फरवरी को भी की गई और 25 फरवरी रात से पूरी चीजें कंट्रोल में आना शुरू हुईं । इसका इम्मीडिएट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और आगे की कार्यवाही शुरू हुई है । दंगे इतने जल्दी कैसे फैल गए? यह बात सही है कि 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है । हजारों-करोड़ों का नुकसान हुआ है । यह कोई छोटी चीज नहीं है । दंगे क्यों फैल गए? मान्यवर, हमें पूर्वोत्तर दिल्ली की जियोग्राफिकल सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा, इसकी भौगोलिक विषमता को भी समझना पड़ेगा । यह टोटल 61 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है । भारत का सबसे घनी आबादी वाला एरिया है । एकदम संकरी गलियां हैं, जहां पुलिस की वैन, फायर ब्रिगेड,

पुलिस का दोपहिया व्हीकल भी नहीं जा सकता है, इस प्रकार की संकरी गलियां हैं। सबसे ज्यादा मिली-जुली आबादी, दोनों कम्युनिटीज की, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में है और यहां दंगों का पुराना इतिहास है। मान्यवर, आपराधिक तत्वों का भी वहां काफी पुराना इतिहास रहा है। यह यूपी के बॉर्डर से भी सटा हुआ क्षेत्र है। मैं यूपी के बॉर्डर और बाकी बातों पर बाद में आऊंगा। परंतु मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सीआरपीएफ भेजनी चाहिए थी, हजारों की संख्या में भेजनी चाहिए थी। कोई भी सदस्य सुझाव दे सकता है, शायद उनके पास इनफोर्मेशन न हो। मेरा भी दायित्व है कि उनको पूरी इनफोर्मेशन से अवगत करवाऊं। इसलिए मैं सारी चीजों को कह रहा हूं। हजारों की संख्या में भेज देना चाहिए था, देरी नहीं होनी चाहिए थी, कुछ लोगों ने कहा कि मिलिट्री बुला लेनी चाहिए थी। मान्यवर, 22 और 23 तारीख को 17 कम्पनी दिल्ली पुलिस की, 13 कम्पनी सीएपीएफ की, कुल 30 कम्पनियां इस क्षेत्र में पहले से ही वातावरण को देखते हुए हमने रखी थीं। मैं इस पर बाद में आता हूं कि ऐसा क्यों हुआ? फरवरी की 24 तारीख तक 40 कम्पनियां भेजी गयीं। 25 तारीख को 50 कम्पनियां भेजी गयीं। फरवरी की 26, 27, 28 और 29 तारीख से टोटल 78 से ज्यादा कम्पनियां वहां तैनात हैं और आज तक तैनात हैं। स्ट्राइकिंग फोर्स भी बनाई गई हैं। वज्र वाहन की भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाई गई है। वॉटर केनन की भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाई गई हैं और मुस्तैदी से गुनहगारों को पकड़ने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि एफआईआर हुई हैं या नहीं? क्या किया गया है? कितने पकड़े गए हैं? मान्यवर, फरवरी की 25 तारीख की रात से, 26 तारीख को एहतियात के तौर पर हमने दंगे और न भड़कें, इसकी राह देखी। 27 फरवरी से आज तक 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 700 एफआईआर हमने दर्ज की हैं। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है, मगर यह दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है और मुझे लगता है कि सदन में इस तरह का भाषण नहीं करना चाहिए। टोटल 2647 लोग, अभी कह रहे थे कि 1100 एक कम्युनिटी के पकड़े गए, तो 2647 लोग हिरासत में लिए गए हैं या अरेस्ट किए गए हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की डीटेल्स का 25 से ज्यादा कम्प्यूटर्स पर एनालिसिस हो रहा है।

हमने एडवर्टाइज देकर समग्र दिल्ली की जनता से, समग्र मीडियाजनों से डीटेल्स मांगी हैं कि आपके पास कोई भी फुटेज हो, कोई भी चीज हो तो आप कृपया इस ई-मेल एड्रेस पर, इस व्हाट्स एप्प नंबर पर भेजें।

मुझे यह कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो आइडर (दोनों) साइड से दिल्ली पुलिस को भेजे हैं। मुझे आशा है कि अंकित शर्मा के खून का भेद भी उसी वीडियो में से बाहर आने वाला है, जो वीडियो किसी नागरिक ने भेजा है। ये कह रहे हैं कि क्या किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फेस आइडेंटिफिकेशन साफ्टवेयर के द्वारा इन सभी फेसेज को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त किया है। हालांकि एक ही कम्युनिटी के लिए किया है कि निर्दोष न पकड़े जाएं। ओवैसी साहब, वह साफ्टवेयर है, वह धर्म नहीं देखता है। वह साफ्टवेयर है, वह कपड़े नहीं देखता है। वह सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत्य देखता है और चेहरा और कृत्य देखकर उसको पकड़ता है।

मान्वयर, हमने उस साफ्टवेयर के अंदर वोटर आईडी कार्ड का डेटा डालेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और जो भी सरकारी डेटा था, उन सबको डालने का काम किया है। इससे 1,100 से भी ज्यादा आइडेंटिफाई हो चुके हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यूपी से यहां पर 300 से भी ज्यादा लोग दंगा करने के लिए आए थे। हमने यूपी से चेहरों का डेटा मंगवाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है, जो यह बताता है कि यह गहरी साजिश थी।

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसका मतलब यह है कि बाहर से लोग आए थे।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : अब मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) मान्वयर, 24 फरवरी की रात को 10 बजे यूपी के बार्डर्स सील कर दिए गए थे। सबसे पहला काम यूपी के बार्डर्स को सील करने का किया गया था।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अमित जी, पहले क्यों नहीं किया था?... (व्यवधान) पहले क्यों नहीं किया था?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इनके वकील मत बनिए ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप मिस्टीरियस भाषण मत दीजिए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में पूरी बात को सुनकर जाइए ।

...(व्यवधान)

18.57 hrs

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Adv. A.M. Ariff and some other hon. Members left the House.)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, they did not allow the House to function on the same issue. ...*(Interruptions)* Now, the hon. Home Minister is replying, and they are walking out. ...*(Interruptions)* They do not want to listen because they do not have the courage to listen as to what is the fact and how it was controlled. ...*(Interruptions)* This is the hypocrisy of the Congress Party. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप जिस विषय पर चर्चा मांग रहे थे, उस पर माननीय गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । आप सदन में पूरी बात को सुनकर जाइए ।

...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा उचित नहीं है । इतने संवेदनशील

विषय पर चर्चा मांगना, चर्चा के समय अपने मुद्दों को ठीक प्रकार से कहते हुए, सरकार को जो-जो कोसना है, वे सब बातें कहनी हैं, वह उनका अधिकार है। जब सम्माननीय गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए आते हैं, तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण न होते हुए भी सभा का त्याग करके चले जाना, यह अच्छे लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। इसका विरोध करना चाहिए।...**(व्यवधान)** जब आप अपनी बात कहते हैं, तो दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। यह सही अर्थों में लोकतंत्र की स्पिरिट है। यह बात ठीक नहीं है। महोदय, कभी न कभी आपको भी इसका कॉग्निजेन्स लेकर इन लोगों को इस बात को समझाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री अमित शाह : दादा, मैं बोल रहा हूँ।...**(व्यवधान)** मान्यवर, मैंने कहा है कि हमने फेस आइडेंटिफिकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से 1,100 से भी ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर लिया है। उनकी पहचान कर ली गई है। 40 टीमें बनाई गई हैं, जो इनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज दिन-रात लगी हुई हैं। इसलिए, मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार आइडर साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बखशेगी, जिनका इन दंगों के अंदर रोल है।

19.00 hrs

साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम यह पूरी कार्यवाई कर रहे हैं। साक्ष्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयान भी वीडियोग्राफी के सामने दर्ज कर रहे हैं। पूरी चिंता हम कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को कहीं पर भी कोई तकलीफ न हो। मान्यवर, दो एसआईटी की टीमें बनाई हैं, जो सीनियरमोस्ट पुलिस अफसरों की अध्यक्षता में बनी हैं। वह 49 के आस-पास सीरियस टाइप के गुनाहों की जांच करेगी। मान्यवर, 50 आर्म्स एक्ट के केसेज हमने रजिस्टर किए हैं और लगभग 46 आर्म्स भी इतने कम समय में रिकवर किए हैं, जो दंगों के अंदर उपयोग में आए थे।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि शांति समिति की मीटिंगें बुलानी चाहिए। शांति समिति का गठन होना चाहिए। शांति समिति की मीटिंग 25 तारीख को शाम को चार बजे से हमने शुरू कर दी थी

और अब तक साढ़े तीन सौ से ज्यादा शांति समिति की मीटिंग – हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, इसाई सभी कम्युनिटी के लोगों की हम कर चुके हैं। यह चालीस टीमों का जो गठन किया है, इसके अलावा हमने कान्सिपिरेसी का भी एक केस दर्ज किया है। क्योंकि इतने कम समय में इतने दंगे स्प्रेड होना, वह तभी संभव है, जब कोई पूर्वनियोजित षडयंत्र हो। इसकी संभावनाओं की जांच करने के लिए हमने एक कान्सिपिरेसी का भी केस दर्ज किया है। इस पर मैं बाद में आऊंगा। मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर जनवरी और फरवरी के बाद कितनी राशि हवाला से आई है, बाहर से आई है, ऐसे कामों में लिप्त संस्थाओं की ओर से आई है, इसकी पूरी जानकारी हमने सरकारी एजेंसियों के साथ खंगाली है। हम नतीजे पर भी पहुंचे हैं, मगर क्योंकि अभी प्रिमेच्योर है, मैं सदन के सामने इतना कहना नहीं चाहता, परंतु इतना कहना चाहता हूँ कि इनमें से तीन लोग, जो दिल्ली दंगों का फाइनेंस करने वाले थे, उनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और उनके पास से जो इनफॉर्मेशन आएगी, उससे जांच आगे जाएगी।

मान्यवर, आईएस से जुड़े हुए एक-दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। एक को हिरासत में लिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश से आए हुए फुटेजों को गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाते थे और दंगों से जुड़े दस महत्वपूर्ण मामले हैं, उनको वरिष्ठ अधिकारियों की एक और टीम बना कर हम जांच कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को और सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को विशेषकर देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है, वे कानून की गिरफ्त से इधर-उधर एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे। यह आज मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, जो यह सारी जांच हुई है, वह वैज्ञानिक आधारों पर हुई है। कोई हियर-से पर नहीं की है। हमने पूरी चिंता की है। मैंने खुद मीटिंग के अंदर पूरी जांच की प्रक्रिया के रिव्यू किए हैं कि कहीं पर भी किसी निर्दोष को लिया न जाए। हो सकता है कि पूछ-ताछ के लिए किसी को बुलाए। मगर जहां तक अरेस्ट का सवाल है, अरेस्ट उसी की होगी, जिसके खिलाफ स्टॉन्च सबूत

होंगे, पुख्ता सबूत होंगे और वे सबूत पुलिस पहले जांचेगी, सीनियर अफसर जांचेगा, तभी जा कर करेंगे, इसलिए ओवैसी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, मैं इन दंगों की पृष्ठभूमि में भी जरूर जाना चाहता हूँ। इन दंगों की पृष्ठभूमि क्या है? जब से इस सदन ने और यह सदन कोई एक पार्टी का नहीं है, कोई एक दल का नहीं है, सभी दलों के लोग बैठते हैं और हमने आन्ध्र प्रदेश के विभाजन की तरह से यह बिल पास नहीं किया था, दरवाजा बंद कर के, टिंगाटोली कर कर, सांसदों को बाहर फेंक कर, इस प्रकार से हमने यह बिल पास नहीं किया था।

पूरे देश भर के अंदर गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, माइनोरिटी को गुमराह कर रहे हैं कि माइनोरिटी की नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई, सीए का कौन सा क्लॉज है? मुझे बताइये जरा। आज भी बताइये कि कौन सा क्लॉज है, जो किसी की भी नागरिकता, मुसलमान छोड़ दीजिए, किसी की भी नागरिकता लेने का किस क्लॉज से हमें शक्ति प्राप्त होती है? सीए के अंदर नागरिकता लेने का कोई प्रावधान है ही नहीं, पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। परन्तु अलग-अलग प्रकार से काफी चीजें फैलाई गईं। ये कह रहे हैं कि जब तक...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: होम मिनिस्टर साहब, एक मिनट। इसमें कोई झगड़ा नहीं करना है। मुद्दा यह है कि नागरिकता के साथ धर्म को जोड़ नहीं सकते। सिटिजनशिप एक्ट, 1955 में धर्म नहीं था।
...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं वह भी कहता हूँ। मान्यवर, मैं आज भी पूरे सदन को कहना चाहता हूँ और विशेषकर दादा जैसे अभ्यासू लोगों को। मेरे चैम्बर में आइए और मैं आपको सब चीजों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बंधा हुआ हूँ, मेरी कॉन्स्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मान्यवर, ये जो शरणार्थी आए हैं, आज़ादी के बाद अब तक वीजा और नागरिकता के बारे में 27 जगहों पर धर्म का उल्लेख हुआ है। यह पहली बार नहीं हुआ है और कांग्रेस के शासन में

सबसे ज्यादा हुआ है। मैं पूरा रिकार्ड भी लाऊँगा, इस सदन के सामने एक अलग चर्चा में विषय भी लेकर आऊँगा।

एक बात आई कि कोई कानून ऐसा नहीं है, जो धर्म के आधार पर हो। 25 कानून तो मैं जानता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, साहब? क्या है, धर्म के आधार पर बना हुआ कानून है। आप कैसे कह सकते हो, धर्म के आधार पर पहली बार कानून बना। 25 कानून मैं बता सकता हूँ। मान्यवर कहें, तो मैं सदन के रिकार्ड पर भी रख दूँगा।

प्रो. सौगत राय : एक लिस्ट दे दीजिएगा।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं कल रिकार्ड पर रखूँगा। ढेर सारे कानून हैं। मगर बाद में बोलना बंद कर दीजिएगा। कानून तो मैं वहाँ से लाऊँगा। मान्यवर, एक बात... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : मुस्लिम पर्सनल लॉ सिटिजनशिप तो नहीं देता है।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: सिटिजनशिप की बात नहीं है।... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, असम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात ऐसी आई कि सीए के विरोध करने वाले शांति से बैठे थे। सीए के पक्ष में जब लोग निकलना शुरू हुए, तो दंगे हो गए। कहाँ रहते हो?... (व्यवधान) दादा, मैं बताता हूँ। 24 फरवरी के पहले सीए के विरोध से ज्यादा सीए के समर्थन के लिए रैलियाँ देश भर में निकली हैं। आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में भी निकली हैं। मगर हम कान बंद रखेंगे, आँख बंद रखेंगे, तो नहीं दिखाई देगा। जो देखना चाहेंगे, वही देखेंगे, तो नहीं दिखाई पड़ेगा। देश भर में रैलियाँ निकली हैं, लाख-लाख की निकली हैं, 27 से ज्यादा रैलियों में मैं स्वयं गया हूँ।... (व्यवधान) दानिश जी, मैं आप पर भी आता हूँ, जरा धैर्य रखिए।

मान्यवर, यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रो-सीए वाले लोग निकले, इसलिए हुआ। ढेर सारे निकले थे, अब क्यों हुआ, इस पर मैं आना चाहता हूँ। यह समझने जैसी बात है। 14

दिसम्बर, 2019 को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एंटी-सीए रैली। रैली में पार्टी की अध्यक्ष महोदया भाषण करती है कि घर के बाहर निकलो, आर-पार की लड़ाई, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है वह? दादा आप सब लोग इतनी सारी हेट स्पीच, हेट स्पीच बोलते हो, क्या आपको ये हेट स्पीच नहीं लगती? खराब नहीं है। घर के बाहर निकलो, आर-पार की लड़ाई लड़ो, यह खराब नहीं है। साहब, देखिए, जिस हेट स्पीच का वह जिक्र कर रहे हैं, वह तो पुलिस जाँच कर रही है, जो कानूनन होगा, वह करेंगे। परन्तु वह हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। 14 दिसम्बर, 2019 की रैली के बाद 16 दिसम्बर, 2019 को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया और वहीं से इस चीज की शुरुआत हुई है। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूँ। उसके बाद एक स्पीच 17 फरवरी, 2020 को होती है। दादा, डेट ध्यान से सुनना।

17 फरवरी, 2020 को एक स्पीच होती है। एक संगठन चलाते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, नाम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा। भाषण क्या करते हैं, हम वादा करते हैं कि 24 फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रम्प हिन्दुस्तान आएंगे, तो हम उनको बताएंगे कि हिन्दुस्तान की सरकार क्या कर रही है। यह बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूँ, आवाम को, हिन्दुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूँ और 24 फरवरी को दंगों की शुरुआत हो जाती है। यह 17 फरवरी को होता है।

मान्यवर, यह हेट स्पीच नहीं है। यह हेट स्पीच नहीं है क्योंकि वे वोट बैंक को ऐड्रेस करती हैं, इसलिए वह हेट स्पीच नहीं है। उसके बाद वारिस खान पठान, ओवैसी जी, जरा सुनना। वारिस खान पठान 19 फरवरी, 2020 को, 24 तारीख को दंगे होते हैं, 19 फरवरी को क्या हुआ, 19 फरवरी को वे कहते हैं कि जो चीज माँगने से नहीं मिलती, वह छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम हैं, कौन हैं, मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ हैं, मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकल आओ।

मान्यवर, 24 तारीख को दंगा हो गया ।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: वारिस पर एफआईआर हुई है ।...(व्यवधान) वारिस ने अपना बयान वापस लिया ।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप सुनिए ना । ... (व्यवधान) बयान वापस लेने से क्या है साहब ।... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: आप अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा पर एफआईआर कीजिए ।... (व्यवधान) आपको कौन रोकता है? ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए ।... (व्यवधान) एक सेकेंड, आप बैठ जाइए ।... (व्यवधान)

मान्यवर, बयान वापस लेने से कुछ नहीं होता है ।... (व्यवधान) सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है । 19 फरवरी को यह बयान आया, 24 को दंगे होते हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि इतने उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 22 फरवरी की रात को और 23 फरवरी की सुबह दिल्ली में 8-9 जगहों पर अलग-अलग प्रकार के धरने और उत्तेजक वातावरण होना शुरु हुआ, जो जाकर 24 फरवरी को दंगों में परिवर्तित हुआ ।

मान्यवर, एक भाषण, वह भी हेट स्पीच हो सकती है, पुलिस जाँच कर रही है, परन्तु एक भाषण, जिसके 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ, वह आपको हेट स्पीच दिखाई पड़ती है । 19 फरवरी को, 22 फरवरी को भाषण होते हैं, जिसके बाद दंगे हो जाते हैं, वह हेट स्पीच नहीं दिखाई पड़ती है । हम कम से कम इस सदन के अंदर राजनीतिक रंग से कम्युनल दंगों जैसे संवेदनशील मामले को न ट्रीट करें, यह मेरा सबसे कहना है ।

मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूँ कि यह षडयंत्र है, सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 एकाउंट ऐसे मिले, जो 22 फरवरी को शुरु हुए और 26 फरवरी को बंद हो गए । ऐसे 60 एकाउंट थे और वे क्या समझते हैं कि एकाउंट बंद करने से बच जाएंगे क्या, जहाँ पर भी हैं, पुलिस दूढ़कर निकालेगी । मान्यवर, 25 मामले हम आई.टी. एक्ट के तहत दर्ज कर चुके हैं । उनको भी दूढ़कर

निकालेंगे। जब कठोर कार्रवाई करते हैं, बाद में कहीं आ न जाएं बचाने के लिए, मेरा इतना ही सबसे निवेदन है।

मान्यवर, हमने विज्ञापन और सोशल मीडिया की अफवाहों से भी दूर रहने का काम किया है। पैसा भी दिल्ली में पहुँचाया गया है। यह भी षडयंत्र का हिस्सा है। हम इसकी तह तक जाएंगे। रिसीव्ड करने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर पैसा भी पहुँचाया गया है। सोशल मीडिया से भड़काया गया है। 14 दिसम्बर, 2019, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी, 2020 को गंदे भाषण किए गए और ट्रम्प आए तभी करो, इस तरह से उकसाया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मान रहा हूँ कि पुलिस अभी ढूँढ़ रही है कि इसके पीछे क्या हुआ है। यह पूरा दंगा जो हुआ, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जली है। मुझे भी इसमें भयंकर दुख है, वेदना भी है। किसी की गाढ़े पसीने की कमाई दंगों में जलकर राख हो जाए, मगर मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि हम क्लेम कमीशन के गठन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को पत्र लिख चुके हैं। वीडियोग्राफी के आधार पर जिन्होंने दुकानें जलाई हैं, जिन्होंने वाहन जलाए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियाँ जलाई हैं, उन सारे लोगों को पकड़कर उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): That is why we want to have a judicial probe. ...(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: बालू जी, आप बैठ जाइए। मैं आपको बताता हूँ। शायद आपने ट्रांसलेशन नहीं लगाया है। हमने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप हाई कोर्ट के एक जज का नाम दीजिए। यह पुलिस नहीं करने वाली है, हाई कोर्ट के जज ही करने वाले हैं। मैं आपकी आश्चस्ती के लिए कह रहा हूँ। हमने ऐसा ही पत्र लिखा है। आज रजिस्ट्रार ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पत्र दे दिया है।

मान्यवर, अभी अपने बर्क साहब कह रहे थे कि कितने हिन्दू मरे, कितने मुसलमान मरे। हिन्दूओं की कितनी दुकानें जली, कितनी दुकानें मुसलमानों की जली, कितने घर जले। मान्यवर, मैं आँकड़ा जरूर दूँगा। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है। मैं हिन्दू-मुसलमान में नहीं जाना चाहता हूँ। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है। 545 भारतीय घायल हुए हैं। 487 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 226 भारतीयों के घर जले हैं। हम इस सदन को भी हिन्दू-मुसलमान में बाँटेंगे क्या! दंगों की चर्चा में इस प्रकार से आँकड़े मांगे जाते हैं क्या!...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मंत्री जी, इसको छोड़ दीजिए।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: नहीं, मैं छोड़ नहीं देता हूँ। मैं आँकड़े तो देता हूँ, लेकिन हिन्दू-मुसलमान नहीं करता हूँ। ओवैसी जी ने बड़े जुनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई। ओवैसी साहब, मंदिर भी जले हैं। जरा, इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं। मैं दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूँ। कोई भी धर्म स्थान हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वह नहीं जलना चाहिए। आपने जुबैर का उदाहरण दिया। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम जुबैर के कातिलों को नहीं छोड़ेंगे, परंतु आई.बी. के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए गए। अगर इसके बारे में भी बोले होते तो साथ में सदन की शोभा बढ़ती।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: मैंने उनके बारे में भी बोला है, लेकिन आपने सुना नहीं।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: आपने एक वाक्य शुरू में बोला,...(व्यवधान) मैंने ध्यान से सुना है। कम से कम आप वारिस भाई को समझा देते तो भी काफी भला हो जाता।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: आप अपने अनुराग जी को समझाइए।...(व्यवधान) आप अपने एमपी को समझाइए।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, वह कह रहे थे कि हमारे समय में दंगे होते हैं। काफी सदस्यों ने चीजें रिकॉर्ड में रखी हैं। मैं उनके तह में नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु एक आँकड़ा जरूर देना चाहता हूँ कि

भारत के इतिहास में दंगों में मारे गए लोगों में 76 प्रतिशत लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए । आपको दंगों के लिए बात करने का कोई अधिकार नहीं है ।

मान्यवर, मुझे कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने शांति की अपील नहीं की । मैंने की भी है, मगर नहीं भी की होती, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बड़ा दरख्त गिर जाता है तो धरती हिल जाती है । 3000 सिख भाई रातों-रात जला दिए गए, काट दिए गए । क्या हुआ, आपने क्या जाँच की? हम तो बताएंगे कि आपने क्या जाँच की है, बताया भी है, सबको पकड़ा है । जहाँ-जहाँ हमारा शासन है, वहाँ पहले भी पकड़ा है । आपने क्या किया? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता पकड़ा नहीं गया । नरेन्द्र मोदी के शासन में पकड़ने की शुरुआत हुई । ... (व्यवधान) दादा, मैं अपना आशय बताता हूँ । ... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि दादा थोड़े इरीटेड हो जाते हैं । मैं इसलिए बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि दंगे हमारे समय में भी हुआ । मैं उनको याद कराना चाहता हूँ, लेकिन वह सुनने के लिए बैठे नहीं हैं । उनको मालूम था कि उनकी अध्यक्षता का भी भाषण आएगा, सिख दंगे भी आएंगे । मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, वरन् ढेर सारी चीजें मेरे पास हैं । इस बारे में मुझे नहीं बोलना है ।

मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 52 लोग मारे गए और हमने इतना कैजुअली राइट्स को नहीं लिया है । 3 हजार सिख भाई-बहन जला दिए गए और आप कहते हैं कि दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती है । ... (व्यवधान) मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दंगा किसी को अच्छा नहीं लगता है । दंगे किसी भी शासन में होने नहीं चाहिए, मगर एक सोचे-समझे षडयन्त्र के तहत यह अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा मेरा प्राइमाफेसी मानना है । पुलिस के पास काफी पुख्ता सबूत भी आए हैं । पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के दंगों में मारे गए हर एक व्यक्ति के परिवार को दुख तो व्यक्त करता हूँ, मगर उनको आश्चस्त भी करता हूँ कि आपके परिवारजनों की जिन्होंने जान ली है, वह कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का

हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये दंगे पूरे देश के लिए एक सबक बने कि दंगा करने वालों का कैसा अंजाम होता है, इतनी कठोरता के साथ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं पूरे सदन को आश्चस्त करता हूँ।... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : When are you going to visit those people?
... (Interruptions)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: आप बैठ जाइए। मैं बताता हूँ। बसपा के सांसद महोदय कह रहे हैं कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी। एक बार ओवैसी साहब ने भी प्रेस कान्फ्रेंस की थी। उस वीडियो की पूरी जांच कर ली है। वहां 300 मीटर दूर थे, टीयर गैस चला रहे थे, मगर जब पत्थर चारों ओर से आ गए, तो वे दंगाइयों को भगाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे थे, गोली नहीं चला रहे थे।... (व्यवधान)
दंगाइयों के साथ नहीं थे भाई।... (व्यवधान) इसका पूरा वैज्ञानिक एनालिसिस हो गया है, कोई सवाल ही नहीं है।

मान्यवर, ये जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। लगभग ढाई हजार से ज्यादा टीयर गैस के सेल छोड़े गए हैं, आंकड़े मेरे पास हैं, 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं, अश्रु गैस के गोले दागे गए हैं, लाठीचार्ज किया गया है, परन्तु दोनों ओर संयम से काम लेकर पुलिस ने इसको 36 घंटों के अंदर समाप्त कर दिया है। इतनी डेन्स पॉपुलेशन वाली जगह पर 36 घंटों के अंदर राइट्स दबा देना और दिल्ली जहां पर हर जिले के अंदर, हर वार्ड के अंदर मिक्स कम्युनिटी रहती है, वहां राइट्स को स्प्रेड न होने देना, वह दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता थी।... (व्यवधान) मान्यवर, मैं फिर से कहूंगा कि जिन्होंने भी दंगा किया है, उन सभी के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई का देश की जनता को आश्वासन देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।

SHRI T. R. BAALU : You have not answered my straight question. When are you going to visit those people who are agitating? ... (Interruptions)

19.22 hrs

(At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2020 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.23 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday,
March 12 2020/Phalguna 22, 1941(Saka).*
